ISSN-0971-8397

योजना

अक्टूबर 2017 विकास को समर्पित मासिक ₹ 22

नवभारत

फोकस

साकार होगा स्वच्छ भारत का सपना
परमेश्वरन अय्यर

सशक्तीकरण की ओर ग्रामीण भारत
अमरजीत सिन्हा

जातिवादमुक्त भारत की ओर
अमरजीत एस नारंग

किसानों के हित में नई कृषि प्रणाली
जगदीप सक्सेना

नवभारत में नवाचार
उन्नत पंडित

विशेष आलेख

तीन तलाक : मुश्किलों से मिली मुक्ति
आर के सिन्हा

संकल्प से सिद्धि

नये भारत का संकल्प

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, एक नये भारत का।
1942 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक संकल्प लिया था, **भारत छोड़ो** का और
1947 में वह महान संकल्प सिद्ध हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ।

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, **2022 तक नये भारत** के निर्माण का।

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, **स्वच्छ भारत का।**

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, **ग़रीबी मुक्त भारत का।**

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, **भ्रष्टाचार मुक्त भारत का।**

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, **आतंकवाद मुक्त भारत का।**

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, **सम्प्रदायवाद मुक्त भारत का।**

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, **जातिवाद मुक्त भारत का।**

नये भारत के निर्माण के अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिये,
हम सब मन और कर्म से जुट जायेंगे।

नये भारत के लिए प्रधानमंत्री का आह्वान

जैसे 1942 से 1947 पांच साल देश की आज़ादी के लिए निर्णायक बन गए, ये पांच साल 2017 से 2022 भारत के भविष्य के लिए भी निर्णायक बन सकते हैं और बनाने हैं। पांच साल बाद देश की आज़ादी के 75 साल मनाएंगे। हम सब लोगों को दृढ़ संकल्प लेना है आज। 2017 को संकल्प का वर्ष बनाना है। यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और हमें संकल्प करना है:– गंदगी – भारत छोड़ो, ग़रीबी – भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार – भारत छोड़ो, आतंकवाद – भारत छोड़ो, जातिवाद – भारत छोड़ो, सम्प्रदायवाद – भारत छोड़ो!

आज आवश्यकता 'करेंगे या मरेंगे' की नहीं, बल्कि नये भारत के संकल्प के साथ जुड़ने की है, जुटने की है, जी-जान से सफलता पाने के लिये पुरुषार्थ करने की है। संकल्प को लेकर जीना है, जूझना है। आइए, इस अगस्त महीने में 9 अगस्त से संकल्प से सिद्धि का एक महाभियान चलाएं। प्रत्येक भारतवासी, सामाजिक संस्थायें, स्थानीय निकाय की इकाइयां, स्कूल, कॉलेज, अलग-अलग संगठन – हर एक, न्यू इंडिया के लिए कुछ-न-कुछ संकल्प लें। एक ऐसा संकल्प, जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध कर के दिखाएंगे।

(30 जुलाई 2017 को प्रसारित मन की बात के अंश)

योजना

- वर्ष:61
- अंक 10
- कुल पृष्ठ:56
- अक्टूबर 2017
- आश्विन-कार्तिक, शक संवत् 1939

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610

yojanahindi@gmail.com www.yojana.gov.in, www.publicationsdivision.nic.in http://www.facebook.com/yojanahindi

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा

उप निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन): पद्म सिंह

आवरण: गजानन पी. धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

उप निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453
ईमेल: pdjucir@gmail.com

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही हमारी वेबसाइट तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है।

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

इस अंक में

- संपादकीय 7
- फोकस

  साकार होगा स्वच्छ भारत का सपना
  परमेश्वरन अय्यर 9
- सशक्तीकरण की ओर ग्रामीण भारत
  अमरजीत सिन्हा 13
- जातिवादमुक्त भारत की ओर
  अमरजीत एस नारंग 17
- किसान के हित में नई कृषि प्रणाली
  जगदीप सक्सेना 21
- विशेष आलेख

  तीन तलाक: मुश्किलों से मिली मुक्ति
  आर के सिन्हा 25
- नवभारत में नवाचार
  उन्नत पंडित 27
- एकात्म मानववाद की कसौटी पर नवभारत आंदोलन
  शिवानन्द द्विवेदी 31
- नये भारत में सामाजिक न्याय
  स्वदेश सिंह 35
- भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई
  वी श्रीनिवास 39
- नये भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका
  कृष्ण चन्द्र चौधरी 43
- नवभारत और गांधी के सपने
  पंकज चौबे 47

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ मीनार, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	50080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	061-22683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	079-26588669
गुवाहाटी	मकान सं. 4, पेंशन पारा रोड, गुवाहाटी	781003	030-2665090

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

आपकी राय

जीएसटी से अर्थव्यवस्था में सुधार

योजना का 'वस्तु एवं सेवा कर' पर आधारित अगस्त का अंक पढ़ा। सभी आलेखों से जीएसटी के बारे में समग्र जानकारी मिली। मैं इस पत्रिका का अध्ययन विगत एक साल से नियमित रूप से कर रही हूं।

जीएसटी को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। जीएसटी के लाभों को निम्न रूपों में देखा जा सकता है- प्रथम, यह अप्रत्यक्ष कराधान पर अंकुश लगाकर देश में व्यापार प्रणाली को भी परिवर्तित करेगा। दूसरा, इससे उपभोक्ताओं पर कर बोझ कम होगा तथा दोहरे कराधान से निजात मिल सकेगी। तीसरा, कर चोरी रुकेगी और अर्थव्यवस्था का विकास तीव्र गति के साथ हो सकेगा। चौथा, जीएसटी नाम की आर्थिक क्रांति से भारत 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' के लक्ष्य को पूरा करने का मार्ग तैयार करेगा। इससे हर जगह हर राज्य में व्यापार करने में सुविधा प्राप्त होगी। अंत में कहा जा सकता है कि जीएसटी से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी और भारत विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर होगा।

– खुशबू कुमारी
हाजीपुर, वैशाली, बिहार

पर्यावरण संरक्षण जरूरी

योजना का 'वस्तु एवं सेवा कर' पर केंद्रित अगस्त अंक पढ़ा। अंक से जीएसटी के बारे में कई नवीन जानकारियां मिलीं। मैं इस पत्रिका का अध्ययन विगत 5 वर्षों से कर रही हूं। इस पत्रिका का योगदान मेरे जीवन में अतुलनीय है। मैं अरवल स्थित अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूं। मेरे विद्यालय में इस वर्ष रक्षाबंधन के पर्व को अनोखे रूप में मनाया गया। इस दिन विद्यालय की छात्राओं ने पेड़-पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए कहा कि पेड़-पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ व शुद्ध रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा।

– स्वाति कुमारी
अरवल, बिहार

योजना ज्ञान का भंडार

योजना का 'वस्तु एवं सेवा कर' पर आधारित अगस्त, 2017 का अंक पढ़ा। अंक में जीएसटी के संबंध में प्रस्तुत विश्लेषणात्मक आलेखों से बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित विकास को समर्पित इस मासिक पत्रिका में 'ज्ञान का भंडार' होता है। मैं इस पत्रिका का नियमित पाठक विगत 8 वर्षों से हूं तथा अब तक कुल 28 युवाओं को इस पत्रिका का नियमित पाठक बना चुका हूं। इस पत्रिका ने मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के साथ-साथ मुझमें आत्मविश्वास का भी संचार किया है। भारत सरकार ने एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार के सपने को 'वस्तु एवं सेवा कर' को 1 जुलाई, 2017 को लागू कर साकार कर दिया है। जीएसटी निर्माता और उपभोक्ताओं से वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर एक गंतव्य आधारित एकल कर व्यवस्था है, जिसने केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है। इस कर प्रणाली द्वारा देश को एक एकीकृत बाजार में परिवर्तित किया जा सकता है।

– अमित कुमार 'विश्वास'
रामपुर नौसहन, हाजीपुर,
वैशाली, बिहार

वृद्धों की समस्या

योजना का जुलाई 17 का सामाजिक सुरक्षा पर अंक पढ़ा। मैं योजना का बहुत पुराना पाठक हूं। मेरे पास 2003 के समय से ही इसके बहुतायत अंक सहेज कर रखे हैं।

आज के समय सामाजिक सुरक्षा की सबसे अहम जरूरत बुजुर्गों को है। पिछले दिनों वृद्धों पर आयी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वृद्धों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार 2026 तक भारत में 17.5 करोड़ बुजुर्ग होंगे।

2001 से 2011 के बीच 35 प्रतिशत की दर वृद्धों की आबादी भारत में बढ़ी। भारत में वृद्धों की बढ़ती तादाद के अनुरूप सरकार ने कई अहम कदम उठाये हैं। वी. मोहन गिरी समिति ने 2011 में इस मसले में काफी अहम सुझाव दिए थे। सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए अटल पेंशन योजना

चलायी गयी है। सरकार को इस मसले में सिंगापुर से सीख लेनी चाहिए जहां पर लड़के की आय का अनिवार्य रूप से 10 फीसदी अभिवावकों को दिया जाता है। सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन को भी बुजुर्गों के अनुभव, कौशल का दोहन करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए।

वैश्वीकरण, बाजारवाद व नव उदारवाद का दुष्परिणाम संयुक्त परिवारों के विघटन व एकल परिवारों में वृद्धि के तौर पर देखा जाता है। आज के समय में लगभग एक तिहाई बुजुर्ग हिंसा से पीड़ित हैं, सरकार को इसलिए समर्पित हेल्पलाइन, मनोवैज्ञानिक, वकील आदि की निशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए। समग्र रूप से देश में इस मसले में एक सोच विकसित करने की जरूरत है ताकि जब भारत को इस गंभीर मसले पर चुनौतियों से निपटने में सहायता मिल सके। अंत में बुजुर्गों के लिए यह पंक्तियां बेहद प्रासंगिक हैं।

फल न सही न दे, छांव तो देगा
पेड़ बूढ़ा ही सही, घर में लगा रहने दीजिये।

– आशीष कुमार
उन्नाव, उत्तर प्रदेश

ज्ञानवर्द्धक सामग्री

योजना अगस्त 2017 के अंक को पढ़कर काफी कुछ कहने का मन कर रहा है, लेकिन पाठक तो सीमित शब्दों के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश कर सकता है। 'वस्तु एवं सेवा कर' पर अनेक विद्वानों द्वारा लिखे गए लेखों के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर को समझना सुगम हुआ। पर अभी-भी बहुत कुछ समझना शेष, अवशेष है। 'संग्रह में' की शुरुआत अच्छी रही। 'आपकी राय' प्रशंसा एवं आलोचनात्मक कार्य करने में संलग्न है। संपादकीय 'गंतव्य आधारित व्यवधान की ओर' एक राष्ट्र एक कर, एक बाजार को पढ़ने एवं समझने में 'सारतत्व' काफी कुछ कहता है।

– देवेश त्रिपाठी
सिविल लाइन, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश

नकारात्मक पक्ष भी करें उजागर

योजना का अगस्त 2017 का अंक केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान के पुस्तकालय में पहली बार पढ़ने का सौभाग्य मिला। पढ़ कर ऐसा लगा जैसे किसी ने गागर में सागर उड़ेल दिया हो। जीएसटी के बारे में पूरी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा आसान शब्दों में देने की बहुत अच्छी कोशिश की गयी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए विद्यार्थियों को इसको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से लाभ होगा। इसमें जीएसटी से जुड़े सभी सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की गयी है, लेकिन नकारात्मक पहलुओं का कंहीं कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। आशा है भविष्य में किसी भी योजना के नकारात्मक पहलुओं पर भी लेख शामिल किये जायेंगे, जिससे पाठकों की संबंधित विषय पर तुलनात्मक समझ विकसित हो सके और पाठक स्वविवेक से योजना का विश्लेषण कर सकें।

पहली बार *योजना* पढ़ कर ही ऐसा लगा कि अब हर माह इसके आने का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। योजना का यह अंक जिस तरह से सूचना का भंडार है, आशा है कि यह नवीन विषयों पर ज्ञान में वृद्धि करती रहेगी।

– रहीम खान
केंद्रीय विश्वविद्यालय,
राजस्थान

एक भारत, एक भाषा, एक तिरंगा बनाम एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर

सितंबर माह के आलेख 'भारत: दमदार लोकतंत्र के 70 साल' ने काफी प्रभावित किया। लेखक ने एक व्यक्ति, एक वोट से मुद्दा उठाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य से गुजरते हुए उम्मीद भरे दिन तक की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने 30 जुलाई को *मन की बात* में जीएसटी के लागू होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। जीएसटी के साथ ही एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर लागू हो गया तो क्यों न उसी प्रकार *एक राष्ट्र, एक भाषा, एक तिरंगा* लागू हो जाय!

विविधता हमारी पहचान है, लेकिन जब बिहार के लोग पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु घूमने निकल जाते हैं, तो हिंदी भाषा में अगर हम उनके प्रांतीय बंधुओं से उनके राज्य में भ्रमणार्थ कहीं जाने हेतु 'पता' पूछते हैं, तो वे लोग हिंदी जानकर भी क्रमश: बांग्ला अथवा तमिल में ही जवाब देते हैं! जबकि हिंदी किसी एक राज्य विशेष की भाषा आखिर है कहां? भारतीय संविधान में 2 ही राजभाषा है, एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। किन्तु हिंदी के विशेष प्रचारार्थ संविधान में अलग से अनुच्छेद भी है।

वैसे भारत में कुल 1652 बोलियां हैं और संवैधानिक रूप से, किन्तु सानुच्छेद नहीं। वहीं अष्टम अनुसूची में 22 भाषायें हैं! हमारी प्राथमिकता हिंदी भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी किसी एक राज्य की भाषा नहीं है, परंतु वैश्विक परिदृश्य लिए भारत सहित पूरी दुनिया में 90 करोड़ लोग हिंदी बोलते व समझते हैं, यही कारण है, यह भाषा हर भारतीय लोगों को अच्छी तरह से जानना नहीं, तो समझ में अवश्य आनी चाहिए! अन्यथा ऐसा नहीं हो कि 'दक्षिण भारत' में जब हिंदी भाषी लोग घूमने जाय, तो उन्हें अपना देश ही बेगाना लगने लग जाय!

– टी. मनु
ब्लॉगर-सोशल एक्टिविस्ट
कटिहार, बिहार

योजना
आगामी अंक

नवम्बर 2017

लघु एवं मध्यम उद्योग

आपकी राय व सुझावों की प्रतीक्षा है...

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 3 | अंक 4 | कुल अंक 28 | अक्तूबर 2017 | ₹ 100

मुख्य परीक्षा विशेष

भारतीय अर्थव्यवस्था

तथा

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रमुख आकर्षण

- महत्त्वपूर्ण लेख
- टू द पॉइंट
- ऑडियो आर्टिकल
- टॉपर्स की डायरी
- करेंट अफेयर्स से जुड़े संभावित प्रश्न-उत्तर

करेंट अफेयर्स अब नए अंदाज़ में...

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ आगामी मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण सामग्री।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक महीने सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिन्दू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर।
- ☑ तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिये प्रेरणादायक कॉलम।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल नि:शुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:
www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

YH-643/6/2017

संपादकीय

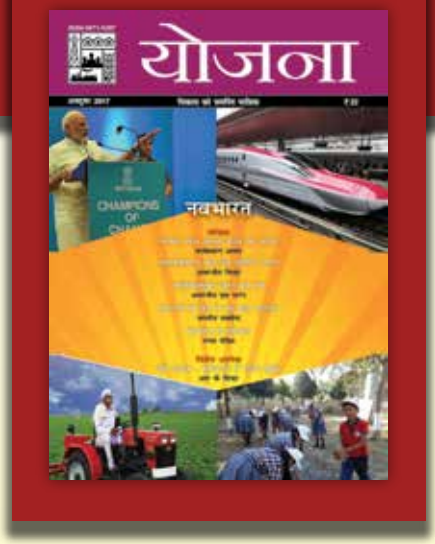

नया क्षितिज

हजारों मील की यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। जब प्रधानमंत्री ने 2022 तक नए भारत के निर्माण का आह्वान किया तो पूरे भारत को नए क्षितिज की ओर ऐसा कदम बढ़ाने की ऊर्जा मिल गई, जिसकी बहुत जरूरत थी। आह्वान अगस्त, 1942 में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने पर किया गया था। इस आंदोलन ने उस समय पूरे देश को ऊर्जा दी थी, जिससे अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए जनांदोलन शुरू हो सका। इस बार देशवासियों को प्रोत्साहित करने का विचार था ताकि वे देश को अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए वैसा ही जनांदोलन छेड़ सकें। पूरे राष्ट्र ने भारत को गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद से छुटकारा दिलाने तथा 2022 तक नए भारत का निर्माण करने के लिए कार्य करने का प्रण एक स्वर में लिया।

नए भारत के विचार में कई आयाम हैं और भारत जिन समस्याओं से घिरा है, उन्हें भगाने के लिए इसमें सरकार और जनता के बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। यदि हम उन समस्याओं पर एक-एक कर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि वे कई वर्षों से और कुछ तो सदियों से चली आ रही हैं। उदाहरण के लिए हमारी संस्कृति में देवत्व के बाद स्वच्छता को ही स्थान दिया गया है। फिर भी पूरे देश में हम बाहर गंदगी रखने के लिए कुख्यात हैं जबकि घरों के भीतर हम बहुत सफाई रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम सड़क पर पहुंचते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। खुले में शौच, घर का कचरा सड़क पर फेंकना आम दृश्य हैं। गंदा देश बाकी दुनिया के सामने खराब छवि पेश करता है, जबकि हम उसी दुनिया से निवेश मांगते हैं और उसी के बीच अपना मुकाम भी चाहते हैं। गंदगी से बीमारियां भी पैदा होती हैं, जो हमारी आर्थिक संपन्नता को चोट पहुंचाती हैं। इसीलिए स्वच्छ भारत!

गरीबी भी प्रगति की राह में खड़ी है क्योंकि हमारी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विशेषकर ग्रामीण भारत गरीबी में धंसा है। भ्रष्टाचार के अभिशाप ने हमारे देश को घेर रखा है और आर्थिक वृद्धि को दीमक की तरह चाट रहा है। भ्रष्टाचार को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, विमुद्रीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आधार, भीम एप जैसे उपाय किए गए हैं। फिर भी इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसीलिए गरीबी मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भ्रष्टाचार अंतरराष्ट्रीय समस्या है, जो दुनिया भर में लोगों की जान ले रही है। यह खतरनाक बीमारी है, जिसने लोगों को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रभावित किया है। इसीलिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत!

जातिवाद की समस्या प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। अस्पृश्यता यानी पिछड़ी जातियों को राष्ट्र की मुख्यधारा से दूर रखे जाने और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य के लाभों से वंचित किए जाने तथा समाज में स्थान भी नहीं दिए जाने के कारण भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा वृद्धि के मामले में पिछड़ गया है। देश की प्रगति के लिए इस समस्या को दूर करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पिछड़ी जातियों को भी विकास के लाभ मिलें। इसलिए जातिवाद से मुक्त भारत! भारत विभिन्न आस्थाओं तथा धर्मों का देश है और एक राष्ट्र के रूप में हमने हमेशा विविधता में एकता की अपनी परंपराओं पर गर्व किया है। फिर भी सांप्रदायिकता की बुराई जब-तब सिर उठा लेती है तो जान-माल की बहुत बरबादी होती है। राष्ट्र के विकास के लिए शांति तथा सौहार्द भरा समाज बहुत आवश्यक है। इसीलिए सांप्रदायिकता मुक्त भारत!

नए भारत के लिए इन लक्ष्यों के साथ ही सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ फैसले के जरिये मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। मुस्लिम समुदाय के इस अलिखित कानून, जहां कोई पति केवल तीन बार तलाक शब्द बोलकर किसी महिला को तलाक दे सकता था, ने कई मुस्लिम महिलाओं के जीवन बरबाद किए थे। वे इस निर्दयी रिवाज पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन कर रही थीं। आखिरकार उनकी बात सुनी गई और कारगर कदम उठाया गया। 'चैंपियंस ऑफ चेंज' नवाचार को बढ़ावा देने तथा सरकार और स्टार्टअप के बीच सीधा संवाद शुरू करने की एक और पहल है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप को '2022 तक नए भारत' के अभियान के साथ जोड़ना है।

कहीं भी पहुंचने के लिए पहला कदम होता है यह तय करना कि हम एक ही जगह पर नहीं रुके रहेंगे। यह फैसला पहले ही लिया जा चुका है और भारत को 2022 तक आर्थिक रूप से संपन्न तथा सुदृढ़ बनाने के लिए नई शुरुआत हो चुकी है। ❑

स्वच्छता ही सेवा: स्वच्छता का अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी अभियान

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 15 सितंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के ईश्वरगंज गांव से 15-दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान *स्वच्छता ही सेवा* की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत, *स्वच्छ भारत अभियान* को जन आंदोलन बनाने के लिए पूरे देश में स्वच्छता संबंधी विभिन्न पहलें शुरू की गईं। इस कार्यक्रम का संयोजन *स्वच्छ भारत अभियान* का आयोजन करने वाले पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी से किया था तथा गरीब और वंचित तबके के लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना और उन्हें निरंतर चलने वाली स्वच्छता सेवाओं के बारे में जानकारी देना इस अभियान की मुख्य विशेषता थी।

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 15 सितंबर, 2017 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के ईश्वरगंज गांव में 15-दिवसीय राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान स्वच्छता ही सेवा की शुरुआत करते हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक, केंद्रीय पेय जल और स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ तथा अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे।

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत, सभी वर्गों के लोगों ने स्वैच्छिक रूप से आगे आकर सफाई और शौचालयों के निर्माण तथा अपने पर्यावरण को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए श्रमदान किया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को एकजुट करना और स्वच्छता के लिए *जन आंदोलन* पर जोर देना था। अभियान के तहत सार्वजनिक और पर्यटक स्थलों की सफाई पर ध्यान दिया गया। इसमें भारत के राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक सभी ने भाग लिया जिनमें केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, जाने-माने व्यक्ति और शीर्ष अधिकारी शामिल थे। प्रसिद्ध व्यक्तियों, धार्मिक नेताओं, कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में इस अभियान में योगदान दिया।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने अभियान की अवधि के दौरान विशेष तारीखों की पहचान की। इसमें तीन रविवार, 17, 24 सितंबर और 1 अक्टूबर शामिल हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय बनाने, सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, स्कूल और कॉलेज, मूर्तियों, अस्पताल और तालाबों की सफाई के लिए श्रमदान करने के लिए लोग बड़ी संख्या में सामने आए। 15 चयनित पर्यटक स्थलों में 1 अक्टूबर 2017 को सफाई अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। कई मीडिया संगठन पखवाड़े के दौरान स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए स्वेच्छा से सामने आए।

गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को स्वच्छता पखवाड़े के समापन समारोह, जो स्वच्छ भारत दिवस भी है, में देशभर के विभिन्न क्षेत्रों के स्वच्छता विजेताओं को निबंध, फिल्म और चित्रकला तथा अन्य विधाओं के लिए *स्वच्छ भारत पुरस्कार* प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने MyGov.in पर एक विशेष पोर्टल बनाया है जिसमें लोग अपने श्रमदान से पहले और बाद की तथा अन्य कार्यक्रमों की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। ❑

साकार होगा स्वच्छ भारत का सपना

परमेश्वरन अय्यर

स्वच्छ भारत मिशन देश में एक ताकत बन गया है और लोगों को एक परिवर्तनकारी यात्रा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मिशन ने देश की आकांक्षा में अपना वजूद तलाश लिया है। आजादी के सत्तर साल बाद गांधीजी का स्वच्छ भारत का सपना आखिरकार साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने पांच वर्षों में भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता दिखाई है, जो एक साहसिक कदम है। यह ऐसा लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना असंभव लगता था। हालांकि अभी भी दिल्ली दूर है लेकिन इस दिशा में हुई प्रगति की सराहना की जानी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 12-15 महीनों में इसे और गति मिलेगी

15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए गंदगी और खुले में शौच के खिलाफ बिगुल बजाया था। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर, 2019 को देश को खुले में शौच से मुक्त करने और स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करने की बात कही है।

विश्व के किसी देश के मुखिया द्वारा स्वच्छता के संबंध में की गई यह एक महत्वाकांक्षी और साहसिक घोषणा थी। परिणामस्वरूप स्वच्छता का मुद्दा ठंडे बस्ते से निकल कर राष्ट्रीय नीति और विकास की मुख्यधारा में शामिल हो गया। भारत में खुले में शौच के कारण हर साल अनेक संक्रमण जैसे रोगों से एक लाख से अधिक बच्चे मौत के शिकार होते हैं। उन मासूमों की मृत्यु को रोका जा सकता है।

विश्व बैंक का एक अध्ययन बताता है कि गंदगी के कारण भारत के लगभग 40 प्रतिशत बच्चों का शारीरिक-मानसिक विकास बाधित होता है। इसका उनकी आर्थिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत से अधिक है। खुले में शौच से महिलाओं की सुरक्षा पर भी असर होता है।

प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि इस दिशा में सकारात्मक कार्य किए जाने की आवश्यकता है और इस मुद्दे को मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। भारत 21वीं सदी में विश्वव्यापी आर्थिक सुपरपावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में गंदगी और खुले में शौच के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपनी राजनीतिक पूंजी को स्वच्छता के खिलाफ उन्मुख किया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता का दर्जा दिया!

स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के लगभग तीन साल पूरे हो चुके हैं। इस मिशन की प्रगति सराहनीय है। कुछ राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मिशन की शुरुआत में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 39 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत के मौजूदा आंकड़े पर पहुंच गया है। ग्रामीण भारत के 23 करोड़ से अधिक लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को तिलांजलि दे दी है। 193 जिलों और पूरे देश के लगभग 2,35,000 गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। पांच राज्य- सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा और उत्तराखंड ओडीएफ राज्य बन गए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह है कि पवित्र गंगा के तट पर 4,000 से अधिक गांव ओडीएफ बन गए हैं।

एसबीएम अनूठा कैसे है

एसबीएम विश्व स्तर पर एक अनूठा कार्यक्रम है, जो दुनिया में स्वच्छता की किसी भी अन्य पहल से बहुत भिन्न है- व्यापकता और स्तर दोनों के लिहाज से। भारत की 55 करोड़ ग्रामीण आबादी को खुले में शौच से मुक्त करना अद्वितीय कार्य है जिसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां भी हैं। खुले में शौच की सदियों पुरानी प्रथा और जड़ हो चुकी आदत से लड़ने के लिए एक जनांदोलन की जरूरत है जिसमें लोग स्वेच्छा से संलग्न हों। यह मिशन लोगों के आचरण, उनके मस्तिष्क को बदल रहा है। यह केवल बुनियादी ढांचा का निर्माण करना नहीं है,

लेखक भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में सचिव हैं। वे स्वच्छता कार्य क्षेत्र में काफी अनुभवी हैं और उन्होंने विश्व बैंक के जल और स्वच्छता कार्यक्रमों का नेतृत्व भी किया है। ईमेल: param.iyer@gov.in

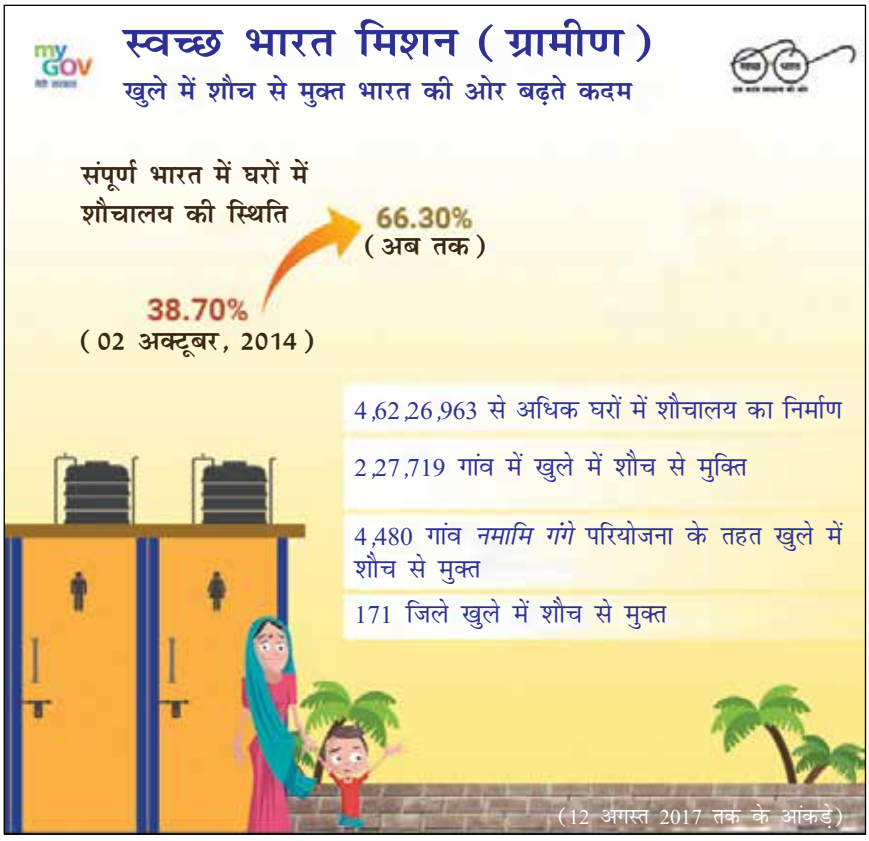

यह पहले के स्वच्छता कार्यक्रमों से कई महत्वपूर्ण कारणों से अलग भी है।

पहला मुख्य अंतर यह है कि सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के माध्यम से आचरण में परिवर्तन पर वास्तव में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और आउटपुट (निर्मित शौचालयों की संख्या) के स्थान पर आउटकम (ओडीएफ गांव) पर ध्यान दिया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में समुदाय है। समुदाय ही स्वच्छता क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। बच्चे, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और विशेष रूप से सक्षम नागरिक सबसे बड़े स्वच्छता चैंपियंस के रूप में उभरे हैं। वे अपने समुदायों को एक साथ आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और सभी मिलकर खुले में शौच की प्रथा के खतरों से लड़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर लगभग 6,000 महिला सरपंचों के लिए आयोजित एक विशेष समारोह में प्रधानमंत्री ने 10 प्रेरक महिलाओं को स्वच्छता चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया है।

स्वच्छता को प्रोत्साहित करने वाले कार्यकर्ताओं को स्वच्छाग्रही कहते हैं। इन स्वच्छाग्रहियों को सामुदायिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) द्वारा वर्चुअल क्लासरूम का संचालन किया जाता है। इस क्लासरूम में एक प्रशिक्षक विभिन्न स्थानों पर मौजूद प्रशिक्षुओं से सामुदायिक लामबंदी और आचरण में परिवर्तन के संबंध में बातचीत करता है। वे ग्रामीण स्तर पर प्रोत्साहन आधारित प्रणाली के तहत कार्य करते हैं ताकि स्वच्छता के महत्व और शौचालयों की सामुदायिक मांग को प्रोत्साहित करते हुए व्यवहार में परिवर्तन करने पर चर्चा की जा सके। वर्तमान में पूरे देश में डेढ़ लाख से अधिक स्वच्छाग्रही हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। मिशन का लक्ष्य है कि भारत में हर गांव में कम से कम एक स्वच्छाग्रही अवश्य हो।

बच्चे, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और विशेष रूप से सक्षम नागरिक सबसे बड़े स्वच्छता चैंपियंस के रूप में उभरे हैं। वे अपने समुदायों को एक साथ आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और सभी मिलकर खुले में शौच की प्रथा के खतरों से लड़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर लगभग 6,000 महिला सरपंचों के लिए आयोजित एक विशेष समारोह में प्रधानमंत्री ने 10 प्रेरक महिलाओं को स्वच्छता चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और विभिन्न राज्य मिल-जुलकर इस मिशन को एक जनांदोलन बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों, जमीनी स्तर के संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, युवा संगठनों, स्कूल के विद्यार्थियों, निगमों और नागरिक समाज के संगठनों को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता के संदेश को पुष्ट करने और उसकी अपील को व्यापक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मास मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉलीवुड सितारों और क्रिकेटरों को भी इस आंदोलन में शामिल किया जा रहा है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पूरे देश में टीवी, रेडियो और आउटडोर होर्डिंग के जरिए 'दरवाजा बंद' अभियान चला रहे हैं। अक्षय कुमार ने खुले में शौच पर एक फिल्म बनाई है- 'टॉयलेट-एक प्रेमकथा' जो इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही है।

एक बार ग्राम सभा में एक गांव खुद को ओडीएफ घोषित करता है, तो इसके बाद ग्राम सभा द्वारा इसका सत्यापन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में ओडीएफ गांवों का सत्यापन करीब 60 प्रतिशत है, जो कुछ महीने पहले केवल 25 प्रतिशत था। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि गांव की स्वघोषित ओडीएफ स्थिति को 90 दिनों के भीतर तीसरे पक्ष का सत्यापन प्राप्त होना चाहिए। सत्यापन के दौरान किसी भी कमी को समुदाय द्वारा तुरंत चिन्हित किया जाना चाहिए और उसे दूर किया जाना चाहिए। ओडीएफ स्थिति को समय पर सत्यापित करना भी इस मिशन को पहले के स्वच्छता कार्यक्रमों से अलग करता है।

इस कार्यक्रम में जिला और राज्य स्तर पर सत्यापन की प्रणाली काफी मजबूत है। राष्ट्रीय स्तर पर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय विशेष जांच तो करता ही है, स्वतंत्र संगठनों द्वारा तीसरे पक्ष का नमूने सर्वेक्षण भी कराता है। हाल ही में मई-जून, 2017 के दौरान भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 1,40,000 घरेलू सर्वेक्षण किए गए। इसमें

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और और पिछले स्वच्छता कार्यक्रमों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के माध्यम से एक समावेशी कार्य किया जा रहा है। वास्तव में, कचरे को अब एक संसाधन के रूप में देखा जा रहा है, और इसका नया नाम ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन (एसएलआरएम) दिया गया है।

पाया गया कि भारत में शौचालयों का 91 प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है।

पिछले कार्यक्रमों में ऐसे उदाहरण सामने आए थे जहां ओडीएफ घोषित होने के बाद कई गांव दोबारा खुले में शौच को प्रवृत्त हो गए। चूंकि पुरानी आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है। ओडीएफ को बरकरार रखना आसान काम नहीं है। इसके लिए राज्यों, जिलों और गांवों को आईईसी पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ओडीएफ बने रहें। ओडीएफ को बरकरार रखने के लिए प्रोत्साहन तंत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं जैसे पाइपयुक्त पानी की आपूर्ति में ओडीएफ गांवों को प्राथमिकता देना शामिल है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने राज्यों के लिए इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं और ओडीएफ को बरकरार रखने के लिए गांवों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के संबंध में प्रदर्शन, स्थिरता और पारदर्शिता के आधार पर जिलों को स्वच्छ दर्पण के अंतर्गत अंक भी दिए जाते हैं ताकि विभिन्न जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और पिछले स्वच्छता कार्यक्रमों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के माध्यम से एक समावेशी कार्य किया जा रहा है। वास्तव में, कचरे को अब एक संसाधन के रूप में देखा जा रहा है, और इसका नया नाम ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन (एसएलआरएम) दिया गया है। ग्राम खुद को स्वच्छता सूचकांक पर अंक दे रहे हैं और लगभग 1.5 लाख गांवों ने अब तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। इससे वे अपने वर्तमान स्तर को एक वांछित स्तर तक पहुंचा सकते हैं। ओडीएफ गांव के पास अगर पर्याप्त एसएलआरएम है, तो वे ओडीएफ कहलाते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन में सबकी सहभागिता

जैसा कि प्रधानमंत्री ने बार-बार दोहराया है, स्वच्छता हर किसी से संबंधित है और केवल किसी मंत्रालय या विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया, जब स्वच्छ आयनिक प्लेस (एसआईपी) और स्वच्छ कार्य योजनाएं (एसएपी) शुरू की गईं। एसआईपी ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व के 20 प्रतिष्ठित स्थानों की पहचान की है और उन्हें आईलैंड ऑफ एक्सिलेंस बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यह ऐसा स्वर्ण मानक है जो अन्य स्थानों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। अगले चरण में 80 से अधिक स्थानों पर कार्य किया जाएगा। एसएपी ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने संबंधित क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधित गतिविधियां संचालित करने के लिए वचनबद्ध किया है और इसके लिए 2017-18 के वित्तीय वर्ष के बजट से 12,000 करोड़ का उपयोग करने की बात कही है। स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण अकेला ऐसा सरकारी कार्यक्रम है जिसमें पूरी सरकारी मशीनरी एक साथ कार्य कर रही है।

यहां तक कि निजी क्षेत्र को भी इस मिशन में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। निजी कंपनियां इस अभियान में न केवल सीएसआर के तहत धनराशि दे रही हैं बल्कि मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने में अपना मानव और प्रबंधकीय संसाधन भी प्रदान कर रही हैं। इस अभियान में जिन निजी कंपनियों ने सर्वाधिक योगदान दिया है, उनमें से एक टाटा ट्रस्ट है। कंपनी ने भारत के प्रत्येक जिले में काम करने के लिए 600 युवा पेशेवरों को स्पांसर किया है। जिला स्वच्छ भारत प्रेरक कहलाने वाले ये पेशेवर जिला प्रशासन के साथ कार्य कर रहे हैं और अपने जिलों को ओडीएफ और एसएलडब्लूएम घोषित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में युवाओं को जोड़ने वाली इस पहल की राज्य सरकारों द्वारा सराहना की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण: एक जनांदोलन

स्वच्छ भारत मिशन अपनी तीसरी वर्षगांठ के करीब है, हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जब यह मिशन एक बड़े और गतिमान जनांदोलन में तब्दील हो सकता है। प्रधानमंत्री के नए भारत वर्ष में पदार्पण करने के आह्वान के साथ मिशन ने आम भारतीय को स्वच्छता क्रांति से जोड़ा है। इनमें से सबसे पहला था स्वच्छथॉन- स्वच्छ भारत हैकथॉन, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नए समाधानों को आमंत्रित किया

निजी क्षेत्र को भी इस मिशन में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। निजी कंपनियां इस अभियान में न केवल सीएसआर के तहत धनराशि दे रही हैं बल्कि मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने में अपना मानव और प्रबंधकीय संसाधन भी प्रदान कर रही हैं। इस अभियान में जिन निजी कंपनियों ने सर्वाधिक योगदान दिया है, उनमें से एक टाटा ट्रस्ट है।

गया। इसमें जिन प्रश्नों के उत्तर तलाशे गए, वे इस प्रकार हैं, शौचालयों के उपयोग का किस प्रकार आकलन किया जाए, व्यवहारगत परिवर्तन के लिए तकनीक का उपयोग किस प्रकार किया जाए, दुर्गम क्षेत्रों में किफायती शौचालय तकनीक का प्रयोग कैसे हो, स्कूलों में शौचालयों की साफ-सफाई के लिए किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाए, मासिक धर्म से जुड़े कचरे का सुरक्षित निस्तारण किस प्रकार किया जाए और मल इत्यादि के शीघ्र/त्वरित अपघटन के लिए क्या तकनीक अपनाई जाए। स्वच्छथॉन को पूरे देश से 3,000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, और ऐसे कई अभिनव विचार प्राप्त हुए हैं जो स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लक्ष्यों में योगदान दे सकते हैं।

प्रधानमंत्री की पहल *संकल्प से सिद्धि* से प्रेरित होकर, *स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण* ने कई कदम उठाए हैं। स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि फिल्म बनाई गई है, देश भर में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं शुरू की गई हैं। स्कूली बच्चों, सशस्त्र बलों, युवा संगठनों जैसे विभिन्न समूहों और बड़े पैमाने पर आम लोगों को निबंध लिखने या फिल्म के माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वे स्वच्छता से संबंधित अनुभवों और योजनाओं को साझा करें। हमें स्वच्छ भारत पर एक करोड़ से अधिक निबंध और 50,000 से अधिक फिल्में प्राप्त होने की उम्मीद है। इससे लाखों लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे और स्वच्छ भारत मिशन के प्रति उनमें उत्साह पैदा होगा।

27 अगस्त को *मन की बात* में प्रधानमंत्री ने इन कार्यक्रमों के संबंध में सबसे महत्वाकांक्षी घोषणा की थी। इस संबोधन में उन्होंने लोगों से इस समयबद्ध, राष्ट्रव्यापी जन अभियान में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2017 के बीच श्रमदान द्वारा दो गड्ढे वाले शौचालय, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया जाए। उन्होंने इस पहल को *स्वच्छता ही सेवा* का नाम दिया। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय सरकारी नेताओं, पीआरआई प्रतिनिधियों, सामुदायिक संगठनों, युवा समूहों, सशस्त्र बलों, निगमों और नागरिकों को इस पहल में संलग्न कर रहा है। भारत के राष्ट्रपति ने 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान इस पखवाड़े की शुरुआत की और प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2017 को स्वच्छ भारत राष्ट्रीय पुरस्कार और स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि पुरस्कार देकर इस पखवाड़े का समापन करेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन देश में एक मजबूत ताकत बन गया है और लोगों को इस परिवर्तनकारी यात्रा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अभियान ने देश की आकांक्षा में अपना वजूद तलाश लिया है। आजादी के सत्तर साल बाद गांधीजी का स्वच्छ भारत का सपना आखिरकार साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने पांच वर्षों में भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता दिखाई है, जो एक साहसिक कदम है। हालांकि अभी भी दिल्ली दूर है लेकिन इस दिशा में हुई प्रगति की सराहना की जानी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 12-15 महीनों में इसे और गति मिलेगी। जनांदोलन बनने के बाद इस लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल नहीं रहेगा। ❑

सशक्तीकरण की ओर ग्रामीण भारत

अमरजीत सिन्हा

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस योजना की विश्वसनीयता में सुधार हेतु नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। चिन्हित पिछड़े ब्लॉकों में सामूहिक एवं पंचायत सुविधासेवी दलों द्वारा विशेष प्रयत्न किये गये हैं। एसईसीसी के प्रयोग से 2569 पिछड़े ब्लॉकों में इंसेंटिव पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज (गहन सहभागिता योजना कार्यक्रम) के अधीन प्रत्येक अभावग्रस्त व्यक्ति के घर जाकर आंकड़े एकत्र किये गये और उनके कल्याण हेतु योजनाएं बनाई गईं जिससे निर्धनतम् लोगों को भी योजना में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित किया गया

प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 की 75वीं वर्षगांठ पर गरीबीमुक्त भारत का आह्वान किया। उन्होंने 2022 तक ऐसा कर पाने के सामाजिक मिशन का भी आह्वान किया। इस तथ्य के साथ कि ग्रामीण भारत के तकरीबन 8.85 करोड़ परिवार वंचित हैं, चुनौती भयानक है। हालांकि विगत दो ढाई वर्षों के दौरान किए गए प्रयास भरोसा जगाते हैं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों व ग्रामीण निर्धनता से जूझने की दिशा में शायद हम सही रस्ते पर हैं।

हालिया एचएसबीसी अध्ययन बताता है कि 69 प्रतिशत ग्रामीण परिवार जिनके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है या जो भूमिहीन हैं, ने बढ़ते वास्तविक दिहाड़ी तथा घटती ग्रामीण कौशलविहीन बेरोज़गारी के संबंध में शेष 31 प्रतिशत परिवारों के समान उन दबावों का सामना नहीं किया है, साथ ही, ग्रामीण जन के लिए शुरू की गई पहल सूखा व कृषि उत्पादों की घटती कीमत के मुश्किल समय में भी कारगर रही है। आईआरएमए द्वारा किया गया दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) का राष्ट्रीय मूल्यांकन यह भी सामने लाता है कि नियंत्रण क्षेत्रों की तुलना में ट्रीटेड क्षेत्रों में आय कैसे 22 प्रतिशत अधिक रहा और जहां भी (डे-एनआरएलएम) के तहत महिला स्वयं-सहायता समूह सक्रिय रहे, वहां उत्पादक आस्तियों व शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण में निवेश अधिक रहे। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करता है कि सामाजिक पूंजी मायने रखती है और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका आजीविकाओं की विविधता और विकास है।

ग्रामीण विकास विभाग जन कार्यक्रमों (रोजगार, कौशल, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका रूपांतरण, सड़क निर्माण, आवास, जल संरक्षण, ठोस व तरल संसाधन प्रबंधन आदि) का प्रमुख स्त्रोत है। यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल से संबंधित अन्य क्षेत्रों में कदम उठाए जाएंगे, तो संभव है कि कम समय में निर्धन परिवारों की स्थिति में सुधार किया जा सके। निर्धनता मुक्त स्थिति को वंचित परिवारों के लिए अभाव से बाहर निकालने की दिशा में समर्थ सामाजिक संभावनाओं के रूप में देखा जाता है। निर्धनतामुक्त स्थिति इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, स्वच्छता, साफ़ पेय जल, पोषण, खाद्य सुरक्षा, आवास, लैंगिक व सामाजिक समानता व सशक्तीकरण, कनेक्टिविटी, बिजली, टिकाऊ संसाधनों के प्रयोग की प्रणाली, कचरा प्रबंधन, और सबसे ऊपर उच्च आय हेतु टिकाऊ आर्थिक गतिविधियां निर्धनता मुक्त ग्राम पंचायत की चुनौती निर्धनता की बहुआयामिता को समझने के लिए एक साथ कई हस्तक्षेपों के ज़रिए ग्रामीण रूपांतरण की संभावनाओं को तलाशना है।

यद्यपि ग्रामीण विकास विभाग ने प्रोग्राम डिलीवरी व परिणामों को सुधारने के लिए राज्य व स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी में ठोस प्रयास किया है, इसने विगत दो ढाई वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव किए भी हैं, जिसने हमें मिशन अन्त्योदय के लक्ष्य के निकट पहुंचने में मदद की है।

मानकों में हस्तक्षेप

ग्रामीण भारत में लाखों आवासों व गांवों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार बसते हैं। केंद्र सरकार के आवंटन व ग्रामीण विकास विभाग के तहत हुए वास्तविक खर्चे में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2017-18 में रु. 1.05 लाख के आवंटन के साथ 2012-13 के आवंटन की तुलना में दुगुनी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, राज्य की हिस्सेदारी नॉन-हिमालयन राज्य में 60-40, हिमालयन 90-10 और पूर्वोत्तर राज्यों में) चौदहवें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली वार्षिक राशि भी इस अवधि

लेखक भारत सरकार में ग्रामीण विकास सचिव हैं। प्रशासन में उनका 34 वर्ष का अनुभव है जो मुख्यत: सामाजिक क्षेत्र से संबद्ध है। सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही है। वे 7 पुस्तकें और अनेक आलेख लिख चुके हैं। ईमेल: secyrd@nic.in

के दौरान रु. 25,000/- रु. 35,000/- करोड़ की रेंज में रही। 2015-17 की अवधि के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बैंक ऋण के रूप में रु. 70,000/- करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त की गई, पिछले वर्षों की तुलना में विविध बढ़त हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापन कौशल व स्व-रोज़गार कौशल पर जोर से भी वृहत्तर आर्थिक गतिविधियां हो सकीं। पशुपालन व आजीविका रूपान्तरण ने भी घरों के लिए अतिरिक्त आय के द्वार खोले हैं। चावल व गेंहू के कम मूल्य पर उपलब्ध होने के लिए एनएफएसए की वार्षिक सब्सिडी गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों के लिए एक करोड़ सुंदर घर बनाने का सपना है। गांवों में गरीबों के घरों तक पहुंच के लिए मार्च 2019 तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। इसी के साथ महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 2018-19 तक उत्थान के लिए 60 हजार करोड़ सालाना बैंकों से कर्ज मुहैया करा दिए जाएंगे।

जल संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा

किसी समृद्ध गांव के निवासियों का कल्याण सुनिश्चित करने वाला महत्वपूर्ण घटक प्रभावी जल संरक्षण है। प्रधानमंत्री द्वारा मई 2015 में सूखा प्रभावित 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई और उन्हें जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रेरित किया गया। इसे गति देने के लिए राज्यों के नेतृत्व में एक मंच तैयार किया गया। राजस्थान में *मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान*, आंध्रप्रदेश में *नीरू-चेट्टू*, तेलंगाना में *काकतीय मिशन*, महाराष्ट्र में *जलयुक्त शिवार* तथा जल संरक्षण उपक्रम, झारखंड में *डोभा* फार्म तालाब का निर्माण तथा अन्य कई राज्यों में विशिष्ट *राज्य जल संरक्षण कार्यक्रम* चलाये गये। मनरेगा 5 वर्षों में 235 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल रहा है। व्यक्तिगत कल्याण आधारित योजनाओं जैसे कि बकरियों, पोल्ट्री व डेरी उद्योग के लिए शेड, आईएचएचएल, आवासीय क्षेत्रों में 90-95 दिनों की दिहाड़ी मजदूरी, 11 लाख से भी अधिक निर्मित फार्म, तालाब इत्यादि ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार और बेहतर आमदनी की दिशा में अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध कराये हैं। जल संसाधन मंत्रालय एवं भूमि संसाधन विभाग की सहभागिता में नये जल संरक्षण मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार जल संबंधी समस्याओं वाले 2264 ब्लॉकों को वरीयता देते हुए तकनीकी रूप से मजबूत वैज्ञानिक दृष्टि से पूरित जल संरक्षण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, साथ ही, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों एवं इंजीनियरों के सामर्थ्य संवर्द्धन द्वारा इसकी गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता में सुधार की काफी संभावना है।

नागरिकों की भागीदारी

विभाग द्वारा इस योजना की विश्वसनीयता में सुधार हेतु नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। चिन्हित पिछड़े ब्लॉकों में सामूहिक एवं पंचायत सुविधासेवी दलों द्वारा विशेष प्रयत्न किये गये हैं। एसईसीसी के प्रयोग द्वारा 2569 पिछड़े ब्लॉकों में *इंसेंटिव पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज* (गहन सहभागिता योजना कार्यक्रम) के अधीन प्रत्येक अभावग्रस्त व्यक्ति के घर जाकर आंकड़े एकत्र किये गये और उनके कल्याण की योजनाएं बनाई गईं जिससे निर्धनतम् लोगों को भी योजना में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

नागरिक केंद्रित एप्स जैसे कि सड़कों से संबंधित फीडबैक हेतु *मेरी सड़क* एप तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों की तस्वीरें अपलोड करने के लिए *आवाससॉफ्ट* एप इत्यादि ने लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने में बहुत सहायता की है। सार्वजनिक सूचना अभियान के अन्तर्गत 1-15 अक्टूबर 2017 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन भी किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय में सार्वजनिक जांच के लिए कार्यक्रम के सभी उपलब्ध रिकार्ड एवं लाभार्थियों से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। मोबाईल आधारित जनसूचना प्रणाली भी शुरू की जाएगी ताकि संबंधित गांव से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम की जानकारी कोई भी ग्रामीण प्राप्त कर सके और अपने ज्ञान का संबर्द्धन कर सके। इसी प्रकार महिला स्वयं सहायता समूहों में सामाजिक लेखा परीक्षण के मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण तथा प्रमाणन द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षकों का एक कैडर तैयार किया गया है जिसे नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक के साथ विचार-विमर्श के उपरांत अधिसूचित किया गया है।

आयकर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तथा आधार के प्रयोग द्वारा पारदर्शिता

विभाग बैंकों/डाक घर खातों में आयकर व प्रत्यक्ष लाभ हस्तांरण हेतु लेन-देन आधारित मोबाईल सूचना प्रणाली के उपयोग में अग्रणी रहा है। मनरेगा के अंतर्गत 98 प्रतिशत पारिश्रमिक तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत शत-प्रतिशत भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्लेटफार्म पर होता है। कुल 5.9 करोड़ से भी अधिक मनरेगा श्रमिकों की सहमति से उनके बैंक खातों को आधार से जोड़ा गया है। पूर्व निर्धारित तिथियों पर निश्चित स्थानों पर गांवों में बैंकिंग अथवा डाकघर आउटलेट पर माइक्रो एटीएम स्थापित किये जाने से बड़े पैमाने पर सरल डिजिटल लेन-देन की शुरुआत संभव हो पायेगी। इससे श्रमिकों एवं पेंशनधारकों की समस्याएं भी दूर होंगी। महिला स्वयं सहायता समूहों के सामुदायिक रिसोर्स पर्सन्स ने बैंकिंग संवाददाता या बैंक सखी के रूप में कार्य करने की पहल की है। यह पहल काफी उत्साहजनक रहा है।

अंतरिक्ष तकनीक से पारदर्शिता व निगरानी

पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अंतरिक्ष तकनीक की शक्ति मनरेगा के तहत सृजित लगभग 2 करोड़ संपत्तियों को भौगोलिक टैग से पहचानने के रूप में अथक प्रयासों के तौर पर देखी जा सकती है। इसका और भी शक्तिशाली प्रयोग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 100 प्रतिशत लाभार्थियों को जीओ टैगिंग के पश्चात उनके पुराने आवास और अक्षांश/देशांतर ब्योरे सहित निर्माण कार्य की प्रगति की रिपोर्टिंग और अंतिम लाभार्थियों की सूची तैयार करने में निहित है। सभी जीओ टैग संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है और इसे कोई भी देख सकता है। इससे पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में वास्तविक सड़क निर्माण की दूरी सड़कों की सिधाई का निरीक्षण और उनके द्वारा बस्तियों को जोड़ने के लिए स्पेस तकनीक

का प्रयोग किया जाता रहा है। इसका प्रयोग मनरेगा द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सड़कों पर वृक्षारोपण की सफलता को जांचने के लिए भी किया जाता है। हमारे सामने अब सभी सड़कों पर इसे लागू करने और सभी मनरेगा संपत्तियों की जीओ टैगिंग से पहले, उसके दौरान और बाद में इसे पूरा करने की चुनौती है।

स्वयं सहायता समूहों के लिए बैंक ऋण

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक प्रोत्साहन और समूह संगठन के द्वारा प्रचुर सामाजिक पूंजी प्रमाणित हुई है। परंतु आर्थिक गतिविधियों के विकास और आजीविका के विविधीकरण पर जोर देने की आवश्यकता है। बैंक लिंकेज की पूर्ण निगरानी को वरीयता दी गई है क्योंकि गरीबी उन्मूलन के किसी भी प्रयास के अधीन उचित दरों पर संस्थागत ऋण उप्लब्ध ता आवश्यक है ताकि आर्थिक गतिविधियों का विविधीकरण हो सके। वार्षिक बैंक लिंकेज में 43 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य पार कर लेने से हमें पूर्ण विश्वास है कि 2018-19 में हम 60 हजार करोड़ का लक्ष्य भी पार कर लेंगे। स्वयं सहायता समूहों से कौशल विकास को अभिन्न रूप से जोड़ दिये जाने पर जनसामान्य द्वारा बैंक ऋण का प्रभावी उपयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

सड़क संपर्क को प्रोत्साहन

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में बेहतर सड़क संपर्क बेहद महत्वपूर्ण है। इससे बाजार तक लोगों की पहुंच बनती है और इसके दिहाड़ी मजदूरों की गतिशीलता में भी वृद्धि होती है। इसी कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2011-14 की अवधि में सड़क निर्माण की दर 70 किमी. प्रति दिन से बढ़ाकर 2016-17 में 130 किमी. प्रति दिन करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया गया है। लगभग 80 प्रतिशत आबादी को हर मौसम के अनुकूल सड़कों से जोड़ा जा चुका है और मार्च 2019 तक इसे शत-प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हरित एवं परिवर्तनशील तकनीकों जैसे कि अवशिष्ट प्लास्टिक, फ्लाई ऐश, जिया टेक्सटाइल, सेल फिल्ड कंक्रीट तथा कोल्ड मिक्स इत्यादि के इस्तेमाल में भी भारी वृद्धि की गई है ताकि सड़कों के पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त कार्यनीति बनाई जा सके। मध्य प्रदेश की सफल संरक्षण प्रणाली और उत्तराखण्ड में सामुदायिक संरक्षण के सफल प्रयोग अन्य राज्यों में भी लागू किये जायेंगे।

आवश्यकता आधारित कौशल विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास की जरूरत है। बड़े पैमाने पर नये ग्रामीण उपक्रम जैसे कि रिटेल व्यवसाय, किसान उत्पादक संगठन, कस्टम हायरिंग केंद्र, ग्रामीण यातायात प्रणाली, हस्तकला एवं हैंडलूम आदि का विकास समर्थन और सम्मिलन की योजनाबद्ध प्रणाली द्वारा ही संभव है। ग्रामीण विकास विभाग संबंधित विभागों, जैसे- कृषि, पशुपालन, एमएसएमई, केवीआईसी और टेक्सटाइल आदि के कार्यक्रमों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि फार्म और नॉन फार्म की दिशा में पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाया जा सके। ग्रामीण मजदूरों और अकुशल तकनीशियनों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं ताकि देश के 5 करोड़ से अधिक अकुशल दिहाड़ीदार लोगों की संख्या में कमी आ सके। इन सभी कार्यक्रमों का पुनरीक्षण सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा किया जाता है और इसके मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग ने अपने सभी प्लेसमेंट आधारित और स्वरोजगार स्किल कार्यक्रमों को स्किल मंत्रालय के सामान्य नियमों के अनुरूप रखा है ताकि आधारभूत मानकों और प्रोटोकॉल को यकीनी बनाया जा सके। डीडीयूजीकेवाई तथा आरएसईटीआई कार्यक्रमों में और भी सुधार किया जा रहा है ताकि उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके और प्लेसमेंट की गति में वृद्धि हो सके।

रूपांतरण के लिए नवीनीकरण को बढ़ावा

ग्रामीण विकास विभाग स्थानीय समुदायों और राज्यों की प्राथमिकताओं की दृष्टि से अत्यंत नवोन्मेषकारी है। तमिलनाडु के 80 फीसदी से अधिक गांवों में सॉलिड रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट और अब बिहार और छत्तीसगढ़ में एमजीएनआरईजीएस और डीएवाईएनआरएलएम का सम्मेलन नवीनीकरण के ही उदाहरण हैं। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस, रूरल ट्रांसपोर्ट स्कीम, मिशन वाटर कंजरवेशन और रूरल रोड गाइडलाइन्स क्षेत्र विशेष के अनुरूप तकनीक के विकास के लिए हाउसिंग टाइपोलॉजी अध्ययन और ग्रामीण आवास हेतु डिजाइन, एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत लाइवलीहुड इन फुल इंप्लाइमेंट (एलआईएफई) और एमजीएनआरईजीए वर्करों में कौशल विकास को बढ़ावा देना आदि इस अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर किये गये नवोन्मेष के ही उदाहरण हैं।

साक्ष्य आधारित निगरानी

बड़े पैमाने पर चलाये जाने वाले कार्यक्रमों की निगरानी और प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सशक्त एवं पारदर्शी एमआईएस, संपत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिओ टैगिंग का प्रयोग संस्थागत निरीक्षण संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष 600 जिलों का दौरा आदि हैं ताकि किसी विशिष्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन को जांचा जा सकता है। क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए वर्ष में दो बार आठ राज्यों में कॉमन रिव्यू मिशन आदि कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे बेहतर निगरानी रखने में आसानी हुई है। इसके अलावा डीएवाई-एनआरएलएम के आईआरएमए अध्ययन के लिए हाल ही में शुरू किये राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षण कार्यक्रम इत्यादि कुछ अन्य उपाय हैं जो निगरानी में सहायक हैं। जानकारी के विविधीकरण की आवश्यकता और अग्रणी तकनीकों के लिए विभाग ने परिणाम के मानव संसाधन, सूचना तकनीक का प्रयोग और चुनौतियां, आंतरिक लेखा परीक्षा, मार्केट लिंकेज और वैल्यू चेन में कुछ स्तरीय निपुण समूहों की स्थापना की है जिसमें सरकार से और सरकार के बाहर से बेहतरीन लोगों को आरडी कार्यक्रमों की उचित निगरानी के लिए संबद्ध किया जा सके।

कन्वरजेंस मोड को लागू करना

गरीबी से मुक्ति का भाव अभावग्रस्त लोगों के लिए अपने अभावपूर्ण जीवन से बाहर आने के सामाजिक अवसरों से है। मिशन अंत्योदय में इसी दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य गरीबी के विभिन्न आयामों का पता लगाना है। ❑

CHANAKYA IAS ACADEMY®

Also known as Chanakya Civil Services Academy

24 Years of Excellence, Extraordinary Results every year, 3000+ selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...

CHANAKYA IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.

under the direction of Success Guru AK Mishra

IAS 2018

Upgraded Foundation Course™

A Complete solution for Prelims, Mains & Interview

- Special modules on administrative traits by Success Guru AK Mishra & retired civil servants
- Intensive Classes with online support
- Offline/ Online test series for Prelims & Mains
- Pattern proof teaching
- Experienced faculty
- Hostel assistance

Separate classes in Hindi & English medium

Batches Starting From

10th September, 10th October, 10th November - 2017

Weekend Batches & Postal Guidance Also Available

To Reserve your seat - Call: 1800-274-5005 (Toll Free)

www.chanakyaiasacademy.com | enquiry@chanakyaiasacademy.com

HO/ South Delhi Branch: 124, 2nd Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateswara College, Near Dhaula Kuan, Delhi-21, Ph: 011-64504615, 9971989980/ 81
North Delhi Branch: 1596, Outram Line, Kingsway Camp, Delhi-09, Ph: 011-27607721, 9811671844/ 45

Our Branches
Ahmedabad: 301, Sachet III, 3rd Floor, Mirambika School Road, Naranpura, Ph: 7574824916
Allahabad: 10B/1, Data Tower, 1st Floor, Patrika Chauraha,Tashkand Marg, Civil Lines, Ph: 9721352333
Chandigarh: S.C.O. 45 - 48, 2nd Floor, Sector 8C, Madhya Marg, Ph: 8288005466
Guwahati: Building No. 101, Maniram Dewan Road, Silpukhuri, Near SBI Evening Branch, Kamrup, Ph: 8811092481
Hazaribagh: 3rd Floor, Kaushaliya Plaza, Near Old Bus Stand, Ph: 9771869233
Indore: 120, 1st Floor, Veda Business Park, Bhawarkuan Square, AB road, Ph: 8818896686
Jammu: 47 C/C, Opposite Mini Market, Green Belt, Gandhi Nagar, Ph: 8715823063
Jaipur: Felicity Tower, 1st Floor, Plot no- 1, Above Harley Davidson Showroom, Sahakar Marg, Ph: 9680423137
Ranchi : 1st Floor, Sunrise Forum, Near Debuka Nursing Home, Burdhwan Compound, Lalpur, Ph: 9204950999, 9771463546
Rohtak: DS Plaza, Opp. Inderprastha Colony, Sonipat Road, Ph: 8930018880
Patna: 304, 3rd Floor, Above Reliance Trends, Navyug Kamla Business park, East Boring Canal Road, Ph: 8252248158
Pune: Millennium Tower, 4th Floor, Bhandarkar Road, Deccan Gymkhana, Ph: 9067975862, 9622380843
Dhanbad (Information Centre): Univista Tower, Near Big Bazaar, Saraidhela, Ph: 9771463546

चेतावनी
छात्रों/अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि कुछ असम्बद्ध संस्थाएं ऐसे टेडमार्क/टेडनेम का इस्तेमाल कर रही हैं जो चाणक्य आईएएस एकेडमी/चाणक्य एकेडमी (1993 से सक्सेस गुरु एके मिश्रा के मार्गदर्कान में प्रोन्नत) के टेडमार्क/टेडनेम के समरूप/भ्रामक समान हैं। हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ये संस्थाएं हमसे सम्बद्ध नहीं हैं तथा ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी गयी है। सभी छात्रों को नामांकन कराने के पूर्व ऐसी एकेडमी/अध्ययन केन्द्र/संस्थान की प्रामाणिकता की पुष्टि कर लेनी चाहिए और अनुरोध किया जाता है कि समरूप/भ्रामक रूप से समान टेडमार्क/टेडनेम के तहत हो रही ऐसी किसी भी गतिविधि के बारे में 09650299662/3/4 पर फोन कर तथाinfo@chanakyaacademygroup.comपर ईमेल भेजकर हमें सूचित करें।

YH-717/2017

जातिवादमुक्त भारत की ओर

अमरजीत एस नारंग

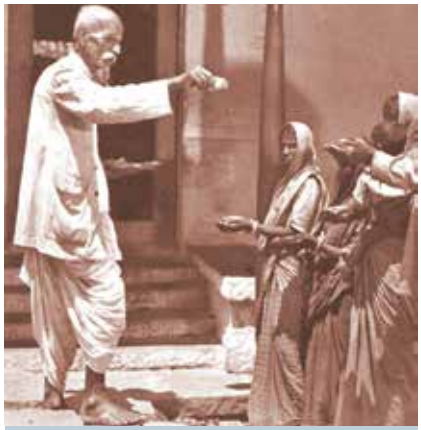

जातिवाद हमारे समाज के सामाजिक- आर्थिक व राजनीतिक कलेवर को प्रभावित कर रहा है। हां यह सच है कि सामाजिक परिदृश्य में जातियां धीरे-धीरे मर रही हैं। जीवन व कार्य की आधुनिक स्थिति ने कई कड़ी परंपराएं, धारणाएं व व्यवहार प्रस्तुत किए हैं। अब इंटर डायनिंग व अंतरजातीय विवाह टैबू नहीं रह गए हैं ख़ास कर शहरी इलाकों में, अधिकांश शिक्षित व्यक्ति तथा शैक्षिक संस्थाओं में जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। दूसरा सकारात्मक पहलू यह है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान, चुनाव, ख़ास कर लोकसभा चुनाव में जाति बैकसीट पर रही है

जातिवाद भारत की एकता के साथ-साथ इसके सामाजिक आर्थिक विकास की राह पर सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब हम एक ऐसे भारत की ओर देखते हैं, जो एकीकृत है, उन्नत व विकसित है, तब यह एक बड़े सामाजिक व राजनीतिक विभाजक बल के रूप में काम कर रहा है जो सामाजिक संघर्ष पैदा कर रहा है, स्थिरता, शान्ति व सौहार्द्र को भंग कर रहा है, चुनावी परिणामों को प्रभावित कर रहा है और गहन विधायी व कार्यकारी निर्णय लेने में भी कठिनाइयां पैदा कर रहा है। न सिर्फ हिन्दू बल्कि सभी भारतीय, बेशक वे सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध या कि इसाई हों, सभी जगहों पर जातिवाद किसी न किसी रूप में मौजूद है। राजनेताओं, नीति-निर्माताओं, समीक्षकों तथा महत्वपूर्ण नेताओं में इस बात की आपसी सहमति है कि निर्धनता, निरक्षरता और रोगों आदि से मुक्त एक मजबूत भारत बनाने के लिए और विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने के लिए जातिवाद का उन्मूलन सबसे ज़रूरी है।

जाति व्यवस्था

समीक्षकों व विद्वानों के मध्य जाति व्यवस्था की परिभाषा, उसके उद्भव और विभिन्न कालखंडों में इसकी भूमिका को लेकर काफी मतभेद है। अपने सबसे सामान्य और मूलभूत रूप में यह सामाजिक स्थिति व अनुक्रम की आरोपण प्रणाली है। यह पारंपरिक पेशेवर विशेषज्ञता से संबद्ध तथा सहभागिता संबंधी बाध्यताओं में प्रदर्शित परंपराओं सहित अंतर्विवाही संबंध आधारित सामाजिक विभाजन प्रणाली का एक प्रकार है। हालांकि, एक समय पर जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से संबद्ध थी, इसका मूल स्रोत धार्मिक ग्रंथों में नहीं पाया जाता। जाति व्यवस्था के बीज तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व विकास के आर्थिक, राजनीतिक व भौतिक प्रक्रियाओं में मिलते हैं। यह कभी भी भारतीय जीवन का एक नियत तथ्य नहीं रहा है किन्तु तत्समय के सामाजिक राजनीतिक व ऐतिहासिक परिदृश्य में जातिवाद बढ़ता रहा है। ब्रिटिश शासन से पूर्व, जातिवाद अलग रूप में रहा।

औपनिवेशिक समय में जाति

जाति लंबे समय से हमारे समाज की सच्चाई रही है, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति को भारतीय समाज के प्रमुख चरित्र के रूप में पहचाना गया। 1871 की पहली जनगणना जाति व्यवस्था व इसके वर्गीकरण के बारे में सूचना एकत्रित करने का प्रमुख उपकरण बन गया। नीरजा जयाल के अनुसार जनगणना की संख्या के अनुसार, जातियों व उपजातियों के निर्धारण ने अब तक अनचिन्हे रूप में रहे जाति पहचानों को निर्धारित करने में योग दिया है। खास तौर पर 1901 से 1911 के बीच वाली गणना ने जाति की पहचान को और दृढ़ रूप में स्पष्ट वर्गों में उभारने का कार्य किया।

ब्रिटिश शासकों ने *फूट डालो और राज़ करो* के औज़ार के रूप में जाति व्यवस्था का उपयोग किया। उन्होंने जाति व्यवस्था को सख्ती से लागू किया। उन्होंने सरकारी संस्थाओं की कार्य-प्रणाली में जाति का संस्थानीकरण किया। कुछ जातियों को ख़ास नौकरियों मसलन पुलिस व सेना के लिए वरीयता दी जाती थी, जबकि कुछ को अपराधी के रूप में ब्रांड किया जाता था। कुछ क़ानून भी जाति देख कर बनाए जाते थे। श्रीनिवास के अनुसार, इसका प्रभाव यह

लेखक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। वह ब्रॉक, मैक्गिल तथा क्वींस विश्वविद्यालय के अलावा शिमला स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में अध्येता भी रहे हैं। अनेकानेक शोध पत्र प्रकाशित तथा अनेक शोध पत्रिकाओं के संपादक मंडल में शामिल।
ईमेल: asnarang7@hotmail.com

हुआ कि इसने जाति चेतना व अंतरजातीय प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया क्योंकि अब जाति संबंधों के लिए अपनी क्षेत्रीय बाधाओं से उबरने और ब्रिटिश सरकार से अपने हित के लिए मोलभाव करने की दिशा में जातिगत समीकरण विकसित करना संभव था। जाति व्यवस्था के प्रणेता, जैसा कि जयाल ने लिखा है कि अब पारंपरिक व्यवस्था के सदस्य नहीं है लेकिन राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में भी बाहरी रहे। राष्ट्रीय नेताओं ने भेदभाव को कम करने और राष्ट्रीय संघर्ष में सामाजिक न्याय के मसले को शामिल करने का प्रयास किया पर अधिक सफल न हो सके।

स्वतंत्र भारत में जाति

औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति समूह पहचान के प्रति जागरूक व संगठित हुए। स्वतंत्रता के समय उनमें से कुछ अपनी ज़रूरतों व सरोकारों के प्रति काफी मुखर थे। संविधान निर्माता समतामूलक व सौहार्द्रपूर्ण समाज बनाने को प्रतिबद्ध थे। इसीलिए 1950 में संविधान ने समानता व स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के ज़रिए किसी भी तरह के भेदभाव और अस्पृश्यता के कारण जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया। इसी समय कुछ तबके के लंबे नुकसान को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाइयों की आवश्यकता के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए सकारात्मक कार्रवाई हेतु प्रावधानों को भी संविधान में शामिल कर दिया गया है। यह उम्मीद की गई कि सामाजिक आर्थिक विकास तथा बदलाव के साथ समाज एकीकृत होगा।

पिछले सात दशकों के दौरान, सामाजिक व आर्थिक परिदृश्य से जहां जाति का प्रभाव कम हो रहा है, वहीं राजनीति में इसे बढ़ावा मिल रहा है। जाति, हिंसा व आरक्षण के द्वंद्व से उभरते ध्रुवीकरण वाले नए जाति आधारित संगठन सामने आ रहे हैं। जाति ने अपने को देश की आर्थिक राजनीतिक ढांचे में अंत:स्थापित कर लिया है। युनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी में लोकतन्त्र अपनाए जाने के साथ निरक्षर व राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक नहीं रहने वालों, जो आर्थिक कार्यक्रमों, जाति, धर्म जैसे समुदाय सम्बन्धी जुड़ाव के संबंध में राजनीति को समझ सकते हैं। जाति व्यवस्था ने इसलिए लोकतंत्र के फ्रेमवर्क में राजनीतिक समाजीकरण, संग्रहण तथा सांस्थानीकरण की दिशा व वस्तु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है।

जातिवाद

जातिवाद अपने सामान्य रूप में जाति व उप जाति समूह के सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक लाभों को बढ़ाने की प्रवृत्ति है जो अन्य जाति के सदस्यों व समग्र रूप से समाज के लिए अहितकर है। यह प्राथमिक व अंतिम रूप से किसी जाति समूह की राजनीतिक निष्ठा की विचारधारा भी है, जिससे अपनी जाति के प्रति अंध भक्ति, जो यह मानता है कि इसके ज़रिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हितों की पूर्ति होगी, को बढ़ावा मिलता है। कभी-कभी, इसकी वज़ह से एक जाति के मन में दूसरी जाति के प्रति घृणा का भाव भी पैदा होता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि द्वितीयक समूह की सुविकसित राजनीतिक संरचना के अभाव में, पहले से तैयार (रेडीमेड) प्राथमिक जाति समूह शक्ति व विभाजक लाभों के मूल प्रतियोगी के रूप उभरा। सहयोग जुटाने की जड़ में राजनेतागण जातिगत निष्ठाओं का दोहन कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश विकास के प्रति उदासीन हैं। उनकी नज़र में लोकतंत्र व चुनाव शक्ति व सत्ता पाने का साधन भर है।

चुनावों में भाग लेने व उसे प्रभावित करने के अलावा, जाति का प्रयोग सही या गलत लाभों को प्राप्त करने के लिए दबाव समूह के रूप में भी किया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू आरक्षण के लिए या विरुद्ध दबाव रहा है। इसकी वजह से कई बार हिंसा हुई है जिससे सामाजिक संपत्ति को नुकसान व कानून के अनुरक्षण की दिशा में विचलन पैदा हुआ है।

चुनावों में भाग लेने व उसे प्रभावित करने के अलावा, जाति का प्रयोग सही या गलत लाभों को प्राप्त करने के लिए दबाव समूह के रूप में भी किया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू आरक्षण के लिए या विरुद्ध दबाव रहा है। इसकी वजह से कई बार हिंसा हुई है जिससे सामाजिक संपत्ति को नुकसान व कानून के अनुरक्षण की दिशा में विचलन पैदा हुआ है। इस रूप में जाति के राजनीतिकरण ने एकजुटता बनाई है जिससे जाति की भूमिका तय हो रही है जो नया व धर्मनिरपेक्ष है। जैसा कि मायरन विनर (2006) ने कहा है कि विडंबना है कि जाति व्यक्तिगत जीवन अवसरों के निर्धारण में कम महत्वपूर्ण हो गया है, वहीं राजनीतिक पहचान व सिविल समाज के संस्थागत घटकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अब यहां जाति आधारित शिक्षित संस्थाएं, होटल्स, हाउसिंग सोसायटी आदि हैं। हां, उनमे से कुछ वंचितों को मुख्यधारा में लाने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सामान्यत: जातिवाद सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ा रहा है और यह सामाजिक-आर्थिक विकास व नव आधुनिक भारत निर्माण के कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।

उन्मूलन की जरूरत

जातिवाद हमारे समाज के सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक कलेवर को प्रभावित कर रहा है। हां यह सच है कि सामाजिक परिदृश्य में जातियां धीरे-धीरे मर रही हैं। जीवन व कार्य की आधुनिक स्थिति ने कई कड़ी परंपराएं, धारणाएं व व्यवहार प्रस्तुत किए हैं। अब इंटर डायनिंग व अंतरजातीय विवाह टैबू नहीं रह गए हैं ख़ास कर शहरी इलाकों में, अधिकांश शिक्षित व्यक्ति तथा शैक्षिक संस्थाओं में जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। दूसरा सकारात्मक पहलू यह है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान, चुनाव, ख़ास कर लोकसभा चुनाव में जाति बैकसीट पर रही है। राजनीतिक दल विकास, भ्रष्टाचार, कार्यनिष्पादन, प्रशासन आदि सरीखे प्रमुख विषयों को उठा रहे हैं। हालांकि अब भी ऐसे दल हैं जो जिनके लिए अब भी जाति वोट जुटाने के लिए मुख्य कार्ड है। वे जाति सहयोग को बढ़ाने में लगे रहते हैं। जबकि चुनावों में विकास व प्रशासन के मुद्दे शामिल हो रहे हैं, फिर भी राजनीति में जाति की भूमिका सीमित अर्थों में ही कम हुई है, खासकर राज्य व निचले स्तरों पर। अत: जातिवाद उन्मूलन, या कम से कम इसे कम करना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।

जातिवाद हटाने की दिशा में पहला कदम है शिक्षा। शिक्षा का अभिप्राय महज़ औपचारिक साक्षरता या स्कूली शिक्षा नहीं है। इसमें जाति व्यवस्था से जुड़ी धारणाओं के बारे में जागरूकता का सृजन व प्रसार शामिल है। कई बार जाति को धर्म व धार्मिक अभ्यास का हिस्सा समझा जाता है जो सही नहीं है। मतदाताओं को शिक्षित किए जाने की ज़रूरत है कि कैसे या तो किसी जाति विशेष के लिए या समग्र समाज के लिए बिना किसी विकास के लाभों के जातिवादी नेताओं द्वारा उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है। स्कूलों में

शिक्षकों को विद्यार्थियों को साथ-साथ खाने व खेलने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है।

सामाजिक सांस्कृतिक असमानता का उन्मूलन समाज को आदिम समस्याओं से बाहर लाने के लिए अनिवार्य है। किसी भी जाति को कमतर या छोटा समझने से नेताओं को भेदभाव के खिलाफ उन्हें संगठित करने की वज़ह मिलती है। कुछ मामलों में सामाजिक और आर्थिक असमानता एकसाथ जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति से जुड़े अधिकांश जन निर्धन व वंचित होते हैं। लोकतंत्र में यह उन्हें एकत्रित होने और राजनीतिक प्रक्रिया में प्रतिभागिता की वज़ह देता है। जब किसी नियत समूह से भेदभाव होता है तो वे संगठित होकर कदम उठा सकते हैं, यद्यपि नेतागण इनका प्रयोग परोक्ष अभिप्रायों व निहित स्वार्थ के लिए कर रहे हैं।

सिविल सोसायटी की सामाजिक व राजनीतिक बदलावों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें जागरूकता प्रसारित करनी है और जाति व धर्म से परे मतदाताओं को संगठित करना है और उन्हें विकास की अनिवार्यता, चुनाव में जाति व धर्म के विरोध और उनका सामाजिक सौहार्द्र व संघर्ष पर नकारात्मक प्रभाव के बारे में अवगत कराना है। सिविल सोसायटी अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इस दिशा में चुनाव आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि जातिवाद का सबसे बड़ा कारण चुनावी राजनीति है। चुनाव आयोग को जाति के उपयोग को समाप्त करने की राह ढूंढने होंगे। चुनावों में स्टेट फंडिंग, आचार संहिता का सख्त पालन, मतदाताओं की शिक्षा आदि इस दिशा में मददगार हो सकते हैं।

लगभग सभी राजनीतिक दल चुनावों में जाति को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति के आलोचक हैं फिर भी टिकट देते वक्त और मतदाताओं को जुटाते वक्त वे जातिवादी नेताओं का चुनाव करते हैं। चुनावों में देखी गई हालिया प्रवृत्ति बताती है कि मतदाता जाति व समुदाय से ऊपर उठ चुके हैं।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण है राजनीतिक इच्छा शक्ति और सहमति। हालांकि लगभग सभी राजनीतिक दल चुनावों में जाति को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति के आलोचक हैं फिर भी टिकट देते वक्त और मतदाताओं को जुटाते वक्त वे जातिवादी नेताओं का चुनाव करते हैं। चुनावों में देखी गई हालिया प्रवृत्ति बताती है कि मतदाता जाति व समुदाय से ऊपर उठ चुके हैं और सरकार के कार्य-निष्पादन, नेतृत्व व विकास संबंधी मसलों को महत्त्व दे रहे हैं। इस प्रवृत्ति को मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। राजनीतिक दलों को अल्पावधि लाभों से ऊपर उठाकर राष्ट्र-निर्माण के दीर्घकालिक उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए, जिसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता का दावा वे करते हैं। लोकतंत्र महज़ चुनावों में जीतना या हारना नहीं है। यह उससे काफी अधिक है।

लोकतंत्र के सार्थक कार्य करने हेतु यह ज़रूरी है कि मतदाता समेत सभी प्रतिभागी, तार्किक व्यक्ति हों, जो स्व-सराहना उनकी खुद की व्यक्तिगत योग्यता के मूल्यांकन पर निर्भर हो, न कि किसी अन्य सामाजिक समूह की योग्यता पर, जिससे वह संबद्ध है। वे अपनी अपनी इच्छा से अपने मत का उपयोग करें न कि जाति, समुदाय, या सांप्रदायिक संबंध या कि दबाव पर। उम्मीद है कि हम भारतीय जागृत होंगे और स्वतंत्रता, समता, न्याय व बन्धुत्व के मूल्यों पर आधारित राष्ट्र के निर्माण में योग देंगे जिससे ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां सभी आजीविका, स्वास्थ्य-सेवा, शिक्षा व अपने व्यक्तित्व के विकास की संभावनाओं का लाभ उठा सकें। यही वह भारत है, जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी और जिसे हम 70 साल की आज़ादी के बाद भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। ❑

सन्दर्भ

- **बेतेली, आंद्रे (2012):** इण्डियाज डेस्टिनी नॉट कास्ट इन स्टोन द हिन्दू: 1 फरवरी
- **जयाल, नीरजा गोपाल (2006):** रीप्रेसेंटिंग इंडिया: एथनिक डाइवर्सिटी एंड द गवर्नेंस ऑफ़ पब्लिक इंस्टिट्यूशंस, हैम्पशायर: पालग्रेव
- **पालिशक्र, सुभाष व सूरी केण्सी (2014):** इंडियाज़ 2014 इलेक्शंस इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, अंक XLIX, वर्ष 39, सितंबर 27
- **विनर, मायरण (2002):** द स्ट्रगल फॉर इक्वैलिटी: कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इन कोहली अतुल (सं) द सक्सेस ऑफ़ इंडियाज़ डेमोक्रेसी, दिल्ली: फाउंडेशन बुक्स।

अटल पेंशन योजना के तहत अब तक 62 लाख पंजीकरण

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अपने 'एक देश एक पेंशन' अभियान के जरिए 3.07 लाख एपीवाई खाते खोले हैं जिसके साथ ही अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत अब तक कुल पंजीकरण की संख्या 62 लाख पहुंच गई है। पीएफआरडीए ने एपीवाई सेवा प्रदाता बैंकों के साथ मिलकर 2 अगस्त से 19 अगस्त तक देश भर में यह अभियान चलाया था। पंजीकरण की बढ़ती संख्या से परिसम्पत्ति का वित्तीयकरण होता है तथा लोग पेंशन उत्पादों की ओर रुख कर रहे हैं जिसमें पेंशन पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति, पति अथवा पत्नी को निश्चित पेंशन और नामिति को कॉर्पस वापस देने के लिए भारत सरकार की गारंटी निहित है।

इस अभियान के तहत देश के सबसे बड़े बैंकों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 51,000 एपीवाई खाते खोलने में सहायता की तथा अन्य प्रमुख बैंकों जैसे केनरा बैंक ने 32,306 एपीवाई खाते, आंध्र बैंक ने 29,057 एपीवाई खाते खोले, अन्य निजी बैंकों की श्रेणी में कर्नाटक बैंक ने 2641 एपीवाई खाते, आरआरबी श्रेणी में इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में 28,609 एपीवाई खाते खोले गए। मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में 5,056 एपीवाई खाते, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में 3,013 एपीवाई खाते, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक में 2,847 एपीवाई खाते और पंजाब ग्रामीण बैंक में 2,194 एपीवाई खाते खोले गए।

ऐसे समय में जब बचत बैंक सहित विभिन्न वित्तीय साधनों पर मिलने वाले ब्याज में कमी आ रही है, अटल पेंशन योजना इसे लेने वाले व्यक्ति को 8 प्रतिशत की निश्चित दर से रिटर्न की गारंटी देती है तथा 20-42 वर्ष तक योजना में बने रहने के बाद परिपक्वता के समय रिटर्न की दर 8 प्रतिशत से अधिक रहने की स्थिति में अधिक आय का अवसर भी प्रदान करती है। ❑

निर्माण IAS

सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.)

AIR 31

GS - 445 अंक
HIS. (OPT) - 310 अंक

मैं GS, टेस्ट सीरीज, इतिहास Q.P एवं साक्षात्कार सभी कार्यक्रमों में निर्माण IAS का नियमित छात्र रहा हूँ।

अन्य संस्थानों से केवल वैकल्पिक विषय एवं मॉक इण्टरव्यू के सन्दर्भ में जुड़ा था। समग्रतापूर्ण तैयारी केवल निर्माण IAS में ही की।

(Gaurav Kumar)
AIR-31

AIR 38

GS - 435 अंक
GEO. (OPT) - 291 अंक

UPSC की मेरी यात्रा सुखद व दुखद अनुभवों का मिश्रित रूप रही। यह मेरा पांचवा प्रयास था पहले 4 प्रयासों में सफलता न मिलने से दुख अवश्य हुआ किंतु हताशा नहीं हुई। मैंने अपना प्रयास जारी रखा। मेरी इस तैयारी के दौरान मुझे अपने परिवार जनों का भरपूर सहयोग मिला।

इसके साथ ही एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को परीक्षा हेतु बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करता है। गुरु न केवल शिष्य की सफलता में शामिल होता है बल्कि असफलता के क्षणों में शिष्य को आधार प्रदान करता है। मेरी तैयारी के दिनों में मेरे लिए भी निर्माण IAS के कमलदेव सर ने एक सच्चे गुरु की भूमिका अदा की। उनके मार्गदर्शन के बिना इस अभूतपूर्व सफलता को पाना हमेशा एक स्वप्न ही बना रहता जिसकी वास्तविकता में परिणिति संभव नहीं होती।

भविष्य के सिविल सेवा अधिकारियों हेतु मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं

शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया
AIR-38

सामान्य अध्ययन

फाउण्डेशन बैच

OCTOBER 1st WEEK

"CORRESPONDENCE COURSE AVAILABLE"

जो अभ्यर्थी किसी कारणवश दिल्ली संस्थान में नियमित कक्षाएं नहीं कर सकते उनके लिए संस्थान में पत्राचार कार्यक्रम उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के नोट्स इस तरह से तैयार किए गए हैं जिनमें कक्षा नोट्स और प्रिंटेड नोट्स का समायोजन है। इन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है जिससे अभ्यर्थी समसामयिक मुद्दों पर भी पकड़ रख सके। ये नोट्स अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क देने पर घर बैठ प्राप्त कर सकते हैं।

PH: 011-47058219

Delhi (Head Office)

996, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh), Delhi - 110009

PH.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797

ALLAHABAD	GWALIOR	JAIPUR
10/14, Elgin Road, Civil Line, Allahabad (U.P.):- 211001, Ph:- 09984474888	2/3 Aziz Complex, New Khera Pati Colony Phool Bagh Gwalior (MP), Ph. : 09753002277	M-85, JP Phatak Under Pass Jaipur Ph. : 7580856503

Website: www.nirmanias.com E-mail: nirmanias07@gmail.com nirman.ias

YH-730/2017

किसान के हित में नई कृषि प्रणाली

जगदीप सक्सेना

किसानों को जीवनयापन के साधन और निरंतर आय सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एक प्रमुख योजना है जो एक फसल, एक दर आधार पर बहुत कम प्रीमियम पर सभी प्रकार के अनाजों, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह खड़ी फसलों की रोपाई से लेकर फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों तक फसल के पूरे जीवन चक्र के दौरान सुरक्षा प्रदान करती है। अब तक 5.75 करोड़ से अधिक किसानों को इसमें शामिल किया जा चुका है तथा कई अन्य के शामिल होने की उम्मीद है

नवभारत केंद्र सरकार का बड़ा और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण है जो देश को समृद्ध, स्वस्थ, शिक्षित और स्वच्छ तथा हरे-भरे राष्ट्रों में बदलने के लिए है। हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि मुख्य मुद्दा बना हुआ है क्योंकि यह लगभग 55 प्रतिशत श्रमशक्ति के जीवनयापन का जरिया है तथा राष्ट्रीय जीडीपी में इसका 14 प्रतिशत योगदान भी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी है तथा कई सुधार लागू किए हैं। इसे और बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता जताई है।

नई योजनाओं और प्रोत्साहनों के लिए पर्याप्त सहायता और निधि उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में निरंतर वृद्धि की है जो पिछले बजट की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अब 1.87 ट्रिलियन रुपए हो गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग 274 मिलियन टन के खाद्य उत्पादन नए कार्यक्रमों और नीतियों की सफलता का प्रमाण है जिसमें मेहनती किसानों, प्रगतिशील वैज्ञानिकों, सहायक कर्मचारियों और अन्य हितधारकों का भी योगदान है।

इसके अलावा, वर्ष 2011-14 की तुलना में वर्ष 2014-17 के दौरान मछली उत्पादन और दुग्ध उत्पादन में भी क्रमशः 20 प्रतिशत और 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि क्षेत्र की कुल वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत थी जिसे 10.4 तक बढ़ाना होगा ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

नयी योजनाओं के जरिए रणनीतिक प्रयास

कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने नयी कृषि प्रणालियों और किसानों की समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके नए भारत के दृष्टिकोण को अमल में लाने के लिए सात-बिंदुओं वाली रणनीतिक योजना बनाई है। रणनीतिक योजना विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत चार-खंड की रिपोर्ट का हिस्सा है जो किसानों की आय दोगुनी करने के तरीकों और साधनों की विस्तार से व्याख्या करती है। रणनीतिक योजना का लक्ष्य विशेष रूप से किसानों की औसत आय को 2015-16 के 96,703 रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 तक 193,400 रुपए करना है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अवधि के दौरान 1,486 ट्रिलियन रुपए (2004-05 के मूल्यों पर) के संचयी निजी और सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता होगी। यह रणनीति कुल मिलाकर फसलों का उत्पादन बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कटाई के बाद होने वाले नुकसानों को कम करने तथा कृषि बाजार के सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है। रिपोर्ट बताती है कि अंतिम प्रसंस्करण सुविधाएं, फसल बीमा के जरिए जोखिम कम करना और आपदा से राहत तथा बागवानी एवं दुग्ध उत्पाद जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना आदि प्राथमिकता में हैं।

सरकार बूंद दर बूंद, *अधिक फसल* अभियान के तहत पानी के उपयोग की

लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के पूर्व मुख्य संपादक हैं। ईमेल: jgdsaxena@gmail.com

बूंद दर बूंद, अधिक फसल
लघु सिंचाई के अधीन दुगुना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- **4510.55 करोड़ रुपये जारी**
- **ड्रिप तथा स्पिंकलर सिंचाई वाले क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी**

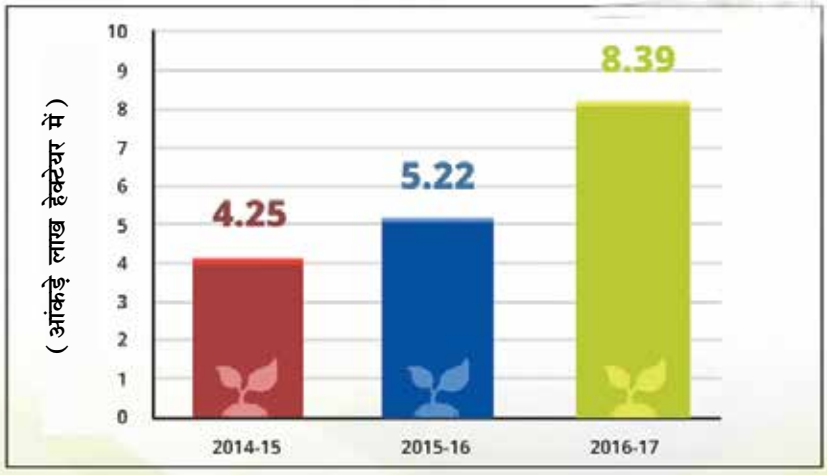

कुशलता को बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही है। यह अभियान विशेष रूप से माइक्रो-सिंचाई तकनीकों के जरिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने पर ध्यान देता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत किए गए प्रयासों के कारण माइक्रो-सिंचाई के तहत क्षेत्र 2013-14 में 4.3 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2016-17 में 8.3 लाख हो गया है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस (2017) के अपने संबोधन में बताया है कि पीएमकेएसवाईके तहत 30 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 50 परियोजनाओं का काम जारी है।

सरकार की विशिष्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को खेती की लागत कम करने में मदद कर रही है क्योंकि यह योजना रसायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग सुनिश्चित करती है तथा सतत आधार पर मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाती है। देश भर में खेतों की मिट्टी के व्यापक विश्लेषण के आधार पर अब तक किसानों को 7.1 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का लक्ष्य जैविक कृषि के क्षेत्र को बढ़ाना है क्योंकि यह खेती की लागत कम होने और जैविक उत्पादों का अधिक मूल्य मिलने के कारण किसानों को अधिक आय प्राप्त होना सुनिश्चित करती है। वाणिज्यिक स्तर पर जैविक खेती अपनाने के लिए क्लस्टर निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। अब तक, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से 9,100 से अधिक क्लस्टर बनाए गए हैं जो जैविक उत्पादों को एकत्र करने और संभावित बाजारों तक पहुंचाने में भी सहायता करते हैं।

किसानों को जीवनयापन के साधन और निरंतर आय सुनिश्चित करने के लिए *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना* (पीएमएफबीवाई) एक प्रमुख योजना है जो *एक फसल, एक दर* आधार पर बहुत कम प्रीमियम पर सभी प्रकार के अनाजों, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह खड़ी फसलों की रोपाई से लेकर फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों तक फसल के पूरे जीवन चक्र के दौरान सुरक्षा प्रदान करती है। अब तक 5.75 करोड़ से अधिक किसानों को इसमें शामिल किया जा चुका है तथा कई अन्य के शामिल होने की उम्मीद है क्योंकि इस

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए तीन वर्षीय रूपरेखा

- ग्रामीण बीज कार्यक्रम को 30,000 गांवों से बढ़ाकर 60,000 गांवों तक फैलाया जाएगा तथा पंचायत स्तर पर 500 बीज उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- स्थानीय उद्यमियों के जरिए मिट्टी की जांच के लिए 1,000 लघु प्रयोगशालाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
- नाबार्ड के जरिए 5,000 करोड़ रुपए के निर्धारित कॉर्पस को प्रचालनरत किया जाएगा तथा 4.8 हेक्टेयर भूमि को माइक्रो-सिंचाई के तहत लाया जाएगा।
- 2020 तक तीन मिलियन हेक्टेयर को शामिल करने के लिए दालों और तिलहनों के लिए चावल की परती भूमि के उपयोग के जरिए खेती की गहनता को एक मिलियन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।
- कटाई के बाद की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए पांच लाख एमटी कोल्ड स्टोरेज, 1,000 भंडारण स्थल और 150 राइनिंग चैंबर स्थापित किए जाएंगे।
- 350 कृषक उत्पादक संगठनों के जरिए 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि में जैविक कृषि की जाएगी।
- 585 कृषि बाजारों को ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा जाएगा।
- अल्पावधि ऋणों को वर्तमान में 43 प्रतिशत से बढ़ाकर 2018-19 तक 50 प्रतिशत करके छोटे और सीमांत किसानों को अधिक मात्रा में शामिल करना।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित बीमा योजना के तहत शामिल कुल फसल क्षेत्र को 2017-18 और 2018-19 में बढ़ाकर क्रमशः 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत करना।
- मार्च 2018 तक 16,000 से लेकर 50,000 गांवों से अधिक मात्रा में एकमुश्त दूध इकट्ठा करके दूध अधिप्राप्ति अवसंरचना को सुदृढ़ करना।
- नील क्रांति को बनाए रखने के लिए मछलीपालन को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तर्ज पर राष्ट्रीय मवेशी विकास एजेंसी का गठन।
- उपज के स्तर को बढ़ाने तथा फसलों को विपरीत स्थितियों का सामने करने के योग्य बनाने के लिए जीनोमिक्स जीन संशोधन प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास।
- पोषण भोजन (प्रोटीन, जिंक, विटामिन-ए और एंटी-ऑक्सीडेंट) के लिए जैव-सुदृढ़ीकरण में अनुसंधान एवं विकास
- पशुओं के लिए ताप सहन करने वाली दवाइयों का विकास। ❑

योजना का लक्ष्य शामिल किए गए फसल क्षेत्र को 2016-17 में 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017-18 में 40 प्रतिशत करना है। इसके साथ ही यह योजना कृषि में निवेश को बढ़ावा दे रही है और उसे आकर्षित कर रही है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अधिक बाजार मूल्य का मिलना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) नामक एक नई पहल व्यापार और लेन-देन के लिए साझा ई-प्लेटफार्म पर 13 राज्यों की 410 मंडियों को एकीकृत करके इस मुद्दे का समाधान कर रही है। अब तक 69 मदों के लिए व्यापार संबंधी मानदंड निर्धारित किए जा चुके हैं और 45 लाख से अधिक किसानों ने स्वयं को ई-नाम प्लेटफार्म पर पंजीकृत कराया है। यह सुधार मजबूरन बिक्री और बिचौलियों को हटाकर किसानों की आय को बढ़ाने में सफल रहा है। अतिरिक्त प्रभाव के रूप में, मदों का थोक मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है और विशेषज्ञों के अनुसार, फसलों की कीमतों में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी किसानों की आय को 9.1 प्रतिशत बढ़ाती है। तथापि, किसानों द्वारा प्राप्त की जाने वाले कीमतों को बढ़ाने तथा परिणामस्वरूप किसानों की आय बढ़ने के काफी अवसर मौजूद हैं। लेकिन किसानों की आय पर इसका वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए इन योजनाओं और कार्यक्रमों को समय-बद्ध तरीके से लागू करना होगा।

अधिक लाभ के लिए उत्पादकता बढ़ाना

हाल में, नीति आयोग ने *किसानों की आय दोगुनी करना* विषय पर नीतिगत दस्तावेज प्रस्तुत किया जो मूलभूत स्तर पर कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताता है। यह दस्तावेज

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का लक्ष्य जैविक कृषि के क्षेत्र को बढ़ाना है क्योंकि यह खेती की लागत कम होने और जैविक उत्पादों का अधिक मूल्य मिलने के कारण किसानों को अधिक आय प्राप्त होना सुनिश्चित करती है। वाणिज्यिक स्तर पर जैविक खेती अपनाने के लिए क्लस्टर निर्माण हेतु किसानों को प्रेरित किया जा रहा है।

प्रति इकाई भूमि की उत्पादकता तथा इस प्रकार खेत के उसी टुकड़े से किसानों की आय बढ़ाने में सिंचाई और नई प्रौद्योगियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। आक्रामक विस्तार तंत्र और किफायती मूल्यों पर बीमा की आपूर्ति होने से किसानों द्वारा उच्च पैदावार वाली नई और उन्नत फसलों को अपनाया जा रहा है।

देश के शीर्ष अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने उत्पादकता को नए स्तर पर ले जाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 600 प्रकार की उन्नत फसलों का विकास किया है। इसके साथ ही, उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए खेतों में नई कृषि प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रचार करना आवश्यक है। उपग्रही खेती, एकीकृत खेती, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां और संरक्षित खेती कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें काफी क्षमता और संभावना है। इसी प्रकार भूमि को समतल करने के लिए लेजर तकनीक, सटीक बीजरोपक और बुआई मशीन जैसी नई मशीनरी और आधुनिक कृषि पद्धतियां जैसे एसआरआई (चावल गहनता प्रणाली), सीधे रोपे गए धान, जीरो टीलेज,

बेड प्लांटेशन को उठाना और मेढ़ बनाने में किए जाने वाले निवेश में भी आकर्षक लाभ की संभावना है जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है।

भूमि की प्रति इकाई आय को बढ़ाने के लिए फसल की गहनता को बढ़ाना भी प्रौद्योगिकीय रूप से एक अच्छा विकल्प है। सिंचाई सुविधाओं और नई तकनीकों की उपलब्धता के साथ ही किसानों के लिए मुख्य फसलों (खरीफ और रबी) के बाद छोटी अवधि की फसलें उगाना संभव हो गया है। इसी प्रकार, लाभ को बढ़ाने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल का विकास किया गया है। ये मॉडल विपरीत मौसम में भी अधिक स्थायी आमदनी प्रदान करते हैं। उच्च मूल्य वाली फसलों (फल, सब्जियां, रेशे, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे) की विविधता भी किसानों की आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है। अन्य संबद्ध उद्यमों की विविधता के जरिए भी किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है जैसे वनरोपण, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण आदि। हाल के समय में सरकार द्वारा उठाए गए कदम संबद्ध और गैर-कृषि क्षेत्रों में बेहतर आय के लिए कृषक समुदाय के कौशल को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

नया दृष्टिकोण

पहले के समय में, सरकार का दृष्टिकोण और रणनीति मुख्यत: खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना रहा है। बाद में नीति निर्माताओं ने किसानों की आय बढ़ाने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने की जरूरत को महसूस किया। पहले कदम के तौर पर, भारत सरकार ने 2015 में कृषि मंत्रालय का नाम बदल कर कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय कर दिया। तब से भारत सरकार विभिन्न सुधारों, नीतियों और पहलों के जरिए 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों में लगी हुई है। तदनुसार, नये दृष्टिकोण का लक्ष्य अनाज की कमी को दूर करना तथा किसानों और गैर-कृषि कार्यों में संलग्न व्यक्तियों की आय में समानता लाना है। अपने नए दृष्टिकोण के साथ भारतीय कृषि क्षेत्र नवभारत के सपने को पूरा करने में जुट गया है। ❑

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के नि:शुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

YH-655/5/2017

तीन तलाकः मुश्किलों से मिली मुक्ति

आर के सिन्हा

जहां ज्यादातर मुसलमान मर्द तीन तलाक को जारी रखने के हक में थे, वहीं औरतें इसका भारी विरोध कर रही थीं। भारत की 92.1 फीसदी मुसलमान महिलाएं फटाफट होने वाले मौखिक तलाक पर रोक लगवाना चाह रही थीं। ये आंकड़े एक सर्वे के बाद भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) नाम के एक संगठन ने जारी किए थे। न्यायालय के इस आदेश से बेशक इन औरतों की मुराद पूरी हो गई है, लेकिन इन्हें अब भी इस बाबत एक ठोस कानून का इंतजार है

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। इस फैसले ने मुसलमान औरतों को तीन तलाक (तलाक-ए-बिदअत यानी एक साथ तीन तलाक) की बर्बर कुप्रथा से मुक्ति दिलवा दी है। फ़ैसले में तीन तलाक पर केंद्र सरकार को छह महीने के भीतर संसद से कानून बनाने का भी आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान तीन तलाक पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन तलाक को 3-2 के बहुमत से असंवैधानिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास से सबक लिया और 1986 में शाह बानो के गुजारा भत्ता वाले मामले में याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार कर तीन तलाक पर अपनी ओर से कोई अंतिम फैसला न देकर इसको संसद पर छोड़ दिया था। हां, अपना मंतव्य जरूर जाहिर कर दिया। कुल मिलाकर यह तय हो गया कि देश में अब तलाक की इस कुप्रथा का अंत हो गया। बताने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का भरोसा दिया था।

जीती मानवता

कहते हैं कि न्याय अंधा होता है। वरना न्याय की देवी की दोनों आंखों पर पट्टी नहीं बंधी होती। इसका पता चल गया। हालांकि, कई कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन तीन तलाक को जारी रखने की पुरजोर वकालत भी कर रहे थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुसलमान औरतों को जीवनदान दे ही दिया। इस फैसले के आने से पहले तक यह कहा जा रहा था कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही यह तय हो जायेगा कि मानवता जीतती है या सांप्रदायिकता और अमानवीयता।

सुप्रीम कोर्ट के पांच में से तीन जजों न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने तीन तलाक को पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया। वहीं मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर ने इसे कुरान सम्मत न मानते हुए भी लंबे समय से प्रचलन में होने के चलते धर्म का हिस्सा मानते हुए हस्तक्षेप योग्य नहीं माना। इस पर तीनों जजों ने मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की राय का विरोध किया। तीनों जजों ने तीन तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया। जजों ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। इस फैसले का मतलब यह है कि कोर्ट की तरफ से इस व्यवस्था को बहुमत के साथ खारिज किया गया है। कोर्ट ने मुस्लिम देशों में तीन तलाक पर लगे रोक का जिक्र किया और पूछा कि भारत इससे आजाद क्यों नहीं हो सकता? कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद को इस मामले पर कानून बनाना चाहिए। कोर्ट ने कानून बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है।

पाप है तीन तलाक

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने अल्पमत में दिए फैसले में कहा कि तीन तलाक लंबे समय

लेखक राज्य सभा सदस्य और संवाद समिति हिन्दुस्थान समाचार के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन पत्रकारिता के माध्यम से आरंभ किया और आपातकाल के दौरान छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ गये। तब से लगातार राजनीति में हैं। ईमेलः rkishore.sinha@sansad.nic.in

गौरतलब है कि न तो कुरान में तलाक का प्रावधान है, न ही हदीस में। हां, कुरान में अवश्य एक स्थान पर कहा है कि अल्लाह को जिन चीजों से नफरत है उसमें तलाक सबसे ऊपर है। न तो रसूल ने और न ही किसी नबी ने अपनी किसी बीबी को तलाक दिया।

से धर्म से जुड़ा मामला है, इसलिए न्यायालय इसमें दखल नहीं देगा। हालांकि दोनों जजों ने यह भी माना कि यह पाप है, इसलिए सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और तलाक के लिए कानून बनाना चाहिए। निर्विवाद रूप से केन्द्र सरकार अब मुसलमान औरतों के हक में सशक्त कानून लेकर आएगी।

मुसलमान औरतों के शत्रु कौन

जब मुसलमान औरतों को तीन तलाक से मुक्ति दिलवाने की मुहिम चली तो अपने को मुसलमानों का रहबर और रहनुमा कहने वाले मुस्लिम नेता ही विरोध करने लगे। ये लोग पत्रकार वार्ता कर कह रहे थे कि वे सरकार की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। इनके पत्रकार सम्मेलनों में पुरुष तो भरे होते थे, पर कोई औरत नहीं होती थी। ये मुसलमान औरतों को आज भी मध्ययुगीन काल में ही रखना चाहते हैं। तीन तलाक के मसले पर सरकार के प्रगतिशील रुख का ये विरोध कर रहे थे।

जिन दिनों तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी तब मुझे एक दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य

मिल गए। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। एक, तीन तलाक कानून में बदलाव से आपकी ही बेटियों को और अधिकार हासिल होंगे, इससे किसी हिन्दू का क्या लेना-देना? दूसरा, अगर तमाम मुस्लिम देशों ने इस कानून को खत्म कर दिया है और इसमें उनका इस्लाम आड़े नहीं आया तो फिर आपको यह कैसे लगता है कि इससे इस देश में मुस्लिमों के अधिकारों या उनके धर्म पर कोई आंच आयेगी? इन सवालों के वे जवाब नहीं दे सके। बिना बात की बहस में उलझे रहे। यदि यह कौम अब तक अंधेरे से निकल नहीं पाई तो उसका सबसे बड़ा कारण इनके तथाकथित नेता ही हैं।

गौरतलब है कि न तो कुरान में तलाक का प्रावधान है, न ही हदीस में। हां, कुरान में अवश्य एक स्थान पर कहा है कि अल्लाह को जिन चीजों से नफरत है उसमें तलाक सबसे ऊपर है। न तो रसूल ने और न ही किसी नबी ने अपनी किसी बीबी को तलाक दिया। हां, एकाध को जब अपनी बीबी से मतभेद हुआ तो उसने उस बीबी को किसी अलग मकान में रख दिया। सारे सुख-सुविधा के इंतजाम किये।

शादी, तलाक और गुजारा भत्ता के लिए कोई सही नियम नहीं होने की वजह से अधिकतर मुसलमान औरतों को बदतर जिंदगी बितानी पड़ती रही है। कोई माने या न माने, पर मुसलमान औरतों के हक में मुस्लिम समाज का रुख वास्तव में बहुत ही भेदभावपूर्ण रहा है। अब निश्चित रूप से हालात बदलेंगे। जहां ज्यादातर मुसलमान मर्द तीन तलाक को जारी रखने के हक में थे, वहीं औरतें इसका भारी विरोध कर रही थीं। भारत की 92.1 फीसदी मुसलमान महिलाएं फटाफट होने वाले मौखिक तलाक पर रोक लगवाना चाह रही थीं। ये आंकड़े एक सर्वे के बाद भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) नाम के एक संगठन ने जारी किए थे। न्यायालय के इस आदेश से बेशक इन औरतों की मुराद पूरी हो गई है, लेकिन इन्हें अब भी इस बाबत एक ठोस कानून का इंतजार है।

एक सख्त कानून बनाना होगा जिससे इनके हक स्थायी रूप से सुरक्षित रहें। कानून ऐसा हो जिससे मुस्लिम महिलाएं एक अच्छी जिन्दगी जी सकें। नवंबर में शुरू होने वाले संसद के शरदकालीन सत्र में ही यह विधेयक पारित करके सरकार को यह सिद्ध करना चाहिए कि वह सभी महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए संकल्पित है। ❑

नवभारत में नवाचार

उन्नत पंडित

यह रचनात्मकता तथा नवाचार को सच्चे अर्थों में मजबूत करने के 'क्रिएटिव इंडिया-इनोवेटिव इंडिया' के सपने को पूरा करने वाली लंबी यात्रा की शुरुआत भर है और इस प्रकार उद्यमिता को बढ़ावा देती है तथा सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को बल प्रदान करती है। भावी भारत के छात्र देश को प्रत्येक भारतीय के लिए महानता एवं गौरव वाला बनाएंगे, देश भर में विकास करेंगे, आमूल- चूल संरचनात्मक सुधार लाएंगे ताकि नवाचारों के जरिये कायाकल्प को प्रोत्साहित करते हुए अभूतपूर्व पहलों के माध्यम से सतत विकास प्राप्त किया जा सके

भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, ऐसे में उसे नई ऊर्जा देने के साथ परिवर्तन लाने और उसका नव निर्माण करने का समय आ गया है। *नया भारत*, जो प्रेरणा देगा, प्रोत्साहित करेगा, प्रशासन को बदलकर रख देगा, सरकार के साथ साझेदारी के लिए शक्ति प्रदान करेगा और देश के समावेशी विकास पर जोर देगा। प्रधानमंत्री के अनुसार *प्रत्येक नागरिक देश की विकास यात्रा में कुछ न कुछ योगदान कर सकता है।* नया भारत, जो एक साथ आने और देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। नए भारत के निर्माण के लिए पहल में वास्तविक स्वतंत्रता, एकता तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने का अविश्वसनीय अवसर।

नीति आयोग द्वारा उठाया गया सबसे पहला कदम, जहां सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने इसे हकीकत में बदला है, *चैंपियंस ऑफ चेंज* था, जिसमें विभिन्न उद्योगों के उद्यमियों को सरकार के साथ सीधे संवाद का और अपने सपनों के नए भारत के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया। सरकार की निर्णय करने वाली शीर्ष टीम ने प्रस्तुतियां सुनी हैं और उनमें दिए गए बिंदुओं से जाहिर हुआ है कि ये सुधार की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं/चुनौतियों के हरेक आयाम निश्चित रूप से प्रभावी प्रशासन एवं उनके नीति निर्माण में लाभकारी होंगे। यह पहल युवाओं की उत्सुकता, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ाकर ऐसे और भी रचनात्मक एवं अनूठे प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों की रचना तथा व्यवस्थागत सुधारों में मदद करने के लिए है ताकि युवाओं के सपनों का नया भारत बनाया जा सके।

प्रशासन के तरीके में बदलाव

प्रशासन को प्रभावी बनाने हेतु सरकार ने सामने दिखने वाले सुधार किए हैं, जैसे 1200 ऐसे कानून खत्म करना, जो निष्प्रभावी थे, लेकिन प्रचलन में थे (प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिये समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र की पहुंच बढ़ाना, प्रशासन के लिए कठिन प्रक्रियाएं समाप्त करना और उसे स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाना) सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जनधन, आधार, मोबाइल) के जरिये साझेदारी करने और कारोबार करने का मौका मुहैया कराना। प्रभावशाली प्रशासन ने सभी राज्यों में वृद्धि तथा सकारात्मकता देने वाली ऊर्जा भर दी है। राज्यों को समाज की सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है। लैंगिक समानता, कृषि विकास, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, गतिशीलता, संचार, वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल कायाकल्प तथा कई अन्य शानदार कदम नए भारत का मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं।

भारत का लक्ष्य *दस लाख बच्चों और युवाओं को कल का नवाचारी* बनाने का है। नवोन्मेष विकास की ओर उसी प्रकार ले जाता है, जैसे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया था। उन्होंने राष्ट्र की सेवा में लगे प्रत्येक व्यक्ति को विशेष होने का अनुभव कराया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को जनांदोलन में बदल दिया था। उसी प्रकार हमें भारत के विकास को जनांदोलन बनाने की जरूरत है। जब हम साथ मिलकर काम करेंगे तो सामने आई प्रत्येक समस्या को हल

लेखक बौद्धिक संपदा एवं नवाचार पेशेवर हैं। औषधीय रसायन विज्ञान में शोध पूरा करने के साथ ही वह बौद्धिक संपदा (आईपी) एवं नवाचार में रुचि रखते हैं। उन्होंने आईपी में विशेषज्ञता के साथ एलएलबी भी किया है और आईआईएम लखनऊ से कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम भी किया है। अनुसंधान, आईपी और नवाचार में उनका 15 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव है। फिलहाल वह नीति आयोग के *अटल नवाचार मिशन* के साथ काम कर रहे हैं। ईमेल: pandit.unnat@nic.in

कर सकते हैं। नए भारत के निर्माण की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना एक समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। अटल नवाचार मिशन, राष्ट्रीय आईपीआर नीति, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नीति आयोग द्वारा आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे सरकार के प्रमुख कदम विकास को ऊर्जा देने जा रहे हैं।

अटल नवाचार मिशन (एम)

इस मिशन की स्थापना शिक्षा व्यवस्था में नवाचार, उद्यमिता और परिवर्तन के जरिये देश की वृद्धि तेज करने के लिए की गई है। 'बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोचना है और अब क्या सोचना है।' किंतु हम उन्हें यह सिखाते रहते हैं कि 'सतर्क रहो। बाहर मत जाओ। बात मत करो। वहां मत चढ़ो। गंदे मत रहो। यह मत करो, वह मत करो। और यह सूची बढ़ती जाती है...'

हम मानते हैं कि ये निर्देश हमारे अनुभवों पर आधारित होते हैं। धीरे-धीरे बच्चे की मानसिकता पर ये ही हावी होने लगते हैं, जिससे उनके भीतर डर, पक्षपात और ऐसा रवैया पनपने लगता है, जिसमें उत्सुकता और विश्वास बिल्कुल नहीं होता। परिणामस्वरूप हो सकता है कि बच्चे के कम दोस्त बनें, वह कम सामाजिक समूहों का हिस्सा बने और कम पुस्तकें पढ़े। ऐसा बच्चा प्रेरणा, उत्साह से दूर रह सकता है और प्रोत्साहन से वंचित हो सकता है। ऐसी पाबंदियां थोपकर हम वयस्क अक्सर भूल जाते हैं कि अपने बचपन में हमने जो भी सीखा है, उसमें से अधिकतर अनुभव और आग्रह के कारण थे।

सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अपने छात्रों को जन्मजात कौशल अच्छी तरह से ढूंढने के लिए तीन आवश्यक मानसिक गुण प्रदान करते हैं:

1. विवेचनापूर्ण विचार शक्ति,
2. सुरक्षा का भाव और
3. प्रत्येक स्थिति में शांति के साथ सोचने की क्षमता।

बच्चों के शौक और रुचि जो भी हों, उनके माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा उन्हें सही बात को सही तरीके से समझना सिखाया जाना चाहिए।

'औसत बच्चा रोजाना कई सरल और मूर्खता भरे प्रश्न पूछता है, लेकिन 10 या 12 वर्ष की आयु में जब बच्चा स्कूल का अभ्यस्त होता है, तब तक वह जान चुका होता है कि प्रश्न पूछने से अधिक महत्वपूर्ण है सही उत्तर प्राप्त करना।'

छोटे दिमाग में बड़े विचारों का विकास

जोखिम भरे क्षेत्रों में हरेक इंच पर बारूदी सुरंगें हाथों से हटाना और तलाशना बहुत कठिन, खतरनाक और मेहनत भरी प्रक्रिया होती है। सुरंगों से पटी जमीन से सभी वनस्पतियां हटानी चाहिए और मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जानी चाहिए। जब खतरे की आशंका वाली कोई वस्तु मिलती है तो उसे सावधानी के साथ निकाला जाना चाहिए और समाप्त किया जाना चाहिए।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उत्तराहल्ली, बेंगलूरु के छात्रों ने अटल टिंकरिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर दृष्टिहीनों के लिए पहनने वाला ऐसा यंत्र बनाया, जिसमें सेंसर होता है, जो पराश्रव्य (अल्ट्रासॉनिक) तरंगों का प्रयोग कर बाधाओं का पता लगा लेता है। यह कंपन तथा ध्वनियों के जरिये पहनने वाले को सूचित कर देता है और दुर्घटनाओं से बचने में उनकी मदद करता है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाथबंद, छत्तीसगढ़ के छात्रों को इस समस्या से निपटने के लिए निश्चित किए गए कौशल को सुधारना तथा सुरंग का पता लगाने वाले ऐसे उपकरण तैयार करना सिखाया गया, जिसमें अच्छी तकनीक का इस्तेमाल हो। कोई भी उपकरण सेंसर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करता, जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को पकड़ती है, जिसके बाद एक अलार्म सुरंग होने का संकेत दे देता है। उपकरण को स्मार्ट फोन या ब्लूटूथ जैसे दूर स्थित उपकरण से नियंत्रित किया जा सकता है और मौजूदा तंत्रों की अपेक्षा यह बहुत तेज होती है। इसके नमूने में 9 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल होता है और केवल 5 मिनट में इसे असेंबल किया जा सकता है।

दुनिया भर में दृष्टिहीन व्यक्ति अपने रास्ते में किसी भी बाधा का पता लगाने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि दुर्घटना न हो। किंतु हर बार यह पूरी तरह सुरक्षित तरीका नहीं होता। गति पर निर्भर रहने से यह सुनिश्चित नहीं होता कि हमेशा दुर्घटना से बचाव हो जाएगा। सरल किंतु प्रभावी प्रौद्योगिकी पर आधारित समाधान की जरूरत है, जिससे दृष्टिहीन लोगों की मदद हो सके और उन्हें प्रभावी तरीके से रास्ता पता चल सके।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उत्तराहल्ली, बेंगलूरु के छात्रों ने अटल टिंकरिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर दृष्टिहीनों के लिए पहनने वाला ऐसा यंत्र बनाया, जिसमें सेंसर होता है, जो पराश्रव्य (अल्ट्रासॉनिक) तरंगों का प्रयोग कर बाधाओं का पता लगा लेता है। यह कंपन तथा ध्वनियों के जरिये पहनने वाले को सूचित कर देता है और दुर्घटनाओं से बचने में उनकी मदद करता है।

एटीएल के छात्र दृष्टिहीनों के लिए क्रांतिकारी समाधान उपलब्ध कराकर जोश में आ गए और सरल लेकिन प्रभावी समाधान के साथ उनकी मदद करना चाहते थे।

इस समय सभी दफ्तरों और मल्टीप्लेक्स इमारतों में भारी भरकम अग्निशामक यंत्र होते हैं क्योंकि भीड़ और संकरी सड़कों के कारण समय पर अग्निशमन दल की सेवा मिल ही

नहीं पाती। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सस्ते और प्रभावी तथा बड़े पैमाने पर प्रयोग के लायक समाधानों की आवश्यकता है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 37बी, चंडीगढ़ के छात्रों ने अटल टिंकरिंग लैब के जरिये मिली शिक्षा द्वारा रिमोट से नियंत्रित ध्वनि तरंगों पर आधारित अग्निशामक यंत्र विकसित करने का प्रयास किया है।

छात्रों ने ऐसा रोबोट तैयार किया है, जो ध्वनि प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर आग बुझाने में मदद कर सकता है। इसके लिए रोबोट को किसी भी दूर के स्थान से नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने के लिए यह कम आवृत्ति (40 से 400 हर्ट्ज) वाली तरंगों का प्रयोग करता है। प्रौद्योगिकी पर आधारित इस नए समाधान उपकरण का वजन कम है और इसे उठाकर ले जाना आसान है।

गलियों में पानी भरना गंभीर समस्या हो गई है। द बेस्ट हाई स्कूल, अहमदाबाद के छात्रों को भारी बारिश के दिनों में कई बार छुट्टी करनी पड़ती थी। उनके स्कूल की ओर जाने वाली सड़कें सामान्य स्तर से कम ऊंचाई पर हैं, इसलिए बारिश के दौरान पानी सड़कों पर भर जाता है। कभी-कभी तो लोगों के लिए आना-जाना असंभव हो जाता है और यातायात धीमा होने से मुश्किल बढ़ जाती थी।

छात्रों ने अटल टिंकरिंग लैब के अपने अनुभव के जरिये ऐसे नमूने पर काम किया है, जो किसी भी इलाके में बारिश के दौरान जमा हुए पानी की मात्रा नाप लेता है और उसकी सूचना नगर पालिका तथा क्षेत्र के पर्यवेक्षक के पास भेज देता है ताकि समय पर सही कदम उठा लिए जाएं और बहुत देर न होने पाए।

ऐसी ही समस्या सुलझाने के लिए केंद्रीय विद्यालय रेलवे, मालीगांव, असम के छात्रों ने अलग तरीका अपनाया और ऐसी स्मार्ट प्रणाली पर काम किया है, जो मोबाइल फोन कनेक्टिविटी और एसएमएस अलर्ट सिस्टम के जरिये सड़कों पर जलस्तर का पता लगाती है और शहर के विभिन्न हिस्सों में डिसप्ले के जरिये यात्रियों को सतर्क करती है ताकि ट्रैफिक जाम न हो जाए। उन्होंने ऐसे उपकरण पर भी काम किया है, जो वन क्षेत्रों के करीब कॉलोनियों में घुस आने वाले तेंदुओं का पता लगा लेता है। वन अधिकारियों की मदद

द बेस्ट हाई स्कूल, अहमदाबाद के छात्रों छात्रों ने अटल टिंकरिंग लैब के अपने अनुभव के जरिये ऐसे नमूने पर काम किया है, जो किसी भी इलाके में बारिश के दौरान जमा हुए पानी की मात्रा नाप लेता है और उसकी सूचना नगर पालिका तथा क्षेत्र के पर्यवेक्षक के पास भेज देता है ताकि सही कदम उठा लिए जाएं और बहुत देर न होने पाए।

से सतर्क करने की ऐसी प्रणाली लगाई जा सकती है, जो उस स्थान का पता बता देती है, जहां से तेंदुए अंदर घुसे हैं और जब भी तेंदुआ जंगल से निकल कर शहर में घुसता है तो प्रशासन को सतर्क भी कर देती है। तेंदुआ नागरिकों को नुकसान पहुंचाए, उससे पहले ही अधिकारियों को उपाय करने के लिए सतर्क कर दिया जाता है।

समाधान छोटे हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में प्रौद्योगिकी वाला दृष्टिकोण अपनाने के कारण उत्साहजनक हैं। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना जीवन प्रौद्योगिकी के जरिये समाज का कायाकल्प करने में बिता दिया और हमेशा देश के छात्रों तथा युवाओं को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में भी यकीन किया। प्रत्येक भारतीय उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकता है। जीवित रहते हुए डॉ. कलाम ने सदैव शिक्षक के रूप में याद किए जाने की इच्छा जताई। वे जानते थे कि 21वीं शताब्दी में भारत के छात्र और युवा हमारे देश की बुनियाद को मजबूत कर सकते हैं। छात्रों तथा युवाओं में विवेचनात्मक विचार को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें 'एकदम नया' सोचने लायक बनाना, अपने आसपास की चुनौतियों को समझने तथा रोजाना सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्हें 'उनकी नाकामियों और तथ्यों के जरिये सीखने दीजिए, अनूठा बनने का मौका उन्हें दीजिए।' उन्होंने जो देखा है, उस पर आधारित अपने विचारों को व्यक्त करने में उन्हें हिचक नहीं होनी चाहिए।

डॉ. कलाम अपने छात्रों और युवाओं को बताया करते थे कि जीवन में बड़े लक्ष्य रखने चाहिए क्योंकि छोटा लक्ष्य रखना अपराध है! इसलिए ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने लायक विचार प्रक्रिया के निर्माण में छात्रों की मदद की जाए और उन्हें अपने विचारों को अपनी समस्याओं के समाधान लायक बनाने दिया जाए, जो बाद में नवाचार को जन्म देंगे। इससे उन्हें नई वस्तुओं की खोज करने तथा अपनी खोज साझा करने की क्षमता विकसित करने की प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार वे अपनी कृति का आनंद उठाएंगे और अपनी खोज को उत्कृष्ट बनाने का नया बल भी उन्हें मिलेगा। उन्हें जमीनी स्तर की समस्याएं सुलझाने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित (स्टेम) का महत्व पता चलने दीजिए। इससे उनके भीतर किसी भी समस्या का सर्वोत्तम समाधान प्राप्त करने की विश्लेषण क्षमता विकसित होगी।

सफल होने के लिए किसी को भी लगातार सीखना होता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम करना होता है। डॉ. कलाम अपने छात्रों से 'नायक' बनने के लिए कहा करते थे। शिक्षकों और माता-पिता के लिए भी यह समझना महत्वपूर्ण है कि आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य

प्राप्त करने के लिए उन्हें स्वयं को जीवन भर छात्र ही मानना होगा। यदि वे अभी तक प्राप्त ज्ञान से ही संतुष्ट हो जाते हैं तो नुकसान उन्हें ही होगा।

हर किसी को बच्चे की तरह अपनी रचना और खोज को साथियों, सहपाठियों या शिक्षकों के साथ साझा करने में आनंद मिलता है, जो उनके लिए प्रोत्साहन का सबसे बड़ा जरिया है। सामाजिक प्राणी होने के कारण हम सकारात्मक प्रोत्साहन एवं मान्यता के भूखे होते हैं - जो किसी बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। जब शिक्षक और माता-पिता उनके काम को सकारात्मक टिप्पणी के साथ सराहते हैं और साथ देते हैं तो उनके भीतर स्टेम के प्रति सम्मान एवं प्रेम जन्म लेने लगता है। यह उत्साहवर्द्धन कक्षा में टिप्पणियों और प्रशंसा के रूप में हो सकता है।

इस प्रकार की मान्यता से ऊर्जा, उत्साह तथा सम्मान में वृद्धि होती है, जिससे छात्र नई चुनौतियों के लिए तैयार हो जाता है। वयस्कों के लिए उनके पेशेवर करियर में भी यही बात लागू होती है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, माइकल डेल और ढेरों दूसरे उद्यमी एक दिन में तैयार नहीं हो गए थे। छात्रों को अपने अनुभव से यह सीखना पड़ेगा कि किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ किसी समय नौसिखिये भर थे। हर किसी का सम्मान पाने लायक व्यक्तित्व तैयार करने में उन्हें वर्षों का समय लग गया। उन्होंने गलतियों में कुछ गंवाया नहीं है बल्कि उनसे भी सीखा है।

अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य युवाओं के मन में उत्सुकता, रचनात्मकता तथा कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना है। अटल टिंकरिंग लैब हमारे देश की उभरती प्रतिभा को ऐसा मंच प्रदान करेंगी, जहां वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से तथा यकीन के साथ व्यक्त कर सकेंगे और गंभीर प्रश्नों को हल करने के लिए विचार गढ़ सकेंगे।

अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य युवाओं के मन में उत्सुकता, रचनात्मकता तथा कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना है। अटल टिंकरिंग लैब हमारे देश की उभरती प्रतिभा को ऐसा मंच प्रदान करेंगी, जहां वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से तथा यकीन के साथ व्यक्त कर सकेंगे और गंभीर प्रश्नों को हल करने के लिए विचार गढ़ सकेंगे। लैब युवा छात्रों को रचनात्मक मंच प्रदान करेगी, जिसमें स्टेम शिक्षा, संचार, रोबोटिक्स और अन्य प्रायोगिक व्यवस्थाओं में काम करने की किट होंगी, जिनकी मदद से वे सीख और खेल सकेंगे।

अटल टिंकरिंग लैब छात्रों को रोजमर्रा की समस्याओं के तकनीकी समाधान मुहैया कराने के लिए मंच का काम करेंगी और अनुसंधान तथा नवाचार के लिए युवाओं का आह्वान करेगी। उन्हें ठोस अवसर तथा इनक्यूबेटर की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे वे उद्यमिता के योग्य बन सकें। लैब की योजना प्रयोग के जरिये सीखने के विचार का प्रयोग करने की है ताकि ये साधन और वैज्ञानिक उपकरण प्रदान कर रचना एवं नवाचार का जुनून उत्पन्न हो सके। इस समय 33 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 941 स्कूलों और भारत के 55 प्रतिशत जिलों में अटल टिंकरिंग लैब काम कर रही है और इस वर्ष 1300 और भी अटल टिंकरिंग लैब खोलकर भारत के सभी जिलों - सभी स्मार्ट सिटी तक फैलाने का सपना है। उनकी योजना समूची भावी युवा पीढ़ी तक अटल टिंकरिंग लैब को पहुंचाने की है, चाहे वे युवा शहरों में हों, कस्बों में हों या गांवों में हों।

कार्यक्रम का प्रभाव बढ़ाने के लिए छात्रों और शिक्षकों दोनों को ही संरक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया जाएगा। यह रचनात्मकता तथा नवाचार को सच्चे अर्थों में मजबूत करने के 'क्रिएटिव इंडिया-इनोवेटिव इंडिया' के सपने को पूरा करने वाली लंबी यात्रा की शुरुआत भर है और इस प्रकार उद्यमिता को बढ़ावा देती है तथा सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को बल प्रदान करती है।

भावी भारत के छात्र देश को प्रत्येक भारतीय के लिए महानता एवं गौरव वाला बनाएंगे, देश भर में विकास करेंगे, आमूल-चूल संरचनात्मक सुधार लाएंगे ताकि नवाचारों के जरिये कायाकल्प को प्रोत्साहित करते हुए अभूतपूर्व पहलों के माध्यम से सतत विकास प्राप्त किया जा सके। ❑

संदर्भ

- नीति आयोग द्वारा आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का उद्बोधन।

स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि

राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान के बाद 16 अगस्त से 8 सितंबर तक देश भर में स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि नामक एक और अभियान चलाया गया जिसमें निबंध, लघु फिल्म और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिसमें स्कूली बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया।

लघु फिल्म प्रतियोगिता: इसमें लोगों को स्वच्छता विषय पर 2-3 मिनट की फिल्में बनाने तथा यह दिखाने का अनुरोध किया गया कि वे स्वच्छ भारत अभियान में किस तरह योगदान कर सकते हैं। फिल्म का विषय था 'भारत को स्वच्छ बनाने में मेरा योगदान'। लघु फिल्म सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में बनाई जा सकती है।

दो आयु वर्ग में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे 0-18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक। प्रत्येक वर्ग के तीन विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।

निबंध प्रतियोगिता: इसमें लोगों को स्वच्छता विषय पर निबंध लिखने तथा यह बताने के लिए आमंत्रित किया कि वे स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत रूप से किस तरह योगदान दे सकते हैं। निबंध का विषय 'स्वच्छ भारत के लिए मैं क्या कर सकता हूं/सकती हूं?' निबंध किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में लिखा जा सकता था।

तीन विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य और जिला स्तर पर भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) और विकलांग व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया गया तथा राष्ट्रीय पुरस्कारों में उन्हें विशेष सम्मान दिया जाएगा।

चित्रकला प्रतियोगिता: स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। चित्रकला प्रतियोगिता का विषय था 'मेरे सपनों का स्वच्छ भारत'। यह प्रतियोगिता केवल कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए थी। ❑

एकात्म मानववाद की कसौटी पर नवभारत आंदोलन

शिवानन्द द्विवेदी

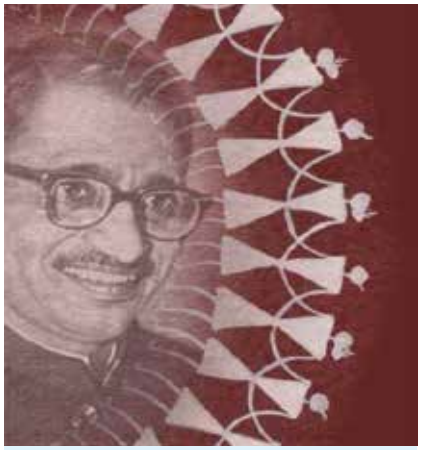

जिस न्यू इण्डिया की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके केंद्र में 'व्यक्ति' है। यहां व्यक्ति का आशय आम मनुष्य के उत्थान से है। सामाजिक और आर्थिक रूप से जब व्यक्ति का उत्थान होगा, तो व्यक्ति-व्यक्ति मिल कर समाज का उत्थान करेंगे और फिर राष्ट्र समाज के माध्यम से उत्थान की ओर अग्रसर होगा। व्यक्ति ऐसा हो, जिसमें स्वावलंबन का भाव हो, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आस्था हो और भारतीयता में गर्व की अनुभूति हो। न्यू इंडिया के निर्माण का यह आन्दोलन दीनदयाल जी के ही वैचारिक दर्शन अन्त्योदय की अवधारणा को धरातल पर उतारता नजर आ रहा है

प्रधानमंत्री जब न्यू इण्डिया के संकल्प को पहली बार देश के सामने रख रहे थे, तब उनके कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे ही होने वाले थे। उन्होंने न्यू इण्डिया के तहत तय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संकल्प लेते हुए वर्ष 2022 तक, यानी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, इसे पूरा करने की मंशा भी जताई। उन्होंने कहा था कि न्यू इंडिया के संकल्प का सही समय यही है। हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे, जहां गरीब के पास पक्का घर होगा, बिजली होगी, पानी होगा; देश का किसान चिंता में नहीं, चैन से सोएगा, आज वह जितना कमा रहा है, उससे दोगुना कमाएगा; युवाओं और महिलाओं को उनके सपने पूरे करने के लिए भरपूर अवसर मिलेंगे; आतंकवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद से मुक्त होगा; जहां भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से कोई समझौता नहीं होगा और जो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और स्वराज के सपने को पूरा करेगा।'

न्यू इण्डिया के संकल्प को प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2017 को भी लाल किले की प्राचीर से देश के सामने रखा है। न्यू इण्डिया के अंतर्गत देश को बेघरी से मुक्त करने, स्व-रोजगार व आत्मनिर्भरता के असीमित अवसर उपलब्ध कराने, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। न्यू इण्डिया में केवल आर्थिक विकास को तरजीह न देते हुए सामाजिक विकास से जुड़े विषयों, जैसे- स्वच्छता को बढ़ावा देने, जातिवाद से समाज को मुक्त करने और सम्प्रदायवाद को समाप्त करने का लक्ष्य भी निहित है। न्यू इण्डिया के संकल्पों और तय लक्ष्यों को लेकर हो रहे प्रयासों के बीच यह मूल प्रश्न उभरकर आता है कि आखिर इस न्यू इण्डिया की अवधारणा की वैचारिक बुनियाद क्या है?

अवधारणा

इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यू इण्डिया के संकल्प को प्रधानमंत्री ने एक आन्दोलन का स्वरूप दिया है और इसे उसी रूप में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। न्यू इण्डिया महज आर्थिक विकास का कोई मॉडल नहीं है बल्कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की संरचना को एक 'सामान्य व्यक्ति' की जरूरतों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि विकास के लक्ष्यों को केन्द्रित करते हुए एक विकासवादी मॉडल के रूप में 'न्यू इण्डिया' शब्द का प्रयोग पहली बार प्रधानमंत्री ने किया है। हां, यह सच है कि विकासवादी मॉडल के आशय से स्वतंत्रता के बाद 1950-51 के बाद इस शब्द का प्रयोग दुबारा नहीं किया गया। पचास के दशक के आसपास डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुछ भाषणों में 'न्यू इण्डिया' की अवधारणा का जिक्र मिलता है जिसे *श्यामा प्रसाद मुखर्जी - हिज विजन ऑन एजुकेशन* में देखा जा सकता है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 27 नवंम्बर 1937 को *विश्वविद्यालयों की भूमिका* विषय पर पटना विश्वविद्यालय में दिया गया एक भाषण उल्लेखनीय है। यहां रोचक तथ्य यह है कि अपने भाषण में 1937 में उन्होंने *न्यू इण्डिया* की अवधारणा रखी थी। आज आठ दशक बाद उनके विचारों को प्रेरणा रूप में लेने वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में *न्यू इण्डिया* के संकल्प को पुनः दोहराया है। उन्होंने तब कहा था कि अगर विश्वविद्यालय *न्यू इण्डिया* के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं तो भारतीय सभ्यता का

लेखक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च फेलो हैं। ईमेलः saharkavi111@gmail.com

हमारी परम्परा और संस्कृति हमें यह बताती है कि मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं का पिंड नहीं अपितु वह एक अध्यात्मिक तत्व है... देश और काल की विभिन्न परिस्थितियों के कारण भी हमारे विकास का मार्ग पश्चिम से भिन्न होना चाहिए। हम मार्शल और मार्क्स से बुरी तरह बंध गए हैं। अर्थशास्त्र के जिन नियमों की उन्होंने विवेचना की है, हम उन्हें शाश्वत मानकर चल रहे हैं।

इतिहास, इसकी संस्कृति, इसकी मजबूती एवं सुदृढ़ता, इसकी अखंडता एवं एकता को प्रेरणा रूप में प्रस्तुत करते हुए ज्ञान एवं योग्यता के साथ जीवन में समर्पित एवं निस्वार्थ भाव से आत्मसात करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का दायित्व है कि वे भारतीय धरोहरों, विरासतों एवं सत्य ज्ञान विश्विद्यालय के माध्यम से प्रसारित करें।

आगरा विश्वविद्यालय में 23 नवंबर 1940 को दिए भाषण में मुखर्जी ने विश्वविद्यालयों के स्त्री-पुरुष, छात्र-छात्राओं को मातृभूमि के लिए एकजुट होने की बात की थी। यहां भी उन्होंने *न्यू इण्डिया* का जिक्र किया था। उनका मानना था कि *न्यू इण्डिया* का सपना संघर्षों, अथक परिश्रम एवं बलिदान से प्राप्त होगा।

न्यू इण्डिया के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाने और उस दौर की पड़ताल करने की जरूरत है, जब देश स्वतंत्रता के बाद विकास की शुरुआती बुनियाद को रख रहा था। तब देश के विकास का मॉडल क्या हो, इस सवाल पर कभी मतैक्य नहीं रहा। देश पर सत्ता का पहला और लंबा अवसर पंडित जवाहर लाल नेहरू को मिला था। विकास के मॉडल की बहस और वाद-विवाद के बीच पंडित नेहरू को 'समाजवाद' के आर्थिक मॉडल ने अत्यधिक आकर्षित किया। उनकी नीतियां समाजवाद के आर्थिक सिद्धांतों के बेहद करीब नजर आती थीं। लेकिन भारत और भारतीयता के अनुरूप समाजवाद के वे सिद्धांत उस रूप में असरकारक नहीं साबित हुए, जिस आकर्षण के साथ इसको अपनाया गया था। यहां मूल समस्या यह थी कि समाजवाद को जिस रूप में सिद्धांतों में समझा गया वह व्यवहारिकता में ठीक उलट साबित हुआ।

दीनदयाल जी का आर्थिक चिंतन

कालक्रम में चलते हुए समाजवाद के मूल सिद्धांतों को जब व्यवहारिकता की कसौटी पर कसकर देखते हैं तो 'सरकारवाद' बनाम 'समाज' के दो पाट नजर आते हैं। इसमें एक पाट पर सरकारें ताकतवर और मजबूत होती गयीं और दूसरे पाट पर समाज की शक्ति लगातार कम होती गयी। देश में एक तबका ऐसा था जो पंडित नेहरू के इस मॉडल से सहमत नहीं था। अनेक विद्वानों का मानना था कि पंडित नेहरू समाजवाद के जिस आकर्षण में भारत की दशा-दिशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं, वह न भारत के अनुकूल है और न ही भारतीयता के अनुकूल है। उस दौरान समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा को एकांगी एवं अर्थकेन्द्रित बताते हुए जिन लोगों ने विरोध स्वरूप विकल्प की बात की, उनमें एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रमुख हैं।

विकास के आयातित सिद्धांतों की आलोचना में पंडित दीन दयाल उपाध्याय के विचार उल्लेखनीय हैं। उन्होंने *भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा* नामक अपनी पुस्तक में कहा है, "स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे दृष्टिकोण में अंतर आया है। अब हम प्रत्येक प्रश्न को आर्थिक दृष्टिकोण से देखते।" उन्होंने यह भी कहा है, "हमारी परम्परा और संस्कृति हमें यह बताती है कि मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं का पिंड नहीं अपितु वह एक अध्यात्मिक तत्व है... देश और काल की विभिन्न परिस्थितियों के कारण भी हमारे विकास का मार्ग पश्चिम से भिन्न होना चाहिए। हम मार्शल और मार्क्स से बुरी तरह बंध गए हैं। अर्थशास्त्र के जिन नियमों की उन्होंने विवेचना की है, हम उन्हें शाश्वत मानकर चल रहे हैं।"

इन कथ्यों के आधार पर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि दीन दयाल उपाध्याय नेहरू के विकास के मॉडल से सहमत नहीं थे। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद की विचारधारा को एकांगी और आयातित मानकर खारिज करते हुए पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने भारतीयता की जिस विकासवादी दृष्टिकोण को अपने सिद्धांतों में प्रतिपादित किया, प्रधानमंत्री के 'न्यू इण्डिया' के तय लक्ष्य उसी विकासवादी दृष्टिकोण को आगे बढाने की दिशा में एक प्रयास की तरह नजर आते हैं।

दीनदयाल द्वारा प्रस्तुत 'अन्त्योदय' की अवधारणा में मनुष्य को एक आर्थिक प्राणी के रूप में न देखकर उसकी तमाम जरूरतों, (जैसे-सामाजिक जरूरतें, सांस्कृतिक विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन) की पूर्ति का समग्रता में चिन्तन किया गया है। शासन की नीतियां जब कतार के अंतिम व्यक्ति की समग्र जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए और उसकी पहुंच को उस तक सुनिश्चित किया जाए, तब जाकर सही मायने में अंत्योदय की अवधारणा को व्यवहारिक जामा पहनाया जा सकता है। अन्त्योदय की इस कसौटी पर अगर केंद्र सरकार के तीन वर्षों की पड़ताल करें तो कई ऐसी घोषणाएं, नीतियां और योजनाएं हैं जो न्यू इण्डिया के लक्ष्यों से मेल खाती हैं।

दीन दयाल जी का मानना था कि अर्थ की अति प्रधानता और अर्थ का अभाव दोनों ही उचित नहीं है। आर्थिक विकास को एकमेव लक्ष्य मानकर चलने का यह नुकसान होता है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति को अर्थतंत्र से जोड़कर नहीं रख पाते हैं। इसका दुष्प्रभाव भारत में भी पिछले दशकों से देखने को मिला है। जबकि भारतीय अर्थचिंतन में अर्थ को धर्म का मूल बताते हुए कहा गया है कि "सुखस्य मूलं धर्म, धर्मस्य मूलमर्थ:"। आज अन्त्योदय की कसौटी पर अगर देश के अर्थतंत्र का मूल्यांकन करें तो स्वतंत्रता के सात दशक बीतने के बावजूद समाज के अंतिम छोर पर खड़ा एक विशाल तबका मुख्यधारा से लाभान्वित नहीं हो सका।

बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बावजूद 45 वर्ष बाद भी देश में एक बड़ा तबका ऐसा था जिसका बैंक खाता तक नहीं खुल सका था। अर्थात, न तो बैंकों तक उस गरीब की पहुंच हो सकी थी और न ही बैंक ही

दीनदयाल द्वारा प्रस्तुत 'अन्त्योदय' की अवधारणा में मनुष्य को एक आर्थिक प्राणी के रूप में न देखकर उसकी तमाम जरूरतों, जैसे-सामाजिक जरूरतें, सांस्कृतिक विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, की पूर्ति का समग्रता में चिन्तन किया गया है। शासन की नीतियां जब कतार के अंतिम व्यक्ति की समग्र जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए और उसकी पहुंच को उस तक सुनिश्चित किया जाए, तब जाकर सही मायने में अंत्योदय की अवधारणा को व्यवहारिक जामा पहनाया जा सकता है।

अंतिम व्यक्ति के अनुकूल अर्थव्यवस्था

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात शुरुआती दशकों में समाजवादी अर्थनीति का बोलबाला रहा था। योजना आयोग की संरचना एवं बैंकों के राष्ट्रीयकरण आदि में समाजवादी अर्थनीति की छाप स्पष्ट दिखाई देती रही है। हालांकि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समाजवाद की अर्थनीति से मूर्त रूप दे पाने और देश को गरीबी, भुखमरी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मुद्दों पर कारगर समाधान दे पाने में उस दौर की नीतियां अलग-अलग कारणों से सफल नहीं हो सकीं। इस बीच देश के कुछ राज्यों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण वाली कम्युनिस्ट दलों की सरकारें भी लंबे समय तक सत्ता में बनी रहीं, लेकिन वहां भी कुछ परिवर्तन हुआ हो, ऐसा नहीं दिखा। नब्बे के दशक में जब देश आर्थिक तंगी की कगार पर पहुंच चुका था, तब समाजवादी विचारधारा के लोग भी कमोबेश मानने लगे थे कि परम्परागत तरीके से समाधान नहीं निकलना है। परिणामतः उसी कांग्रेस की सरकार को अपनी अर्थनीति में बदलाव करना पड़ा। इस बदलाव के परिणाम को हम 'नब्बे के दशक में हुए आर्थिक सुधार' के तौर पर जानते हैं। किसी ने उसे उदारवाद के प्रवेश के तौर पर देखा तो किसी ने उसे भारत में पूंजीवाद की बुनियाद रखे जाने के तौर पर देखा। हालांकि उस दौर में जो निर्णय लिया गया उसने एक डूबती हुई अर्थव्यवस्था को फौरी राहत देकर पुनः खड़ा करने में सफलता जरूर हासिल की, लेकिन अलग-अलग कारणों से वह भी एकमेव समाधान बनकर नहीं उभर सका। ऐसे में जब समाजवाद, मार्क्सवाद और उदारवाद को भारत के सन्दर्भों में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने पूर्ण आयातित विचारधाराओं को अपनाया लेकिन उनका भारतीय दृष्टिकोण से कभी मूल्यांकन नहीं किया। आज देश में जिस राजनीतिक दल की सत्ता है, उसकी विचारधारा एकात्म मानववाद है। यह विचारधारा न तो समाजवाद है और न ही मार्क्सवाद ही है। इस विचारधारा के मूल में भारतीय चिन्तन है, जो व्यक्ति को एक आर्थिक प्राणी न मानकर उसके समग्र जरूरतों का एक कड़ी में अध्ययन करता है। व्यक्ति एक इकाई है जिसकी बहुआयामी जरूरतें हैं। वह अध्यात्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है, सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति और इस पूर्ति के बीच एक स्वाभाविक संतुलन दे पाने के साथ *अन्त्योदय* की अवधारणा को पंडित दीन दयाल उपाध्याय अपने वैचारिक दर्शन में रखते हैं। इस विचारधारा के साथ आज प्रधानमंत्री ने न्यू इण्डिया के लक्ष्यों को रखा है। ❑

उस गरीब तक पहुंच सके थे। एक आंकड़े के मुताबिक़ वर्ष 2011 की जनगणना तक देश के लगभग 42 फीसद परिवार ऐसे थे जिनमें किसी भी सदस्य के पास बैंक खाता नहीं होता था। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जनधन योजना के माध्यम से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का एक अभियान शुरू किया गया जो सफल रहा। वर्तमान में जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ लोगों को बैंक खातों के माध्यम से अर्थतंत्र का हिस्सा बनाया गया है। देश की अर्थव्यवस्था में आम गरीब लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है। इसके तहत बीमा सुरक्षा का लाभ लोगों को सहजता एवं सरलता से प्राप्त हो रहा है। अंतिम व्यक्ति से अर्थतंत्र को जोड़ने का यह कार्य अन्त्योदय की अवधारणा की कसौटी पर खरा उतरने वाला है।

संकल्प से सिद्धिः बहुआयामी विकास का आंदोलन

आज प्रधानमंत्री *नए भारत* के निर्माण को लेकर जिन लक्ष्यों को साधने के लिए पूरी तरह जुटने की अपील कर रहे हैं, उनमें देश के बहुआयामी विकास की एक रूप-रेखा दिखाई देती है। *संकल्प से सिद्धि* कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता के विषय को राष्ट्रीय स्तर पर जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने एक आन्दोलन का रूप दिया है, वह अभूतपूर्व है। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि स्वच्छता को जनांदोलन का रूप इस ढंग से कोई राजनेता दे सकता है। जिसे देश अबतक छोटी और मामूली बात मान रहा था, वह आज आन्दोलन बन चुका है। गरीबी हटाओ का नारा तो पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन पूर्ववर्ती आर्थिक मॉडल गरीबी हटाने में पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री ने उस अवधारणा को बदलने का प्रयास किया है।

हम एक ऐसे दौर में हैं जब 2009 से देश ही नहीं बल्कि विश्व में रोजगार का संकट गहराया है और नौकरियों की कमी होती जा रही है, ऐसे में स्व-रोजगार और आत्मनिर्भरता को लेकर वर्तमान सरकार ने सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के परस्पर सहयोग से एक वैकल्पिक ढांचा खड़ा करने की कोशिश की है। मुद्रा के तहत लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी आंकड़ों में दर्ज किये गये हैं। स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी योजनायें समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए शुरू की गयी हैं, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। उज्ज्वला जैसी लोक कल्याणकारी योजना भी अंतिम व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए ही काम कर रही है।

अंतिम जन के हित में नीतियां

जिस *न्यू इण्डिया* की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस के केंद्र में 'व्यक्ति' है। यहां व्यक्ति का आशय आम मनुष्य के उत्थान से है। सामाजिक और आर्थिक रूप से जब व्यक्ति का उत्थान होगा, तो व्यक्ति-व्यक्ति मिल कर समाज का उत्थान करेंगे और फिर राष्ट्र समाज के माध्यम से उत्थान की ओर अग्रसर होगा। कहीं न कहीं एक सशक्त और संपन्न व्यक्तियों का समाज ही समृद्ध समाज कहलाता है। एक ऐसा व्यक्ति, जिसमें स्वावलंबन का भाव हो, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आस्था हो और भारतीयता में गर्व की अनुभूति हो। केंद्र की सरकार ने इस वर्ष *(25 सितंबर 2016 - 25 सितंबर 2017)* को दीन दयाल जन्मशताब्दी के अवसर पर गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया है। नए भारत के निर्माण का यह आन्दोलन पंडित दीन दयाल उपाध्याय के ही वैचारिक दर्शन *अन्त्योदय* की अवधारणा को धरातल पर उतारता नजर आ रहा है। ❑

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

GS CLASSROOM PROGRAMS

❖ *Continuous Assessment through Assignments and All India Test Series*
❖ *Individual Guidance* ❖ *Comprehensive and Updated Study Material*

LIVE/ONLINE
Classes also available

www.visionias.in

CSE 2016

ANMOL SHER SINGH BEDI
AIR-2

SAUMYA PANDEY
AIR-4

ABHILASH MISHRA
AIR-5

CSE 2015

TINA DABI
AIR-1

500+ Selections in CSE 2015

15 in top 20
70+ in Top 100
Selections in CSE 2016

सामान्य अध्ययन

✦ फाउंडेशन कोर्स | हिन्दी माध्यम | 18 Sept 10 AM

GENERAL STUDIES

✦ FOUNDATION COURSE
- for GS Prelims cum Mains 2018

DELHI
Regular Batch: 21 Sept 9 AM | 17 Oct
Weekend Batch: 23 Sept 9 AM
JAIPUR: 2nd Aug | HYDERABAD: 18th Aug | PUNE: 3rd July

✦ ALTERNATIVE CLASSROOM PROGRAM
- for GS Prelims cum Mains 2019 and 2020
Regular Batch: 21 Sept 9 AM | 17 Oct
Weekend Batch: 23 Sept 9 AM

✦ ADVANCED COURSE *for* GS MAINS 2017
✦ MAINS 365 - *One Year Current Affairs for Mains*

ENGLISH MEDIUM | हिन्दी माध्यम

PHILOSOPHY

by Anoop Kumar Singh
45 days program @ JAIPUR | PUNE

❖ *Includes comprehensive and updated study material*
❖ *Answer Writing Program for Philosophy (QIP)*

ALL INDIA TEST SERIES

Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program

PRELIMS
✓ General Studies
✓ CSAT

MAINS
✓ General Studies
✓ Geography
✓ Essay
✓ Philosophy
✓ Sociology

/visionias.upsc
/Vision_IAS
/c/VisionIASdelhi

DELHI: 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh. **Contact :** 8468022022, 9650617807, 9717162595

JAIPUR 9001949244, 9799974032
PUNE 9001949244, 7219498840
HYDERABAD 9000104133, 9494374078

YH-726/2017

नये भारत में सामाजिक न्याय

स्वदेश सिंह

अगले पांच वर्षों में अगर ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय एक समतामूलक, समरस और आधुनिक समाज की तरफ जा सके तो नए भारत के निर्माण में यह एक बड़ा योगदान होगा। यहां यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में विभिन्न योजनाओं द्वारा जो पहल की है वह सामाजिक न्याय के विमर्श को पहचान से आगे सर्वसमावेशी विकास की तरफ ले जाने वाली है। उनके नेतृत्व में भारतीय राज्य निश्चित ही अधिक लोकतांत्रिक होकर उभरा है

प्रधानमंत्री ने अगस्त क्रांति के 75 साल पूरे होने के अवसर पर देशवासियों से एक नए भारत (न्यू इंडिया) के निर्माण की बात कही है। उन्होंने कहा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अगले पांच साल तक लगातार अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना कुछ होता रहा जिसमें हर देशवासी किसी ना किसी स्तर पर जुड़ा था। आम लोगों ने मान लिया था कि अब स्वतंत्रता का लक्ष्य दूर नहीं और 1947 में वह लक्ष्य पूरा भी कर लिया गया। प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर इसी तरह आज भी अगले पांच साल तक हर देशवासी कुछ मुद्दों को लेकर अपना योगदान करे तो एक नए भारत का निर्माण हो सकता है। इसके लिए सभी अपनी रुचि के विषय चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर काम करके एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया जा सकता है – भ्रष्टाचार मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, गरीबी मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, सांप्रदायिकता मुक्त भारत और जातिवाद मुक्त भारत। अगले पांच साल इन विषयों पर काम करके निश्चित ही एक नए भारत का निर्माण हो सकता है जो समृद्ध, समर्थ, समरस होगा और राष्ट्र परमवैभव की ओर अग्रसर हो सकेगा।

इस आलेख में प्रधानमंत्री के सपने के नए भारत के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा की गई है जो जातिवादमुक्त भारत के मुद्दे से जुड़ा है। इसमें इस विषय पर विचार किया गया है कि नए भारत में जातीय वैमनस्यता कैसे कम होगी, सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित होगा, समतामूलक और समरस भारत का निर्माण कैसे होगा।

समानता

कहना ना होगा कि समानता एक शाश्वत मूल्य है। कोई भी सभ्यता, समाज और राज्य प्रगति नहीं कर सकता अगर एक मूल्य के रूप में समानता का वहां स्थान नहीं है। पिछले कुछ सौ सालों में कुछ कारणों से भारत में असमानता इतने भीतर तक घुस गई कि लंबे समय तक गुलामी झेलता रहा। विखंडित भारतीय समाज बार-बार गुलाम होता रहा। हालांकि समाज लड़ता रहा और इसी संघर्ष का नतीजा है कि हजारों साल की सभ्यता कम या ज्यादा आज उसी तरह पूरे भू-भाग में मिलती है। यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि असमानता भारतीय सभ्यता के मूल तत्वों में से नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी सभ्यता 5000 साल से ज्यादा समय तक तमाम संकट आने के बावजूद अस्तित्व में नहीं रह सकती अगर वह असमानता और शोषण पर आधारित हो।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समूह में रहना पंसद करता है। जाति इसी तरह का एक सामाजिक समूह है। बस फर्क इतना है कि एक सामाजिक समूह के रूप में जाति क्षैतिज (हॉरिजॉन्टली) बंटी हुई है जब कि सभी सामाजिक समूहों को उर्ध्वाधर (वर्टिकली) बंटा होना चाहिए। जातिवाद एक बुराई है जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव और छुआछूत को बढ़ावा दिया जाता है।

भारत में जाति वह है जो जाती नहीं। अगर जाति सच्चाई है तो जातिवाद बुराई है। जातिवाद एक मानसिक स्थिति है जिसमें आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और जातीय दंभ की मिलावट होती है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी जातीय श्रेष्ठता को खत्म करने की जरूरत है। डॉ आंबेडकर ने अपनी एक पुस्तक में जाति खत्म करने की बात कही थी। हमें आधुनिकता से पहले अपने कुछ कथित मूल्यों, परंपराओं और रीति-रिवाजों और आचार-विचार पर भी गौर करना चाहिए जो कभी-कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जातिवाद को बढ़ावा देता है।

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में पढ़ाते हैं। ईमेल: swadesh171@gmail.com

समाज, बाजार और राज्य का रुख

राज्य की प्रकृति के दो तत्व हैं - एक जो लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देता है और दूसरा जो जड़ता को बनाए रखना चाहता है। अगले पांच साल में हमें प्रयास करना होगा कि राज्य के वे तत्व अधिक मजबूत हों जो सामाजिक लोकतांत्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। चुनावी राजनीति के स्तर पर हमने निचले स्तर तक लोकतंत्रीकरण होते देख लिया है। इससे लोकतंत्र मजबूत होकर उभरा है। राजनीतिक क्षेत्र से इतर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्रीकरण के प्रभाव को देखना अभी बाकी है। राज्य को इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

राज्य को अधिक जवाबदेह बनाने का काम समाज करता है। समाज से निकले बहुत सारे अभियान और आंदोलन राज्य को मजबूर करते हैं और उसे अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं। इसलिए हमें समाज की शक्ति को और मजबूत बनाना होगा और प्रयास करने होंगे कि समाज राज्य की निरकुंशतावादी प्रवृत्ति पर लगाम लगाए। वैसे समाज के स्तर पर भी बड़ा मंथन होता रहा है। यही भारत की असली ताकत भी है। बुद्ध, शंकर, भक्ति आंदोलन, आर्य समाज, आंबेडकर आदि इसी समाज से निकले वे कारक तत्व हैं जिन्होंने समाज और राज्य को गहरे तक झकझोरा। समाज शक्ति के तमाम दबावों में ही राज्य सही ढंग से आगे बढ़ सकता है और सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है।

एक तीसरा पहलू बाजार का है, जो अतंरराष्ट्रीय जुड़ाव भी रखता है। ऐसा जुड़ाव राज्य और समाज के साथ देखने को कम मिलता है। आज भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार से काफी कुछ जुड़ चुका है। उपभोक्ता की तलाश में बाजार भी नीचे तक पहुंच रहा है। बाजार चाहता है कि उन लोगों के हाथ में भी पैसा आए जो अभी तक हाशिए पर थे क्योंकि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है और यहां परिपूर्णता भी नहीं आई है। सीके प्रहलाद ने इस विषय को लेकर बहुत ही बेहतरीन किताब *फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरैमिड* लिखी थी। उसमें उनका कहना है कि बाजार सुचारू ढंग से तभी रह पाएगा जब सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति को बाजार का हिस्सा बनाया जाए। उसको साधन संपन्न बनाया जाए तभी वह उपभोक्ता बन पाएगा। आपूर्ति-मांग भी तभी ठीक ढंग से चल पाएगी जब सबसे बड़े तबके की तरफ से मांग आती रहे।

बाजारवाद के इस युग में समाज की सच्चाइयां तेजी से बदल रही हैं। आज दलित वर्ग में एक बड़ा क्रीमी लेयर और मध्यवर्ग खड़ा हुआ है, जिसे आज भी राजनीतिक संरक्षण, आरक्षण और बाजार का लाभ मिल रहा है लेकिन दलित और पिछड़े समाज का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इन लाभों से वंचित है। संख्या कम होने के कारण इनकी राजनीतिक उपयोगिता बहुत कम रही है। ये किसी दायरे का हिस्सा नहीं बन पाए जिसकी वजह से उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला और इनकी अपनी कोई लीडरशिप भी नहीं खड़ी हो पाई। आज ये आरक्षण और बाजारवाद दोनों से बहुत अछूते रह गए हैं। आने वाले पांच सालों में जहां शहरीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण बहुत बढ़ेगा तो अतिवंचित समाज और नीचे जा सकता है क्योंकि इनमें शिक्षा, कौशल और पूंजी का अभाव रहेगा। यानी हाशिए के वंचित समाज में भी दो वर्ग खड़े होंगे। शहर और बाजार में रहने वाला दलित समाज मुख्यधारा का हिस्सा बनेगा जिसकी अपनी जरूरतें रहेंगी। कहने का आशय यह है कि अगले पांच सालों में सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण के मायने भी बदलते नजर आएंगे।

तकनीकी उन्नयन का सबसे अधिक असर उन पर पड़ेगा जो पायदान में सबसे पीछे हैं। हम अपने वंचित समाज के युवा शक्ति का सशक्तीकरण कैसे करेंगे इस पर हमें सोचना होगा। अगले पांच साल या उसके आगे आने वाले वर्षों में हमें यह समझने होगा कि समाज, राज्य और बाजार सामाजिक न्याय के विमर्श और जाति के प्रति कैसे रुख रखेंगे। इनकी प्रवृत्ति क्या होगी।

देश-दुनिया में तकनीकी विकास भी तेजी से हो रहा है। आज *ऑटोमेशन* और *रोबोटिक्स* तकनीकी जिस तेजी से बढ़ रही है उसे देखकर वर्ड इकॉनमिक फोरम ने कहा है कि 2021 तक वे सभी कौशल काफी हद तक काम के नहीं रह जाएंगे, जो हम अपने युवाओं को सिखा रहे हैं। जाहिर है कि इस तकनीकी उन्नयन का सबसे अधिक असर उन पर पड़ेगा जो पायदान में सबसे पीछे हैं। हम अपने वंचित समाज के युवा शक्ति का सशक्तीकरण कैसे करेंगे इस पर हमें सोचना होगा। अगले पांच साल या उसके आगे आने वाले वर्षों में हमें यह समझना होगा कि समाज, राज्य और बाजार सामाजिक न्याय के विमर्श और जाति के प्रति कैसे रुख रखेंगे। इनकी प्रवृत्ति क्या होगी।

जाति और सामाजिक न्याय विमर्श

सामाजिक न्याय से अवसर और सम्मान की समानता सुनिश्चित होती है। सत्ता, संपत्ति और सम्मान में बराबरी का हिस्सा ही सामाजिक न्याय है। नए भारत के निर्माण की आधारशिला सामाजिक न्याय के बिना नहीं रखी जा सकती। लेकिन आज की सामाजिक न्याय की राजनीति दरअसल जाति प्रतिनिधित्व की राजनीति बनकर रह गई है जो एक समय तक जरूरी भी थी लेकिन 21वीं सदी में दलित और पिछड़े समाज का युवा पहचान के साथ बेसिक शिक्षा और नौकरी के साथ-साथ दूसरे बड़े सपने भी देख रहा है। आज सामाजिक न्याय का विमर्श पहचान की राजनीति तक केंद्रित है। पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस के कमजोर होने के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति इस देश में खड़ी हुई। लंबे समय तक की संरक्षक-याचक की राजनीति ने देश में दलित और पिछड़ों की स्वतंत्र राजनीति खड़ी नहीं होने दी। डॉ. आंबेडकर जो कर पाए वे इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने अपना कद कांग्रेस के बाहर रहकर पहले बड़ा किया बाद में संविधान सभा और अंतरिम कांग्रेस सरकार के सदस्य बने।

डॉ. भीमराव आंबेडकर के प्रयासों से जैसा भारतीय संविधान सामने आया, उसे हम एक सामाजिक मुक्ति का दस्तावेज कह सकते हैं। हालांकि संविधान के प्रावधान ढंग से लागू नहीं हुए नहीं तो बात कुछ आगे बढ़ती। जो सामाजिक न्याय की राजनीति पहचान की राजनीति तक सीमित रह गई है वह अपने अगले चरण में प्रवेश करती। डॉ. आंबेडकर कुछ ऐसा ही चाहते थे। वे एक समरस, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, समतामूलक और आधुनिक भारत चाहते थे। जहां सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा के लिए पर्याप्त स्थान हो।

नए भारत में सामाजिक न्याय का स्वरूप

प्रधानमंत्री के आवाहन के बाद न्यू इंडिया की वेबसाइट पर हर खंड में सैकड़ों सुझाव आए हैं। जातिमुक्त भारत वाले सेक्शन में भी कई बेहतरीन सुझाव देखने को मिले। इसमें से अधिकतर का कहना था कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। कुछ सुझाव ऐसे थे - उपनाम

हटा दें, जाति पर आधारित आरक्षण खत्म करें, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जाति के आधार पर भेदभाव ना करने का संकल्प, जाति वाले कॉलम में भारतीय का विकल्प दें, जाति आधारित आरक्षण खत्म करने से पहले जाति की राजनीति खत्म की जाए, किसी जाति विशेष का होना अपने आप में लंबे समय से मिला आरक्षण है, शहरी क्षेत्रों में भी जातिवाद कम नहीं हुआ है, हम सब अपनी जाति लिखने लगें - हिंदू, जातिवाद भारत की तरक्की में बहुत बड़ी बाधा है इस समस्या को पैदा करने वाली हमारी सरकारें हैं, सामाजिक और आर्थिक असमानता ही जातिवाद का कारण है, दलित और पिछड़ी जातियों के अमीर लोगों को आरक्षण का लाभ देना बंद करना चाहिए, अपनी जाति में शादी मत कीजिए, अगली चार पीढ़ी में जातिवाद खत्म हो जाएगा, जाति को पूंजी से खत्म कीजिए, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए, स्कूलों में जैसे स्वच्छता के बारे में बताया जाता है वैसे जाति को एक अपराध बताया जाए, मंदिरों में जाति के आधार पर प्रतिबंध नहीं हो, हर गांव पंचायत में शिकायत केंद्र खोले जाएं जहां शिकायत सुनी जाए और उसका निवारण हो, जिलाधिकारी कार्यालय से इन शिकायत केंद्रों की निगरानी हो, समाज में समानता सुनिश्चित करने के हर स्तर पर प्रयास हों तभी जातिवाद खत्म होगा।

कुछ और सुझाव

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सामाजिक कल्याण मंत्रालय का नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता रखा गया था। इसके पीछे यही सोच थी कि कल्याण करने के भाव से नहीं करना है बल्कि समाज के उस वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना है जो अब तक इससे वंचित है और सिर्फ न्याय सुनिश्चित नहीं करना बल्कि उन्हें सशक्त भी बनाना है। निश्चय ही यह एक अच्छा प्रयास था। अब इस नए भारत को समतामूलक और समरस बनाने के लिए कुछ और भी प्रयास करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी जिसमें दलित आरक्षण सही लोगों तक पहुंचे। यह जानना पड़ेगा कि पिछले 70 सालों में आरक्षण का लाभ किसको मिला, किसको नहीं मिला। दलित समाज के समृद्ध लोगों में ऐसा वातावरण बनाया जाए कि वे खुद अपने समाज के वंचित लोगों के लिए आरक्षण छोड़ें। दलित समाज में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान कर सकते हैं। दलित आरक्षण के अंदर अलग-अलग श्रेणियां तैयार करना। क्वारटाइल सिस्टम एक अच्छा तरीका हो सकता है। उदाहरण- दिल्ली के रहने वाले दलित को बहराइच के दलित से कम प्वाइंट। लखनऊ की अच्छी आय वाले दलित को सांगली के कम आय वाले दलित से कम प्वाइंट।

हरिजन, अनुसूचित जाति और दलित राजनीति से आगे के विमर्श की रूपरेखा प्रधानमंत्री ने तैयार कर दी है जिसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात है। डिक्की जैसे संगठनों को बढ़ावा देकर वंचित और पिछड़े समाज के युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के लिए प्रेरित करना। स्कूलों के पाठ्यक्रम में वंचित समाज के संत, महापुरुष, योद्धाओं की कहानियां, कविता और लेख शुरुआत से ही पढ़ाना शुरू करना। आज आंबेडकर की स्वीकार्यता बढ़ी है। इस शृंखला में और लोगों को जोड़ना।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी प्रतिष्ठानों में बैकलॉग के सभी पद जल्द से जल्द भरने की कोशिश करना। इसके बाद ही खुले मन से नए विकल्पों को तलाश किया जा सकता है। आज जब लाखों की संख्या में दलित और पिछड़े समाज के युवा उच्च और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो सभी को सरकारी नौकरी दे पाना कठिन है। इसलिए नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए जहां दलित और पिछड़े समाज के युवाओं को अवसर की समानता हो।

हरिजन, अनुसूचित जाति और दलित राजनीति से आगे के विमर्श की रूपरेखा प्रधानमंत्री ने तैयार कर दी है जिसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात है। डिक्की जैसे संगठनों को बढ़ावा देकर वंचित और पिछड़े समाज के युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के लिए प्रेरित करना।

केंद्र और राज्य सरकार को हर जिले में सामाजिक न्याय केंद्र खोलने चाहिए। ये केंद्र क्षेत्र के वंचित समाज के लोगों और उनके मुद्दों की पहचान करेंगे। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शिकायतों और झगड़ों का सुलह-निपटारा करेंगे। वंचित समाज के लोगों को उनसे जुड़ी योजना के बारे में बताएंगे। वंचित समाज के लोगों को मुफ्त कानूनी और मनोवैज्ञानिक सलाह देंगे। हर राज्य के किसी एक सामाजिक विज्ञान अध्ययन संस्थान को इन केंद्रों का नोडल केंद्र बनाया जा सकता है। हर हफ्ते इन केंद्रों के कामों की रिपोर्ट राज्य स्तरीय नोडल सेंटर पर आएगी और एक फाइनल रिपोर्ट हर हफ्ते मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी जा सकती है। इन केंद्रों के जरिए सरकार कोई भी प्रयोग और दखल देकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इस तरह देश के हर जिले के सामाजिक प्रोफाइल, आवश्यकताओं और बदलावों पर नजर रखी जा सकती है और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कृषि विज्ञान केंद्रों ने खेती से जुड़ी जानकारी और उन्नत यंत्रों को आम किसान तक पहुंचाया उसी तरह सामाजिक न्याय केंद्र भी एक सामाजिक प्रयोगशाला की तरह काम करेंगे जो सामाजिक विकास का अध्ययन करेंगे और सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।

अगले पांच वर्षों में अगर ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय एक समतामूलक, समरस और आधुनिक समाज की तरफ जा सके तो नए भारत के निर्माण में यह एक बड़ा योगदान होगा। यहां यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में विभिन्न योजनाओं द्वारा जो पहल की है वह सामाजिक न्याय के विमर्श को पहचान से आगे सर्वसमावेशी विकास की तरफ ले जाने वाली है। उनके नेतृत्व में भारतीय राज्य निश्चित ही अधिक लोकतांत्रिक होकर उभरा है। उन्होंने समाज की शक्ति को पहचानते हुए हर योजना में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की है। उन्होंने सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण को अगले स्तर पर ले जाते हुए उसे बाजार से जोड़ा है जिसके तहत दलित चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे संगठन मजबूती से खड़े हो रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया, दलित वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, वनबंधु, सुकन्या समृद्धि, रोशनी, सुगम्य भारत जैसी तमाम योजनाओं का लाभ उठाकर हाशिए का समाज मुख्यधारा में आकर मजबूत हो रहा है। राज्य, समाज और बाजार को सही ढंग से साधते हुए मोदी सरकार सामाजिक न्याय की एक ऐसी नई परिभाषा गढ़ रही है जिसका सपना डॉ. आंबेडकर ने देखा था। हम आशा कर सकते हैं कि अगले पांच वर्षों में यह प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगी और नए भारत का सपना साकार होगा। ❑

PATANJALI

पढ़िये उनसे जिनकी प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता निर्विवाद है

धर्मेन्द्र सर के निर्देशन में सर्वश्रेष्ठ विषय विशेषज्ञों की अनुभवी एवं प्रामाणिक टीम

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन बैच प्रारंभ

निःशुल्क कार्यशाला

प्रातःकालीन बैच

8 Sep.

11:30 am

सायंकालीन बैच

4 Oct.

6:30 pm

मुखर्जी नगर
(पोस्ट ऑफिस के ऊपर)

बेहतरीन संस्थान, प्रामाणिक टीम

डॉ. मंजेश कुमार	डॉ. एस.एस. पाण्डेय	श्री सुजीत सिंह	श्री वी.के त्रिवेदी
श्री ए.के.अरुण	श्री जे. शंकर	डॉ. वी आनंद	डॉ. आदर्श कुमार
श्री सर्वेश तिवारी	श्री ओजांक	एवं	श्री धर्मेन्द्र कुमार

तुलना करें, तुलना से श्रेष्ठता का पता चलता है।

दर्शनशास्त्र

सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय

निःशुल्क कार्यशाला 18 Sep. 9:00 AM

इतिहास

(वैकल्पिक विषय)

श्री सुजीत सिंह

निःशुल्क कार्यशाला 18 Sep. 3:00 PM

भूगोल

(वैकल्पिक विषय)

श्री जे० शंकर

निःशुल्क कार्यशाला 15 Nov. 3:00 PM

DELHI CENTRE
202, 3rd Floor, Bhandari House
(above Post Office)Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 011-43557558, 9810172345

RAJINDER NAGAR CENTRE
104, IInd Floor Near Axis Bank,
Old Rajendra Nagar
Ph: 011-45615758, 9811583851

JAIPUR CENTRE
31, Satya Vihar, Lal Kothi, Near Jain
ENT Hospital, New Vidhan Sabha, Jaipur
Ph.: 9571456789, 9680677789

YH-729/2017

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई

वी श्रीनिवास

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून 2005 अधिकार से जुड़ा कानून है, जिसने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। साथ ही, इसने देश के प्रशासन में नागरिकों की टिकाऊ हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरटीआई का अमल नागरिकों के जानने के अधिकार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें सवाल करने का दायरा भी शामिल होना चाहिए। सूचना हासिल करने की प्रक्रिया पारदर्शी और बिना दिक्कत वाली होनी चाहिए। इस कानून के अमल के एक दशक बाद इसकी ताकत और उपयोगिता पूरे देश में महसूस की जा रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, 'भ्रष्टाचार और काले धन ने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।' प्रधानमंत्री ने झारखंड की एक सभा में सखीमंडलों (स्वयं सहायता समूहों) को कुछ स्मार्टफोन भी दिए। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बारे में गांवों वालों से जवाब सुनकर वे हैरान रह गए। स्मार्ट गवर्नेंस ने भारत की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए रोडमैप मुहैया कराया है।

भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं

भ्रष्टाचार पर *कोई समझौता नहीं* वाले रवैये और *मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस* के रुख से हाल के वर्षों में प्रशासन का मॉडल कारगर हुआ है। इससे जुड़े कुछ कदमों में प्रमाण पत्रों को अधिकृत या प्रमाणित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के हस्ताक्षर और मुहर का सिस्टम खत्म किया जाना, निचले स्तर के पदों पर नियुक्ति में इंटरव्यू को समाप्त करना और अक्षम सरकारी कर्मचारियों को निकाला जाना शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने काले धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऊंचे मूल्य वाले नोटों का विमुद्रीकरण किया। काले धन के खिलाफ लड़ाई के लिए एक विशेष जांच टीम बनाई गई। कोयला खदानों के लिए ऑनलाइन नीलामी की भी प्रक्रिया अपनाई। सरकार ने जी-20 की बैठक में यूरोप और अन्य देशों को टैक्स चोरी का ठिकाना बनाए जाने से रोकने की मांग की। स्विट्जरलैंड सरकार के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भारत ने कहा है कि काले धन और टैक्स चोरी के खतरे से निपटना दोनों देशों की 'साझा प्राथमिकता' है।

भ्रष्टाचार से लड़ाई: भारत का संस्थागत और विधायी ढांचा

भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की लड़ाई के केंद्र में मजबूत और लंबे समय से जांचा-परखा संस्थागत और विधायी ढांचा है। मसलन भ्रष्टाचार निरोधक कानून, स्वतंत्र केंद्रीय सतर्कता आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जज (जांच)कानून, लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013, व्हिसल ब्लोअर्स सुरक्षा कानून, धन शोधन निरोधक कानून, बेनामी सौदे (निषेध) कानून आदि। ये कानून अपराध और रिश्वतखोरी के कई क्षेत्रों को अपने दायरे में समेटते हैं। सभी नौकरशाहों के लिए सालाना आधार पर अपनी संपत्तियों की घोषणा जरूरी कर दी गई है। जन प्रतिनिधियों के लिए हर चुनाव में अपनी संपत्तियों को घोषित करना अनिवार्य बनाया गया है।

स्मार्ट बन रहा शासन तंत्र

प्रधानमंत्री ने अगस्त 2014 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जन-धन-योजना का ऐलान किया था। इसे वित्तीय समावेशिता के लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, 'देश के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। बदलाव इस बिंदु से शुरू होगा।'

भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की लड़ाई में 'सरकार को ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट बनाने' पर फोकस सबसे अहम है। बैंकिंग सेक्टर तकनीक में क्रांति सफलता की उल्लेखनीय कहानी है और इससे करोड़ों भारतीयों को लाभ पहुंचा है। शासन प्रणाली के स्मार्ट मॉडल के जरिये सब्सिडी की इसी मात्रा

लेखक संप्रति राजस्थान टैक्स बोर्ड में पदस्थापित हैं। उनके पास राजस्थान राजस्व बोर्ड के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार भी है। ईमेल: vsrinivas@nic.in

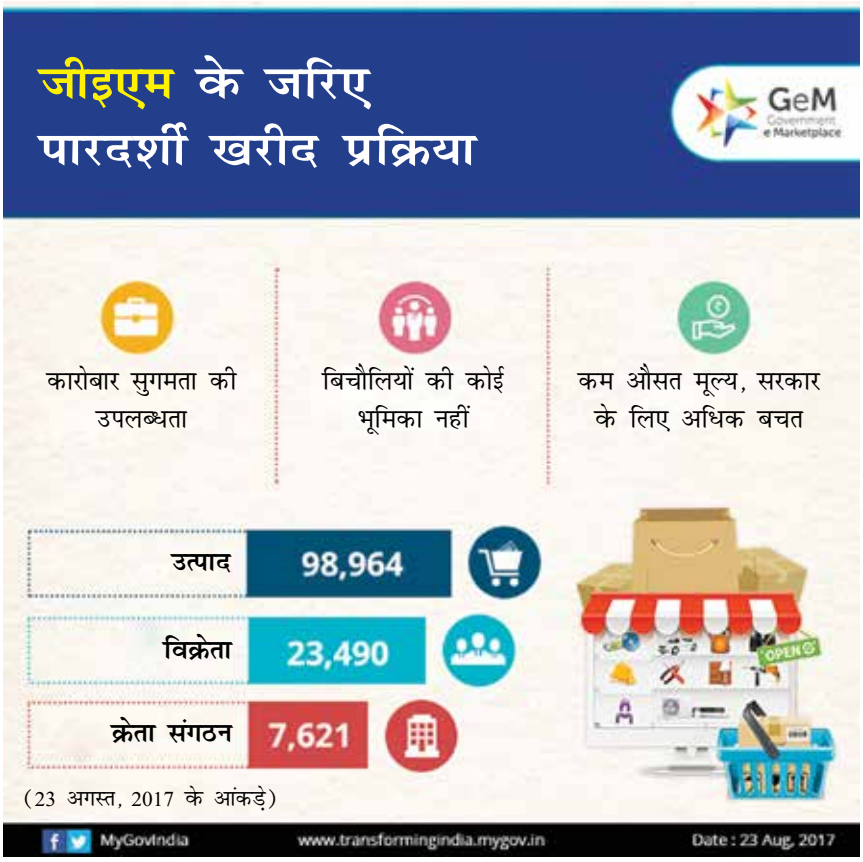

का उपयोग ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है।

जन धन योजना ने ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ सभी लोगों को बैंकिंग खातों की सुविधा मुहैया कराई। जन धन योजना ने बैंककर्मियों को गरीब और वंचित तबके के बीच कर्ज की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भरोसा दिलाया। लिहाजा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट के प्रवाह में अहम बढ़ोतरी हुई। 2016 में आधार एक्ट को मनी बिल की तरह लागू किया गया, ताकि वित्तीय और अन्य सब्सिडी के फायदों की डिलीवरी जरूरतमंद लोगों तक ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंच सके। इस कानून ने आधार प्रोजेक्ट को कानूनी सहारा दिया। साथ ही, भारत सरकार के फंड के जरिये लोगों तक सब्सिडी, अन्य फायदों और सेवाओं को पहुंचाने में आधार सक्षम और पारदर्शी सिस्टम की तरह नजर आया।

सरकार द्वारा 2016 में तीसरा अहम कदम भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) ऐप को शुरू किया जाना रहा। इस मोबाइल एप्लिकेशन को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर विकसित किया है। भीम एप्लिकेशन सीधा बैंकों के जरिये ई-भुगतान की सुविधा देता है। इससे कैशलेस सौदों से जुड़े अभियान को बढ़ावा मिला और यूजर को किसी भी पक्ष के बैंक खाते में तत्काल पैसा ट्रांसफर करने में मदद मिलती है। इस ऐप का इस्तेमाल सभी मोबाइल पर किया जा सकता है। कुल मिलाकर, जन धन योजना और आधार एक्ट ने सरकार की तरफ से पारदर्शी सिस्टम मुहैया कराने में अहम रोल निभाया, जहां सब्सिडी जरूरतमंदों तक समय पर और प्रभावी तरीके से पहुंचती है।

जेएएम (जन धन-आधार-मोबाइल) तकनीक की तिकड़ी ने मोबाइल बैंकिंग को ईमेल भेजने जैसा आसान बना दिया है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स (एनईएफटी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स (आरटीजीएस), इमिडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) और इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) के इस्तेमाल के जरिये बैंकिंग सेक्टर की मुख्य धारा की गतिविधियों का तेजी से एकीकरण हो रहा है।

रोकथाम के लिए सतर्कता पर फोकस

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अपनी उत्पत्ति की जड़ें भ्रष्टाचार निरोधक मामलों से जुड़ी कमेटी की सिफारिशों को बताता है। के संथानम (सांसद) की अगुवाई में यह कमेटी बनाई गई थी। संथानम कमेटी ने मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार की 4 वजहों की पहचान की- प्रशासनिक देरी, नियामकीय कामकाजों के जरिये सरकार का जरूरत से ज्यादा चीजें को अपने पास रखना, सरकारी अफसरों द्वारा अधिकारों के मामले में विवेकाधीन अधिकार की गुंजाइश और जटिल प्रक्रियाएं। संथानम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1964 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के जरिये केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई। केंद्रीय सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सर्वोच्च संस्था के तौर पर यह वजूद में आया। जैन हवाला केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 1997 में सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग कानून 2003 में आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वह भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 के तहत सरकारी मुलाजिमों और निगमों की तरफ से की गई कथित गड़बड़ियों की जांच करे। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने प्रशासन में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश की है। आयोग की तरफ से सतर्कता संबंधी कई उपाय पेश किए गए हैं। ई-बाजार जैसे उपायों से सरकार को सार्वजनिक खरीद में जवाबदेही और ईमानदारी को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है। इसके तहत ई-निविदा और इलेक्ट्रॉनिक-खरीद पर जोर है।

आयोग ने छात्रों और युवाओं को शिक्षा देकर नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। साथ ही, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विवेकाधीन अधिकारों को कम कर, सरकारी कर्मचारियों के साथ संवाद, ट्रेनिंग और कौशल विकास पर फोकस और गड़बड़ी के सभी मामले में सख्त सजा के जरिये पहल की जा रही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने ई-प्रतिज्ञा के जरिये भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का आंदोलन तैयार करने की कोशिश की है। यह ई-प्रतिज्ञा नागरिकों और संस्थान की तरफ से स्वैच्छिक तौर पर लिए जाने की बात है। संस्थानों के लिए ईमानदारी सूचकांक तैयार किया गया है, ताकि पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक केंद्रित शासन-प्रशासन की राह आसान की जाए।

ऑडिट और एकाउंटिंग प्रक्रिया को मजबूत बनाना

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) भारत का अहम संस्थान है। साल 2014 से सीएजी ने अपने एकाउंटिंग और ऑडिटिंग सिस्टम में वित्तीय शासन से जुड़े सरकारी सुधार को अपनाया है। वित्तीय शासन-प्रशासन में जो कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, उनमें आम बजट और रेल बजट को एक करना, योजना और गैर-योजनागत खर्चों का विलय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए कई क्षेत्रों को खोला जाना और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पेश किया जाना शामिल है। शहरी नगर निकायों और पंचायती राज संस्थानों को सालाना 14 लाख करोड़ रुपये मिलते हैं। हालांकि, ये इकाइयां खराब शासन प्रणाली, कमजोर वित्तीय प्रबंधन और गैर-जवाबदेही जैसी गड़बड़ियों से जूझ रही हैं। शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मिलने वाले विशाल फंड और भौगोलिक तौर पर उनके फैलाव को देखते हुए सीएजी ने उनके ऑडिट की अहमियत को पहचाना है। सीएजी ने राजस्व प्रशासन में बदलते मॉडल की भी पहचान की है, जिनमें 'छद्म अर्थव्यवस्था' और काले धन की चुनौतियां, ट्रांसफर प्राइसिंग आदि शामिल हैं। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर डिजिटल सूचना के प्रबंधन की भी जरूरत है, जो टैक्स फाइलिंग, एसेसमेंट और रिकवरी की प्रक्रिया में ऑटोमेशन बढ़ने से निकलकर सामने आएगी।

शासन में पारदर्शिता

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून 2005 अधिकार से जुड़ा कानून है, जिसने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। साथ ही, इसने देश के प्रशासन में नागरिकों की टिकाऊ हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरटीआई का अमल नागरिकों के जानने के अधिकार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें सवाल करने का दायरा भी शामिल होना चाहिए। सूचना हासिल करने की प्रक्रिया पारदर्शी और बिना दिक्कत वाली होनी चाहिए। इस कानून के अमल के एक दशक बाद इसकी ताकत और उपयोगिता पूरे देश में महसूस की जा रही है। सूचना के अधिकार कानून के कारण शासन व्यवस्था में सुधार हुआ है। सूचनाओं को साझा कर नागरिक फैसले लेने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं, जिसके कारण नागरिकों और सरकार के बीच भरोसा बनता है।

लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013

लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 ने केंद्रीय सतर्कता कानून 2003 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है, जहां केंद्रीय सतर्कता आयोग को ग्रुप ए के अधिकारियों के अलावा ग्रुप बी, सी और डी के मुलाजिमों के खिलाफ लोकपाल की शिकायतों पर शुरुआती जांच करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए जांच महानिदेशालय बनाया गया। जहां तक ग्रुप ए और बी के अफसरों का सवाल है तो लोकपाल द्वारा पेश किए ऐसे मामलों में शुरुआती जांच की रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाती है। आयोग को लोकपाल की तरफ से पेश मामलों में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के संदर्भ में भी आगे जांच का अधिकार दिया गया है। आयोग इसके बाद की कार्रवाई भी कर सकता है।

सरकार ने कहा है कि सरकारी लोक सेवकों की जवाबदेही का स्तर वास्तविक होगा, ताकि अधिकारियों को ईमानदार फैसले लेने में संकोच नहीं हो। सरकार ने आपराधिक गड़बड़ी की परिभाषा बदलने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में संशोधन

भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन का मकसद भ्रष्टाचार की रोकथाम से जुड़े इस कानून को और असरदार बनाना है। कानून में आधिकारिक काम के लिए कानूनी मानदेय के अलावा किसी भी तरह की सुविधा या पैसा लिए जाने पर सजा का प्रावधान है। इस सिलसिले में सीबीआई और राज्य पुलिस अधिकारियों को जांच के अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि सरकारी लोक सेवकों की जवाबदेही का स्तर वास्तविक होगा, ताकि अधिकारियों को ईमानदार फैसले लेने में संकोच नहीं हो। सरकार ने आपराधिक गड़बड़ी की परिभाषा बदलने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत आय के ज्ञात साधनों से ज्यादा आय के मामले में कानूनी पहलुओं के दायरे को मजबूत बनाया गया है।

व्हिस्ल ब्लोअर्स के लिए सुरक्षा कवच को मजबूत बनाना

देश में व्हिस्ल ब्लोअर्स को वैधानिक सुरक्षा देने के लिए अगस्त 2009 में जनहित में खुलासा और इससे जुड़े लोगों के लिए अगस्त 2010 में लोकसभा में बिल पेश किया गया। इस बिल को दिसंबर 2011 में व्हिस्ल ब्लोअर्स सुरक्षा बिल, 2011 के तौर पर लोकसभा में पास किया गया, जबकि राज्यसभा ने इसे फरवरी 2014 में मंजूरी दे दी। 9 मई 2014 को इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई। इसके बाद 2015 में कानून में 21 संशोधन किए गए। इन संशोधनों का मकसद खुलासों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करना था, ताकि देश की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा आदि से जुड़े खतरों को टाला जा सके। संशोधनों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का ध्यान रखा गया है और खुलासों के खिलाफ सुरक्षा कवच को मजबूत बनाया गया है।

बेनामी सौदों पर शिकंजा

हालांकि, बेनामी सौदा (निषेध) कानून, 1988 कानून की किताबों में पिछले 28 साल से है, लेकिन कुछ खामियों के कारण इसे अमल में नहीं लाया जा सका। बेनामी सौदों की रोक के लिए असरदार प्रणाली मुहैया कराने के मकसद से इस कानून में 2016 में संशोधन किया गया। संशोधित कानून में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को तात्कालिक तौर पर बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार दिया गया है, जिसे आखिरकार जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर कोई शख्स किसी अदालत द्वारा बेनामी सौदे का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम एक साल और अधिकतम 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। साथ ही, उस पर प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 25 फीसदी तक जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। बेनामी सौदा (निषेध) संशोधन कानून 2016 को 1 नवंबर 2016 से लागू किया गया। इस संशोधित कानून के अमल में आने के बाद से कुछ बेनामी सौदों की पहचान हुई है। ❑

ETEN IAS KSG

Preparing Civil Servants

UPSC CSE ’16 में सफल प्रत्येक तीसरा अभ्यर्थी ETEN IAS KSG* का है।

AIR 6

के. दिनेश कुमार

AIR 14

उत्सव कौसल

AIR 21

प्रताप एम.

...और कई अन्य

*From the house of KSG

टॉप 100 सफल अभ्यर्थियों में से 30 ETEN IAS KSG के विद्यार्थी हैं।

सिविल सेवा परीक्षा ’18 के नये बैच

प्रोगाम	समय	
	बैच - I	बैच - II
जीएस फाउंडेशन सप्ताहिक (हिंदी)	10:00AM – 01:00PM	05:00PM – 08:00PM

राज्य लोक सेवा आयोग

UPPSC, CGPSC, MPPSC, RPSC and BPSC के लिए नए बैच प्रारंभ, शीघ्र नामांकन करें!

नामांकन के लिएः फोन: 9654200523/17 | टोल फ्री: 180030029544 | बेवसाइट: www.etenias.com

ETEN IAS Centers: Agra, Allahabad, Alwar, Amritsar, Bangalore, Bhilai, Bhilwara, Bhiwani, Bhubneswar, Bilaspur, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Delhi, Dibrugarh, Ernakulam, Ghaziabad, Gorakhpur, Guhana, Gurgaon, Hissar, Imphal, Indore, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Kohlapur, Kolkata, Lucknow, Meerut, Moradabad, Mumbai, Nagpur, Panipat, Patiala, Patna, Pune, Raipur, Rewari, Rohtak, Shimoga, Sikar, Sonipat, Trivandrum, Udaipur, Varanasi, Vijayawada

THE TRUSTED COACH FOR IAS

Career Launcher

YH-698/3/2017

नये भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका

कृष्ण चन्द्र चौधरी

द वर्ल्ड बैंक के पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं का कुल श्रम कार्यबल प्रतिशत में 2011 में 24.6 प्रतिशत, 2012 में 24.1 प्रतिशत, 2013 में 24.2 प्रतिशत और 2014 में 24.2 प्रतिशत है। महिलाओं की भागीदारी को आर्थिक क्षेत्र में और बढ़ाया जाए तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में 16 प्रतिशत की वृद्धि जैसा योगदान कर सकती हैं। विभिन्न कंसलटिंग फर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वभर की वे कंपनियां जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में सौंपा गया है, वे बेहतर काम कर रही हैं

किसी भी राष्ट्र, राज्य व क्षेत्र का विकास उसकी उपलब्ध मानव शक्ति की कार्य क्षमता, सामर्थ्य, गुणवत्ता एवं शिक्षा आदि बातों पर निर्भर करता है। महिलाएं किसी भी राष्ट्र की विशिष्ट मानव संसाधन होती हैं। वर्तमान में महिलाओं का राष्ट्रीय विकास में योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी स्तरों पर देश की प्रगति में भारतीय महिलाओं ने निर्विवाद रूप से सहयोग किया है, किन्तु राष्ट्रीय विकास की प्रमुख गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका विशेष है। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्तरों पर देश की प्रगति में भारतीय महिलाओं द्वारा निर्विवाद रूप से अपना सहयोग दिया जाता रहा है, किन्तु प्रमुख राष्ट्रीय विकास की गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका पर्दे के पीछे छिपी रही और इसलिए उसे समुचित रूप से मान्यता नहीं मिल पा रही है।

आर्थिक दृष्टिकोण से क्रियाशील जनसंख्या के अध्ययन में तीन मुख्य धारणा पायी जाती है: जीविकोपार्जन की धारणा, कार्य वाले कामगार की सोच व वर्तमान कार्य की अवधारणा। फलत: हमारे देश की महिलाएं, पुरुषों के समान ही आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रही हैं। यदि हम आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारत की व्यावसायिक संरचना को देखें तो हमें ज्ञात होता है कि सर्वाधिक महिलाएं कृषि, निर्माण कार्य, संगठित व असंगठित क्षेत्र आदि में लगी हुई हैं जबकि सेवा क्षेत्र में सबसे कम महिलाएं कार्यरत हैं।

लघु उद्यम विकास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करने का एक अवसर है और इस प्रकार वे अपनी आय और जीवन स्तर में सुधार ला सकती हैं। लघु उद्यम विकास एक उभरती हुई प्रक्रिया है, जो कम पूंजी, कम जोखिम और शुरुआत में कम लाभ के साथ आरंभ होती है। लघु उद्यम विकास से महिलाओं की आर्थिक स्थिति का पोषण गरीबी उन्मूलन का एक सशक्त साधन है। महिलाओं के लघु उद्यम बड़े पैमाने पर आर्थिक अनिवार्यता से फलते-फूलते हैं। तकनीकी प्रशिक्षण या कुशलता का उन्नयन आमतौर पर महिलाओं के व्यापार उद्यम के आरंभिक चरण की पूर्व आवश्यकता है। यहां तक कि स्थापित व्यापार के स्वामियों को भी एक व्यापार विचार के व्यावहारिक कार्यान्वयन में शामिल अनिवार्य तकनीकी जानकारी नहीं होती है। जबकि ऋण योजनाओं और उद्यमशीलता प्रशिक्षण की उपलब्धता महिलाओं के लिए अब भी बहुत सीमित है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लघु उद्योग व स्वरोजगार स्थापना हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि सेवा व बाजार क्षेत्र में मुख्य रूप से ध्यान में रखकर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। उसमें भी तीन तत्वों की मुख्य भूमिका होती है, जिसमें (क) धन, (ख) कौशल व (ग) उद्यमशीलता है। प्राय: स्थानीय आधार पर रोजगार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके अंतर्गत महिलाओं को लोगों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है और समय-समय पर उनके उत्थान के लिए उद्योग, सेवा, व्यापार, विपणन (मार्केटिंग), सरकारी योजनाओं से संबंधित अनेक जानकारियां प्रदान की जाती है।

महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता आर्थिक स्वतंत्रता है। परिवार में अधिक श्रम महिलाएं ही करती हैं। प्रात:काल से मध्यरात्रि तक घर, कृषि एवं पशुपालन के कार्य करती महिलाओं के श्रम का अधिकांश फल पूरे परिवार को मिलता है लेकिन महिलाओं को

लेखक एस. बी. कॉलेज, आरा (वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय) में मनोविज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं। विगत बारह वर्षों से शोधपूर्ण एवं व्यवहारिक लेखन के क्षेत्र में सतत् रूप से सक्रिय हैं। ईमेल: krishna.nipccd@gmail.com

अमूल्य श्रम का आदर-सम्मान, पूर्ण रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, जो चिंतनीय विषय है। अत: जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो जातीं, तब तक उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलना भी असंभव-सा लगता है। फलत: आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त हो सकता है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का अर्थ है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्व-सहायता समूह का गठन करना एवं समूहों को आर्थिक योजनाओं से जोड़ना, ताकि महिलाओं को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। समूहों में एकत्र धन के माध्यम से उनके परिवार संचालन में आने वाली दैनिक समस्याओं को दूर किया जा सके। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण होने से अपने परिवार व समाज का आर्थिक सुधार किया जा सकता है।

समाज में किसी भी वर्ग को उस सीमा तक सम्मान मिलता है, जिस सीमा तक वह समाज की आर्थिक प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि के उत्पादन क्षेत्र में नारी ने अपना अमूल्य योगदान दिए हैं। बड़े पैमाने पर धार्मिक-सांस्कृतिक क्रियाकलापों, दर्शन, समाजशास्त्रियों व मानवशास्त्रियों ने नारी की महत्ता को प्रमाणित किया है।

अर्थव्यवस्था एवं महिलाएं

औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण के आगमन के साथ घर और कार्यस्थल दोनों जगहों पर महिलाओं ने अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी संभाली है। महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 2001 की तुलना में 2011 में बढ़ी है, लेकिन पुरुषों की तुलना में अभी-भी कम है।

आर्थिक उत्थान में महिलाएं

लैंगिक संतुलन को अब व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाने लगा है। श्रम बाजार में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता वैश्विक समृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मकता का एक बड़ा इंजन है। अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रबंध तंत्रों एवं निदेशक मंडलों में लैंगिक संतुलन वित्तीय दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हुआ है।

महिला प्रबंधकों को प्राय: मानव संसाधनों, जनसंपर्क संचार, वित्त तथा प्रशासन जैसे दायित्वों में अधिक देखा जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2015 के अनुसार आर्थिक सहभागिता एवं अवसरों की समानता में लैंगिक अंतराल 59 प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े बताते हैं कि विश्वभर में 40 प्रतिशत रोजगारों में महिला कामगार कार्यरत हैं।

महिला सशक्तीकरण, महिला विकास एवं उत्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा है। घर एवं परिवार को व्यवस्थित ढंग से प्रबंधित करते-करते महिलाएं जब किसी कारोबार को संभालती हैं तो कारोबार की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। अनेक अध्ययनों से प्रमाणित हो चुका है कि महिलाओं में उच्च प्रबंधकीय प्रतिभा एवं क्षमता है। इंदिरा नूई, अरुंधति भट्टाचार्य, वंदना लूथरा, नीता अंबानी, विनिता गुप्ता, दीपिका गोयनका, अंबिका धीरज, विनिता बाली, रेनुका रामनाथ, रेणू सूद, कर्नाड, वनिता नारायणन, पल्लवी सर्राफ, शुभालक्ष्मी पान्से, विनीता सिंहानिया, प्रिया नायर, अंजली बंसल, स्वरूपा सान्याल, चंदा कोचर, सविता महाजन, कल्पना मोरपारिया, शोभना भरतिया, जिया मोदी, स्वाति पिरामल, मल्लिका श्रीनिवासन, एकता कपूर, फाल्गुनी नायर, आशु सुयश, जरीना मेहता..... ऐसी सफल भारतीय महिलाएं हैं, जो प्रबंधकीय क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए जानी जाती हैं।

अर्थव्यवस्था में महिला की भूमिका

आर्थिक गणना के मुताबिक देश में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बेहद कम है। कुल 5.85 करोड़ उद्यमों में से सिर्फ 13.76 फीसदी उद्यमों की बागडोर महिलाओं के पास है। इन उद्यमों की संख्या करीब 80.50 लाख है। देश की कुल 13 करोड़ महिलाओं की श्रमशक्ति में 10.02 करोड़ महिलाएं गांवों से संबंध रखती हैं। ऐसे में उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार रोजगार हेतु प्रयासरत है।

कार्य की अवधारणा व आंकड़े

महिलाओं के कार्य संबंधी मुद्दे इतने जटिल हैं कि जनगणना में भी महिलाओं के कार्य में सहभागिता की वास्तविक दर नहीं आती। आंकड़े किसी भी तरह से इस अनुपात में वृद्धि दिखाते हैं, जैसे 1971 में 14.22 प्रतिशत, 1981 की जनगणना में 19.67 प्रतिशत, 1991 में 22.27 प्रतिशत, 2001 में 25.7 प्रतिशत और 2011 में 33.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

यह सर्वविदित् है कि महिलाएं ज्यादा समय कार्य (काम) करती हैं तथा अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। यह दु:खद है कि स्वतंत्रता के करीब सात दशक (1947-2017) पूरे होने पर भी बाल श्रम की व्यवस्था समाप्त नहीं हुई। जिन स्थितियों में लड़कियां काम करती हैं, वह बहुत दयनीय है। छोटे हाथ और कालीन बनाने, बुनाई, पटाखा बनाने, फार्म में बिना भुगतान एवं निम्न भुगतान पर फैक्ट्रियों और घरों में काम करने और कई बार वेश्यावृत्ति में जाने का दबाव डाला जाता है। हालांकि शिक्षण, वित्त और सेवा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार की संख्या बढ़ रही है, परंतु सामान्यतया इस क्षेत्र में प्रवेश शहरी मध्यम वर्ग की शिक्षित महिलाओं तक ही सीमित है।

महिला कार्य की महत्ता

आज की महिलाएं दफ्तर, खेती (कृषि), कल-कारखानों में काम करती दिखती हैं, पर अधिकतर समय उनके व्यस्त हाथों को सामाजिक परिवेश की वजह से लोग महत्व नहीं देते, उनके कार्यों और योगदान को समाज यह मानकर चलता है कि परिवार की बेहतरी और उसके बनाए रखने का उनका योगदान, समाज व परिवार के लिए उनकी चिंता, जो पारिवारिक सदस्यों का पालन-पोषण और इन सबके लिए स्वयं को मिटा देने की प्रवृत्ति, प्राकृतिक और स्त्रियोचित गुणों का परिणाम है। जैसे-जैसे आर्थिक परिदृश्य बदल रहा है, महिलाओं का जीवन भी बदल रहा है। इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ ने महिलाओं के रोजगार के परिदृश्य में नई चुनौतियों को रखा है। एक तरफ शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाएं मुखर व दृश्य हैं। जबकि दूसरी तरफ महिलाएं, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं प्रतिदिन जीवित रहने के संघर्ष में व्यस्त हैं।

महिलाओं की श्रमबल में हिस्सेदारी

केंद्रीय सांख्यिकीय मंत्रालय की छठी आर्थिक गणना के मुताबिक देश के श्रमबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 25.51 फीसदी है। तमिलनाडु, केरल व आंध्रप्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में महिला उद्यमियों की संख्या अच्छी है। यहां महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या 10.33 फीसदी है।

लैंगिक समानता पर अपनी एक हालिया रिपोर्ट में मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि अगर भारत में लैंगिक समानता स्थापित हो जाती है तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। इससे 2025 तक भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7 अरब डालर जुड़ने की संभावना है, लेकिन इसके लिए व्यापक स्तर पर बदलाव की जरूरत है।

भारत में महिलाओं को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। क्योंकि घर का बजट संभालना उनके हाथ में होता है, लेकिन कई अध्ययनों में साबित हो चुका है कि कार्पोरेट सेक्टर में भी महिलाएं पुरुषों से कमतर नहीं हैं। द पिटरसन

इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनोमिक्स एवं अर्नेस्ट एंड यंग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर एक शोध में पाया गया कि जिन कंपनियों के नेतृत्व में 30 प्रतिशत भूमिका महिलाओं की होती है, वे कंपनी के कुल मुनाफा (नेट मार्जिन) में छह प्रतिशत का इजाफा कर सकती हैं। तकरीबन 91 देशों में स्थापित विभिन्न उद्योगों और सेक्टर की 21,980 अलग-अलग किस्मों की वैश्विक सार्वजनिक कंपनियों पर अध्ययन करके यह नतीजा पाया गया है। अमेरिकी फर्म्स पर किए शोध में ये बात सामने आई कि महिला-पुरुष मिश्रित बोर्ड का प्रभाव पुरुषों के नेतृत्व वाले बोर्ड से बेहतर है।

भारतीय महिलाओं को व्यापक अवसर अभी तक नहीं मिला है। अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो वे भी उत्तम कार्य कर सकती हैं और जिन्हें अवसर मिला है, उन्होंने अपने आपको प्रमाणित भी किया है।

राज्यों में महिला श्रमबल

मैकिसी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2055 तक श्रम क्षेत्र में महिलाओं की 10 प्रतिशत भागीदारी बढ़ाने से 70 प्रतिशत तक का मुनाफा आ सकता है। इसके लिए 6 करोड़ 80 लाख मिलियन से ज्यादा महिलाओं को श्रमबल से जोड़ना होगा। इसके लिए आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में व्याप्त महिला असमानता की खाई को पाटने की जरूरत है। मैकिसी विश्लेषण के अनुसार भारत का तकरीबन हर राज्य लैंगिक असमानता से जूझ रहा है। पांच राज्य ऐसे हैं, जहां लैंगिक समानता दर सबसे कम पाई गई है। वहीं सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाले पांच राज्यों में महिला श्रमबल 32 प्रतिशत पाया गया है। लैंगिक समानता की सबसे ज्यादा दर मिजोरम में पाई गई है, वहीं बिहार में लैंगिक समानता दर सबसे कम है।

द वर्ल्ड बैंक के पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं का कुल श्रम कार्यबल प्रतिशत में 2011 में 24.6 प्रतिशत, 2012 में 24.1 प्रतिशत, 2013 में 24.2 प्रतिशत और 2014 में 24.2 प्रतिशत है। महिलाओं की भागीदारी को आर्थिक क्षेत्र में और बढ़ाया जाए तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में 16 प्रतिशत की वृद्धि जैसा योगदान कर सकती हैं। विभिन्न कंसलटिंग फर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वभर की वे कंपनियां जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में सौंपा गया है, वे बेहतर काम कर रही हैं।

फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स के मुताबिक भारत के मिजोरम, केरल, मेघालय, गोवा और सिक्किम में सबसे ज्यादा लिंग समानता पाई गई है। वहीं, बिहार, मध्यप्रदेश, असम, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लैंगिक असमानता पाई गई।

अनेक रिपोर्टों के अनुसार कई देश लिंग समानता में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ देश को फायदा मिलेगा, वरन् इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 12 ट्रिलियन डालर जोड़ा जा सकता है, वहीं भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2055 तक 700 अरब डालर जोड़ा जा सकता है।

विभिन्न अध्ययनों के आंकड़े यह बताते हैं कि मातृत्व और करियर के मध्य संघर्ष करती भारतीय महिलाएं, बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ देती हैं। औद्योगिक श्रमशक्ति में हिस्सेदारी करने के मामले में महिलाओं को इस कारण से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

महिला और कृषि

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और इस क्षेत्र की सफलता आज भी पूरी अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा तय करती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में कृषि का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में कृषि खाने-पीने और दूसरी इस्तेमाल की मूलभूत वस्तुओं के साथ-साथ उद्योग जगत को जरूरत की सामग्री भी मुहैया कराती है। साथ ही, देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी अहम् भूमिका निभाती है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि 21वीं सदी में भी कृषि रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। देश की कुल आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक पुरुष और महिलाएं आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि घाटे का सौदा साबित हो रही है। इस कारण क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के सामने आजीविका का संकट भी खड़ा है।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन का मानना था कि महिलाओं पर घर की देखभाल, बच्चों के पालन-पोषण और आय अर्जन जैसी जिम्मेदारियों के कारण कई तरह के बोझ पड़ते हैं। जब वे पूरे दिन खेतों और वनों में काम करती हैं तो उन्हें उपयुक्त सहायता सेवाओं की जरूरत पड़ती है, जैसे- शिशु सदन और शिशु देखभाल केंद्र। एक ग्राम पंचायत महिला कोष की स्थापना की जानी चाहिए ताकि स्व-सहायता समूहों और अन्य महिला समूहों को महिला की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए सामुदायिक क्रियाकलाप शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके। पुरुषों के पलायन के कारण कृषि के लिए महिलाकरण पर महिला सुग्राह्य खेती और ऋण नीतियों के संदर्भ में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कृषि से जुड़ी सभी सेवाओं, शोध, विकास और विस्तार कार्यक्रमों को इसी तर्ज पर शुरू किया जाना चाहिए।

महिला रोजगार का वर्तमान परिदृश्य

जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल श्रम-शक्ति (कामगार) 48 करोड़ से अधिक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 68वें चक्र के रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रोजगारपरक महिलाएं मुख्य रूप से विनिर्माण, सामुदायिक सेवाओं, शिक्षा एवं व्यापार में लगी हुई हैं। जबकि ग्रामीण महिला कामगारों के लिए कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है। ❑

संदर्भ सूची

- आर्थिक सर्वेक्षण, (2011-12) योजना आयोग के उपाध्यक्ष के इस्तेमाल के आंकड़े और एमडीसी 2014 की कन्ट्री रिपोर्ट।
- उद्योग व्यापार पत्रिका, नवम्बर 2008, जुलाई 2010, सितम्बर 2010।
- उद्यमिता, दिसम्बर 2011, जनवरी 2012।
- कलाम ए.पी.जे. अब्दुल विद वाई. एस. राजन, 2002. इंडिया 2020: ए विजन फॉर दि न्यू मिलेनियम, पेंग्विन बुक्स, दिल्ली।
- कृष्णराज एम. व कांची ए. (2012), ''भारतीय महिला किसान'', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
- जालान बिमल (ऐड.) द इंडियन इकोनॉमी प्रोब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, पेंग्विन बुक्स, दिल्ली-1993।
- देसाई, नीरा और मैत्रेयी कृष्णराज (1987), ''वुमेन एंड सोसायटी इन इंडिया'', अजंता पब्लिकेशन, (इं.), दिल्ली।
- देसाई, नीरा (1987), ''सोशल चेंज इन गुजरात'', वोरा एंड कम्पनी, पब्लिशर्स प्रा.लि. मुंबई।
- देसाई, नीरा (1957), ''वुमेन इन माडर्न इंडिया'', वोरा एंड कम्पनी, मुंबई।
- देसाई, नीरा व ठक्कर उषा (2009) ''भारतीय समाज में महिलाएं'', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
- सेतिया, सुभाष ''बजट के आईने में महिला उत्थान'' योजना, मार्च 2015, मासिक पत्रिका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, जुलाई पृष्ठ 80-82।
- पाण्डेय, प्रेम नारायण (2000): ''ग्रामीण विकास एव संरचनात्मक परिवर्तन'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
- परवीन विसारिया (1999): ''लेबल एंड पैटर्न आफ फीमेल इम्प्लायमेंट'' 1911-1994, इन टी. एस. पोपला एंड ए.एन. शर्मा।
- पी.एम. मैथ्यू, एम.एस. जैन, ''वीमेन्स आर्गनाइजेशन्स एण्ड वीमेनज इन्टरेस्ट्स'', आशीष पब्लिशिंग हाउस, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-24।
- तिवारी, अवधेश (2012) ''ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं सामाजिक परिवर्तन'', प्रथम संस्करण, जवाहर नगर, दिल्ली।

You Deserve the Best...

IAS GS World PCS

Committed to Excellence
ISO 9001 Certified

IAS-2016 में चयनित GS World के छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं...

Ganga Singh (Roll No. 0078265) Rank 33rd

Hemant Sati (Roll No. 0441143) Rank 88th

Dhawal Jaiswal (Roll No. 0807519) Rank 445th

Ashutosh Kr. Rai (Roll No. 0576755) Rank 500th

And Many More...

Niraj Singh (M.D.) — IAS : 2017-18 — *Divyasen Singh (Co-ordinator)*

दिल्ली केन्द्र

सामान्य अध्ययन

Foundation Batch

OPEN SEMINAR

15 OCTOBER
6:30 pm

ANSWER WRITING CHALLENGE

A New Initiative of GS World Team...

Bilingual

EVERY SUNDAY

12:30 PM

Knowing is not sufficient, we must apply...

इलाहाबाद केन्द्र

सामान्य अध्ययन

Bilingual

Foundation Batch

04 OCTOBER
9:30 am / 5 pm

लखनऊ केन्द्र

Complete Prepration For IAS/PCS

General Studies Batch

05 OCTOBER
8 am / 5 pm

Bilingual

जयपुर केन्द्र

Complete prepration for

RAS Pre Foundation Batch

कक्षा जारी प्रातःकालीन एवं सायंकालीन

RAS TEST SERIES START SOON

DELHI CENTRE	ALLAHABAD CENTRE	LUCKNOW CENTRE	JAIPUR CENTRE
705, 2nd Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Ph.: 011-27658013, 7042772062/63	GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad Ph.: 0532-2266079, 8726027579	A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow Ph. : 0522-4003197, 8756450894	Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr, Near Mahesh Ngr Police Station, Jaipur Ph. :7340020323, 7340020324

http://www.gsworldias.com || http://facebook.com/gsworld1 || 9654349902

YH-697/2017

नवभारत और गांधी के सपने

पंकज चौबे

न्यू इंडिया की बात आज के दौर में पुनर्जागरण जैसा है। स्वस्थ्य समाज निर्माण के लिए नागरिकों का स्वस्थ होना आवश्यक है। जब हम स्वस्थ होंगे तभी स्वस्थ देश बनेगा। न्यू इंडिया विजन के तहत सरकार ने संपूर्ण स्वास्थ्य का अभियान चला रखा है। इसमें बच्चों के लिए संपूर्ण टीकाकरण का अभियान व बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल शामिल है। कोई भी बच्चा कुपोषण से ना मरे इसके लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं चल रही हैं। बीमार लोगों को सस्ती से सस्ती दवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार अपने डॉक्टरों को गांव में चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है

महात्मा गांधी ने स्वच्छता और स्वावलम्बन का जो स्वप्न देखा था वह स्वतंत्रता के सात दशक बाद भी पूरी तरह साकार होना बाकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया आह्वान की उपयोगिता स्वत: स्पष्ट है।

प्रधानमंत्री 2022 तक भारत को न्यू इंडिया के तौर पर देखना चाहते हैं। वे कहते हैं- ''2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे और 2022 के भारत के सपनों को पूरा करने के लिए एक आंदोलन करना है।'' सबसे पहले हम बात करेंगे स्वच्छ समाज की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत अभियान की अवधारणा के अनुसार शौचालय, कचरा प्रबंधन, गांवों की सफाई एवं प्रचुर मात्रा में पेयजल सुविधा सुलभ होनी चाहिए। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, यानी 2019 तक भारत को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की जा रही है।

महात्मा गांधी के सपनों के भारत में स्वच्छ भारत की कल्पना थी। जिसमें चारों तरफ स्वच्छता हो, ताजगी हो। गांधी ने अपने समय में, गांवों के संबंध में जो बात कही वह गौर करने लायक है- ''श्रम और बुद्धि के बीच अलगाव हो गया है, उसके कारण हम अपने गांवों के प्रति इतने लापरवाह हो गये हैं कि वह एक गुनाह ही माना जा सकता है। नतीजा यह हुआ है कि देश में जगह-जगह सुहावने और मनभावन छोटे-छोटे गांव के बदले हमें घूरे जैसे गंदे गांव देखने को मिलते हैं।''

आजादी के सात दशक बाद भी हम अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ नहीं बना पाएं हैं। न्यू इंडिया की संकल्पना में गांव प्राथमिक स्तर पर शामिल है। यह हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि गांव स्वस्थ और स्वच्छ बने। इस कार्य को करने के लिए सरकार ने एक जनआंदोलन छेड़ा है। लोगों की सहभागिता के साथ-साथ सरकार भी गांधी के सपनों को पूरा करने में लगी हुई है। सफाई जैसे कार्यक्रमों से गांव और शहरों का कायाकल्प होने लगा है। आज हर भारतीय में सफाई संस्कार विकसित करने की आवश्यकता है।

गांधी कहते हैं- ''ग्राम उद्धार में सफाई अगर न आवे, तो हमारे गांव कचरे के घूरे जैसे ही रहेंगे। ग्राम-सफाई का सवाल प्रजा के जीवन का अविभाज्य अंग है। यह प्रश्न जितना आवश्यक है उतना ही कठिन भी है। दीर्घकाल से जिस अस्वच्छता की आदत हमें पड़ गई है, उसे दूर करने के लिए महान पराक्रम की आवश्यकता है। जो सेवक ग्राम सफाई का शास्त्र नहीं जानता, खुद भंगी का काम नहीं करता, वह ग्राम सेवक के लायक नहीं बन सकता।''

गांव की चिंता के साथ-साथ गांधी शहरों की गंदगी से भी चिंतित थे। उन्होंने शहरों की सफाई के संदर्भ में कहा है- ''पश्चिम से हम एक चीज जरूर सीख सकते हैं और हमें सीखनी चाहिए- वह है शहरों की सफाई का शास्त्र। पश्चिम के लोगों ने सामुदायिक आरोग्य और सफाई का एक शास्त्र ही तैयार कर लिया है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखना है। बेशक, सफाई की पश्चिम की पद्धति को हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकते हैं।'' गांधी के इस कथन को न्यू इंडिया के लिए आत्मसात करने की आवश्यकता है।

लेखक गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'अंतिम जन' के संपादन से जुड़े है। ईमेल: pankaj.chaubey9@gmail.com

हमें सामाजिक सफाई शास्त्र विकसित करने की जरूरत हैं। जिसमें सामूहिक रूप से लोग गांवों और शहरों की सफाई में अपने को लगायें। इससे समाज में गैर बराबरी, ऊंच-नीच जाति प्रथा का अंत होगा। सामूहिकता की भावना विकसित होगी। आज हम जिस न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। उसमें इन विषयों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। जिसका असर समाज पर स्पष्ट दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में झाड़ू है भले ही यह प्रतिकात्मक लगे लेकिन इसने हाशिये के समाज के प्रति हमारे उस भावना को समाप्त किया है जिसमें अछूत जैसे शब्दों को हमने अपना लिया था। श्रम और बुद्धि का जो विलगाव हो रहा था। अब धीरे-धीरे लोगों में यह भाव समाप्त हो रहा हैं। गांधी कहते है- ''भगवान के प्रेम के बाद महत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान स्वच्छता से प्रेम का ही है। जिस तरह हमारा मन मलिन हो तो भगवान का प्रेम संपादित नहीं कर सकते उसी तरह हमारा शरीर मलिन हो तो हम उसका आशीर्वाद नहीं पा सकते।''

न्यू इंडिया की बात आज के दौर में पुनर्जागरण जैसा है। स्वस्थ्य समाज निर्माण के लिए नागरिकों का स्वस्थ होना आवश्यक है। जब हम स्वस्थ होंगे तभी स्वस्थ देश बनेगा। न्यू इंडिया विजन के तहत सरकार ने संपूर्ण स्वास्थ्य का अभियान चला रखा है। इसमें बच्चों के लिए संपूर्ण टीकाकरण का अभियान व बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल शामिल है। कोई भी बच्चा कुपोषण से ना मरे इसके लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं चल रही हैं। बीमार लोगों को सस्ती से सस्ती दवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार अपने डॉक्टरों को गांव में चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

गांवों के स्वास्थ्य सेवा के विषय में गांधी कहते हैं- ''मैं यह जानना चाहूंगा कि ये डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग देश के लिए क्या कर रहे हैं? वे हमेशा खास-खास बीमारियों के इलाज के नये-नये तरीके सीखने के लिए विदेशों में जाने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। मेरी सलाह है कि वे हिन्दुस्तान के लाखों गांवों की तरफ ध्यान दें। ऐसा करने पर उन्हें जल्दी ही मालूम हो जाएगा कि डॉक्टरी की डिग्रियां लिए हुए सारे मर्द और औरतों की, पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी ढ़ंग पर, ग्राम सेवा के काम में जरूरत है।''

हर तरह से आज सरकार नई चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ परंपरागत चिकित्सा पद्धति को अपनाने पर जोर दे रही है। आहार के संतुलन का भी ख्याल रखा जा रहा है। लोागों को शरीर की आवश्यकता के अनुसार उनको आहार प्राप्त हो सकें। आहार के संबंध में गांधी का मानना है कि- ''जो आदमी जीने की लिए खाता है, जो पांच महाभूतों यानी मिट्टी, पानी, आकाश, सूरज और हवा का दोस्त बन कर रहता है, जो उनको बनाने वाले ईश्वर का दास बनकर जीता है, वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा।''

गांधी स्वयं आहार को लेकर बेहद सजग थे। आगे वे कहते हैं- ''अगर चावल पुरानी पद्धति से गांवों में ही कूटा जाए, तो उसकी मजदूरी हाथ कूटाई करने वाली बहनों के हाथ में जाएगी और चावल खाने वाले लाखों लोगों को जिन्हें आज मिलों को पालिश किये हुए चावल से केवल स्टार्च मिलता है, हाथ कूटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे।'' यहां गांधी आरोग्य के साथ-साथ हजारों हाथों को काम मिलने की बात करते हैं। आरोग्य के शास्त्र के साथ-साथ स्वावलम्बन की बात भी ध्यान रखने योग्य है। गांधी कहते है- ''रोगी प्रजा के लिए स्वराज्य प्राप्त करना मैं असंभव मानता हूं। इसलिए हमलोग आरोग्य-शास्त्र की जो उपेक्षा करते हैं वह दूर होनी चाहिए।'' न्यू इंडिया में संम्पूर्ण स्वास्थ्य की बात प्रमुख है।

हमें सामाजिक सफाई शास्त्र विकसित करने की जरूरत हैं। जिसमें सामूहिक रूप से लोग गांवों और शहरों की सफाई में अपने को लगायें। इससे समाज में गैर बराबरी, ऊंच-नीच जाति प्रथा का अंत होगा। सामूहिकता की भावना विकसित होगी। आज हम जिस न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। उसमें इन विषयों को प्रमुखता से शामिल किया गया है।

न्यू इंडिया में शिक्षा और कौशल का विकास भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा की हमारी अब तक की पद्धति एकांगी रही है। इस पद्धति से हमने युवाओं को सिर्फ अक्षर ज्ञान दिया है। उनके हाथों को हुनरमंद नहीं बनाया है। आज भारत में 35 वर्ष से कम आयु के 65 प्रतिशत युवाओं की संख्या है। इनमें कौशल विकास की बात करें तो सिर्फ 2 प्रतिशत के पास है। शिक्षा का मकसद सिर्फ अक्षर ज्ञान आधारित डिग्री हासिल करना नहीं है बल्कि रोजगारपरक होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ उनके हाथों को हुनरमंद बनाना जरूरी है। गांधी इस तरह की शिक्षा पद्धति के बड़े समर्थक थे।

गांधी का मानना था कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से खादी धारण करना स्वीकार कर लिया। दरअसल खादी का अपना एक अर्थशास्त्र है। स्वावलंबन और स्वदेशी की मजबूत भावना इसके साथ जुड़ी हुई है। बाद के दिनों में खादी और चरखा आजादी का प्रतीक बन गया। गांधीजी कहते हैं- ''मैं जितनी बार चरखे पर सूत निकालता हूं। उतनी ही बार भारत के गरीबों का विचार करता हूं।'' गांधी ने खादी और चरखे के साथ अंतिम जन को जोड़ा। गांधी इसके आर्थिक पहलू से भी वाकिफ थे। गांधीजी कहते हैं- 'मेरा पक्का विश्वास है कि हाथ-कताई और हाथ-बुनाई से भारत के आर्थिक और नैतिक पुनरूद्धार में सबसे बड़ी मदद मिलेगी। आजादी की लड़ाई में खादी के प्रति लोगों की भावना ऐसी जुड़ी कि वह आजादी की वर्दी बन गई।'

आज हमारी शिक्षा हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य पर केन्द्रित हो। अन्य सभी योग्यताओं का विकास, जहां तक संभव हो, बच्चों के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बालक द्वारा चुनी हुई हस्तकला से संबंधित हो। महात्मा गांधी इस शिक्षा पद्धति को सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ समाज के नव निर्माण का सबसे प्रमुख आधार मानते थे। नयी तालीम का विचार न सिर्फ भारत के संदर्भ में प्रासंगिक रहा बल्कि दुनिया को भाईचारे, शांति और मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक रहा। गांधी की शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिकता, नैतिकता, सत्य और निष्ठा का समावेश था। गांधीजी बच्चों को स्वावलंबी बनाने की व्यवस्था चाहते थे। एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें सभी स्तर पर स्वावलंबन हो।

आज आबादी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी का स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। जिस व्यवस्था को हमने अपनाया, इस व्यवस्था में सभी के लिए रोजगार सृजन की क्षमता नहीं थी। दरअसल शिक्षित युवाओं को काम नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह

तलाशने पर समझ आता है कि अक्षर ज्ञान में तो हमारे युवा आगे हैं पर हाथों में कौशल का ज्ञान नहीं। गांधीजी कहते हैं- ''उद्योग, हुनर, तन्दुरूस्ती और शिक्षा इन चारों का सुंदर समन्वय करना चाहिए। नई तालीम में उद्योग और शिक्षा तन्दुरूस्ती और हुनर का सुन्दर समन्वय है। इन सबके मेल से मां के पेट में आने के समय से लेकर बुढ़ापे तक का एक खूबसूरत फूल तैयार होता है। यही नई तालीम है। इसलिए मैं शुरू में ग्राम-रचना के टुकड़े नहीं करूंगा, बल्कि यह कोशिश करूंगा कि इन चारों का आपस में मेल बैठे। इसलिए मैं किसी उद्योग और शिक्षा को अलग नहीं मानूंगा, बल्कि उद्योग को शिक्षा का जरिया मानूंगा और इसीलिए ऐसी योजना में नई तालीम को शामिल करूंगा।'' ये था गांधी का सपना। जिसे आज हम पूरा करने को तत्पर हैं। दरअसल यही है न्यू इंडिया का मूल आधार। आज ऐसे कॉलेज और विद्यालय खोले जा रहे हैं जिसमें कौशल पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि ''रोजगार से जुड़ी योजनाओं में ट्रेनिंग के तरीके में 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधन के विकास के लिए भारत सरकार ने नई योजनाएं हाथ में ली है।'' देश में दक्ष एवं कुशल श्रमशक्ति की कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई, 2015 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस पर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का उद्घाटन किया। इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री का कहना है- ''अगर कोई हैंडिक्राफ्ट बनाने वाले को कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ, ग्लोबल आवश्यकता के अनुसार, उस हैंडिक्राफ्ट को आधुनिक समय में मॉडिफाई करने के लिए उसको सिखाना है क्या? अगर वह ट्रेनिंग भी साथ-साथ करता है तो हम सामान्य गरीब व्यक्ति को जो हैंडिक्राफ्ट के क्षेत्र में काम करता है, उसका एक प्रकार से वोकेशनल ट्रेनिंग कहो, स्किल ट्रेनिंग कहो, टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग कहो, उसको मार्केट की समझ कैसी है। उसको समझाया तो वह थोड़ा बढ़ाकर देता है।''

हम आज ऐसी कोशिश कर रहे हैं जहां गांव में स्वरोजगार की संभावना बढ़ेगी वहीं कौशल के आधार पर हम शहर के साथ-साथ गांवों में भी रोजगार सृजन करेंगे। इससे पलायन की समस्या कम हो सकेगी। गांव का सुंदर स्वरूप बना रहेगा। शहर अतिरिक्त बोझ से बच जाएगा। सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है जिसमें लोगों का कौशल बढ़े और उन्हें घर के आसपास ही सम्मान जनक रोजगार मिल सकेगा।

इस तरह न्यू इंडिया गांधी के सपनों को सकारात्मक रूप देने का प्रयास है। सकारात्मक तरीके से हमें न्यू इंडिया को साकार करने की आवश्यकता है। इसमें जनभागीदारी जितनी बढ़ेगी उतना ही इसका साकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

गांधी ने शिक्षा का जो शास्त्र गढ़ा है उसमें गरीब से गरीब आदमी को सम्मान दिलाने की शक्ति है। इसमें नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति निहित है। श्रम प्रतिष्ठा की बात है। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की बात है। इसमें मानवीयता की भावना सर्व प्रमुख है। गांधी का कहना है कि- ''मेरा मत है कि बुद्धि का सच्चा विकास हाथ, पैर, कान, नाक, आंख आदि अवयवों के सदुपयोग से ही हो सकता है, अर्थात शरीर का ज्ञानपूर्वक उपयोग करते हुए बुद्धि का विकास सबसे अच्छा और जल्दी से जल्दी होता है। इसमें भी यदि पारमार्थिक वृत्ति का मेल न हो तो बुद्धि का विकास एक तरफा होता है। पारमार्थिक वृत्ति हृदय अर्थात आत्मा का क्षेत्र है। अत: यह कहा जा सकता है कि बुद्धि के शुद्ध विकास के लिए आत्मा और शरीर का विकास साथ-साथ एक सी गति से होनी चाहिए।'' इसमें हृदय, बुद्धि और शरीर के बीच सार्थक समन्वय की आवश्यकता है। गांधी की बुनियादी तालीम सिर्फ एक तरफा विकास की बात नहीं करती है। बच्चों में राष्ट्रीय बोध की भावना विकसित करती है। गांधी कहते हैं- ''बुनियादी तालीम हिन्दुस्तान के तमाम बच्चों और स्थायी तत्वों के साथ जोड़ देती है। यह तालीम बालकों के मन और शरीर दोनों का विकास करती हैं। बालक को वतन के साथ जोड़े रखती है। उसे अपने और देश के भविष्य का गौरवपूर्ण चित्र दिखाती है, और उस चित्र में देखते हुए भविष्य के हिन्दुस्तान का निर्माण करने में बालक या बालिकाएं अपने स्कूल जाने के दिन से ही हाथ बंटाने लगे, इसका इंतजाम करती है।'' न्यू इंडिया में गांधी के इन महत्वपूर्ण विचारों को शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर अपनाने की कवायद चल रही है।

कहा जा सकता है कि बुद्धि के शुद्ध विकास के लिए आत्मा और शरीर का विकास साथ-साथ एक सी गति से होनी चाहिए। इसमें हृदय, बुद्धि और शरीर के बीच सार्थक समन्वय आवश्यकता है। गांधी की बुनियादी तालीम सिर्फ एक तरफा विकास की बात नहीं करती है।

'न्यू इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' की बात की जा रही है। इसमें सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश है। विकास एकांगी न होकर सर्वांगीण हो इसके तहत ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे न सिर्फ हाथों को काम मिले बल्कि व्यक्ति गौरव का अनुभव कर सकें। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक है। गांधी कहते हैं- ''मैं कॉलेज की शिक्षा में काया पलट करके उसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाऊंगा। यंत्र विद्या के तथा अन्य इंजीनियरों के लिए डिग्रियां होंगी। वे भिन्न-भिन्न उद्योगों के साथ जोड़ दिए जाएंगे और उन उद्योगों को जिन स्नातकों की जरूरत होगी उनके प्रशिक्षण का खर्च वे उद्योग ही देंगे।''

हम नये भारत के निर्माण की बात करें और उसमें अस्पृश्यता जैसी कुरीतियां विद्यमान हो तो यह बात हमारे लिए कलंक जैसा विषय होगा। हम विकास की बात करें और उसमें एक तबका पीछे छूट जाए तो ऐसे विकास को हम सम्पूर्ण विकास क्या हम कह सकेंगे? अस्पृश्यता के संदर्भ में गांधी कहते हैं- ''भारत में हम आज जैसी अस्पृश्यता देख रहे हैं वह एक भयंकर चीज है और उसके हर एक प्रांत में, यहां तक कि हर एक जिले में, अलग-अलग कितने ही रूप हैं। इसलिए इस बुराई को जितनी जल्दी निर्मूल कर दिया जाय, उतना ही हिन्दू धर्म, भारत और शायद समग्र मानव-जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा।''

न्यू इंडिया में अस्पृश्यता जैसा कोई शब्द नहीं होगा। यह एक सामाजिक बुराई है। इसकी जड़ आर्थिक समस्या है जब हम प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के शिक्षित और प्रशिक्षित करेंगे, उनको मेक इन इंडिया का हिस्सेदार बनायेंगे तब यह बुराई स्वत: जाती रहेगी। आर्थिक असमानता समाजिक बुराइयों की जननी है। ❑

पूरे भारत में सबसे सफल शिक्षक

अमित कुमार सिंह के मार्गदर्शन में

सिविल सेवा परीक्षा 2016 में संस्थान से कुल 70 चयन

प्रथम 100 में 9 रैंक हमारे संस्थान इग्नाइटेड मांइड्स से

खुली चुनौती

पूरे भारत में हिन्दी माध्यम में वैकल्पिक विषय और एथिक्स (GS Paper-IV) पढ़ाने वाले संस्थानों में सर्वाधिक परिणाम

"हमसे ज्यादा सफल परिणाम दिखाइये, फीस में 100% छूट पाइये"

एथिक्स G.S. IV Paper

7 October 6:45 PM

सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषय

दर्शनशास्त्र

10 October 3:30 PM

एथिक्स (G.S. Paper-IV) हिन्दी माध्यम में सर्वोच्च अंक हमारे संस्थान से **130** अंक

Rank 44th
Himanshu Jain

Rank 46th
Gaurav Sogarwal

Rank 59th
Gautam Jain

Rank 61st
Milind Bapna

Rank 67th
Parikh Mirant Jain

Rank 81st
Rajarshi Shah

Rank 82nd
Prateek Jain

Rank 99th
Namrata Jain

Rank 106th
Prathit Mishra

दर्शनशास्त्र (Philosophy), एथिक्स (GS Paper-IV) और निबंध का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

IGNITED MINDS

A Premier Institute for IAS/PCS

DELHI CENTER
A-2, 1st Floor, Comm. Comp. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
011-27654704, 9643760414, 8744082373

ALLAHABAD CENTER
H-1, 1st Floor, Ram Mohan Plaza, Madho Kunj, Katra
9389376518, 9793022444, 0532-2642251

YH-650/5/2017

INDIAN INSTITUTE OF STUDENTS
FOR IAS & PCS

पढ़े उनसे जिनसे पढ़ने का सपना छात्रों के साथ–साथ शिक्षकों का भी रहता है।

Ashok Singh
(पितामह सामान्य अध्ययन)
25 years Exp.
ECO & Sci. Tech.

S.K. Singh
25 years Exp.
I.R & Polity

R. Kumar
20 years Exp.
Economy & Sci. Tech.

Abhay Kumar
15 years Exp.
Polity & Governance & Ethics

Akhtar Malik
15 years Exp.
History & Culture

Sanjay Singh
Expert in History & Current Affairs

Ahmad Sir
Expert in Polity & Current Affairs

Subhodh Mishra
An Expert of Geography

Madhukar Kotway

Mishra Sir 15 years Exp. भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे और आन्तरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ

सामान्य अध्ययन

Foundation
बैच प्रारम्भ
10:30 AM. 06:00 PM.

Prelims
बैच प्रारम्भ
08:00 AM. 04:00 PM.

वैकल्पिक विषय **समाजशास्त्र**
P. Mishra Sir (Delhi)
बैच प्रारम्भ
08:00 AM.

B 47, Sector J opposite, Mr. Brown & Bakery, Aliganj, Lucknow
8917851269
8917851267
0522-4416002

प्रयाग महिला विद्यापीठ के सामने, वात्सल्य हॉस्पिटल के पास, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
8182815193
8182815292

YH-727/2017

दिल्ली पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग की भागीदारी

प्रकाशन विभाग ने 26 अगस्त से 3 सितंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 23वें दिल्ली पुस्तक मेले में भाग लिया, जिसका आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने भारतीय प्रकाशक संघ के साथ मिलकर किया। मेले का केंद्रीय विषय था– *पढ़े भारत, बढ़े भारत।* 130 प्रकाशकों ने इस पुस्तक मेले में भाग लिया।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 23वें दिल्ली पुस्तक मेले, 2017 में प्रकाशन विभाग का बुक स्टॉल

पुस्तक मेले ने प्रकाशन विभाग को अपनी पुस्तकें, ई-पुस्तकें और पत्रिकाएं हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक बड़ी संख्या में लोगों के समक्ष प्रदर्शित करने का अवसर दिया।

भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने तथा आजादी की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन की पुस्तकों पर बनाया गया विशेष खंड *आजादी की कहानी, किताबों की जुबानी* प्रकाशन विभाग के स्टॉल का मुख्य आकर्षण था जिसके प्रति लोगों ने काफी रुचि दिखाई। कुछ उल्लेखनीय पुस्तकों में 'हू इज हू ऑफ इंडियन मार्टर्स, लाइफ स्केचिज ऑफ अनसंग हीरोज', 'फ्रॉम राज टू स्वराज', 'भारत में अंग्रेजी राज', 'भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास', 'हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया', 'इंडिया-बिफोर एंड आफ्टर द म्यूटनी', '1857: द अपराइजिंग', 'रिमेंबर अस वन्स इन अ व्हाइल' शामिल थे। विभाग ने गांधीजी पर प्रकाशित अन्य प्रमुख पुस्तकों जैसे 'महात्मा' (8 खंड), 'गांधी इन चंपारण', 'रोमां रोलां एंड गांधी-कॉरेसपॉन्डेंस', 'सत्याग्रह' के अलावा ऐतिहासिक 'कलेक्टिड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी' 100 खंडों का सेट भी प्रदर्शित किया। भारत की समृद्ध और विविधता पूर्ण सांस्कृतिक धरोहर, स्वतंत्रता सैनानियों, राष्ट्रीय नेताओं की जीवनी, इतिहास, कला और संस्कृति, भूमि व लोग जैसे समसामयिक महत्व के अन्य विषयों तथा बच्चों की पुस्तकों को भी हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित किया गया। एक ई-कियॉस्क भी स्थापित किया गया था ताकि मेले में आने वाले लोग प्रकाशन विभाग

मेले में आने वाले लोग प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर किताबों को देखते हुए

के डिजिटल पुस्तकालय को देख सकें जिसमें 1000 से ज्यादा डिजिटलीकृत पुस्तकें हैं।

अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, लेखकों और प्रकाशकों के अलावा केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा, डीओपीटी के सचिव श्री अजय मित्तल, आईजीएनसीए के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय, आईजीएनसीए के सदस्य सचिव श्री सच्चिदानंद जोशी ने भी प्रकाशन विभाग के स्टॉल का दौरा किया।

पुस्तक मेले के दौरान प्रकाशन विभाग की किताबों और पत्रिकाओं की 15.37 लाख रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई। पिछले वर्ष 10 लाख रुपए की बिक्री हुई थी। इस बार प्रकाशन विभाग ने कैशलेस लेन-देन में सहायता के लिए पीओएस मशीनें भी लगाई थीं। कुल बिक्री का लगभग 22 प्रतिशत कैशलेस लेन-देन के जरिए हुआ।

प्रकाशन विभाग के अधिकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा से 'पुस्तक उत्पादन में उत्कृष्टता' पुरस्कार प्राप्त करते हुए

26 अगस्त और 31 अगस्त, 2017 को पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों के भी आयोजन हुए। इन आयोजनों में विभिन्न विषयों से संबंधित कुल 17 पुस्तकें लोकार्पित की गईं। इन पुस्तकों में गायक मन्ना डे की जीवनी, जाने-माने इतिहासवेत्ता ताराचंद द्वारा लिखित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास से लेकर भारतीय परिधान संबंधी पुस्तकें शामिल थीं। 'संस्कृत साहित्य रत्नावली' के चार खंडों को भी लोकार्पित किया गया जिसका सह-प्रकाशन *सस्ता साहित्य मंडल* ने किया।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के स्वर्णिम इतिहास के बारे में छोटी और प्रेरक कहानियां सुनाने के लिए *सैल्युटिंग द पेट्रियॉट्स* नामक मोबाइल एप भी शुरू किया गया था। यह एप द्विभाषी है।

भारतीय प्रकाशक संघ पुस्तक उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिल्ली पुस्तक मेले के दौरान प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान करता है। इस वर्ष प्रकाशन विभाग ने हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में विभिन्न श्रेणियों में कुल 11 पुरस्कार तथा पुस्तक प्रकाशन में दो उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने 31 अगस्त, 2017 को पुरस्कार प्रदान किए।

प्रकाशन विभाग आईटीपीओ द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड ट्रॉफी प्राप्त करते हुए

प्रकाशन विभाग को 23वें पुस्तक मेले में भारतीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्ड ट्रॉफी भी प्रदान की गई जिसका डिजाइन विभाग के कलाकारों ने तैयार किया था। आईटीपीओ के कार्यकारी निदेशक ने 3 सितंबर, 2017 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। ❑

भारतीय रेल में बुलेट युग का सूत्रपात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने साझे तौर पर भारत में पहली बार अहमदाबाद में 14 सितंबर 2017 को तेज रफ्तार वाली रेल परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने *न्यू इंडिया* के लिए अपनी दृढ़ता को जाहिर किया। उन्होंने देश के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना से गति और प्रगति बढ़ेगी और इसके नतीजे भी जल्द हासिल होंगे।

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना (अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन) एक स्वप्नदर्शी परियोजना है जिससे देशवासियों को सुरक्षा के साथ तेज गति वाली रेल सेवा की सुविधा मिलेगी और भारतीय रेल को भी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी स्तर, गति और कुशलता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कम लागत की परियोजना

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बहुत बड़े हिस्से का निर्माण जापान से प्राप्त आसान कर्ज से होगा। भारत और जापान सरकारों के बीच हुए समझौतों के मुताबिक इस परियोजना के लिए जापान सरकार न्यूनतम 0.1 फीसद सालाना ब्याज दर पर 88 हजार करोड़ देगी। यह कर्ज 50 साल के लिए होगा और 15 साल तक इसके भुगतान पर अस्थायी रोक होगी। इस कर्ज पर मोटे तौर पर प्रति महीने सात-आठ करोड़ रुपये ब्याज भी देय होगा।

सामान्य तौर पर इस तरह का कर्ज विश्व बैंक या अन्य एजेंसी से लिया जाता तो 5-7 प्रतिशत ब्याज लगता और इसका भुगतान 25-35 वर्षों में करना होता लेकिन भारत में इस हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए जापान सरकार से जो कर्ज मिल रहा है उस पर लगभग शून्य बराबर ही ब्याज देय होगा और मौजूदा समय में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर देश पर कोई बोझ और दबाव भी नहीं बढ़ेगा। इस परियोजना की 80 फीसदी लागत जापान सरकार देगी। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी परियोजना के लिए अनुकूल शर्तों पर वित्तीय सहायता मिल रही है।

मेक इन इंडिया

इस परियोजना का खास मकसद *मेक इन इंडिया* है। परियोजना की शुरुआत में ही महसूस किया जा रहा है कि भारत और जापान की सरकारों के समझौतों के मुताबिक एमएएचएसआर परियोजना *मेक इन इंडिया* तो है ही, साथ ही नयी तकनीकी का आयात भी है। *औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग* (डीआईपीपी) और *जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑरगनाइजेशन* (जेईटीआरओ) के संयुक्त कार्यबल के निर्देश के मुताबिक तयशुदा स्वरूप पर इस परियोजना का काम शुरू हो गया है। भारतीय उद्योग, जापान उद्योग, डीआईपीपी, एनएचएसआरसीएल और जेईआरटीओ आदि के प्रतिनिधियों का एक उप समूह का गठन किया गया है जो भारत में *मेक इन इंडिया* के लिए संभावनाओं का पता लगाएगा। भारत और जापान के लिए औद्योगिक जगत के बीच परस्पर राय-मशविरा का दौर भी शुरू हो चुका है। अपेक्षा है कि इसके बाद संयुक्त रूप से कई काम शुरू हो सकेंगे और पुर्जे सहित अन्य वस्तुओं का निर्माण हो सकेगा। ऐसा होने का लाभ भारतीय उद्योग जगत को तो मिलेगा ही पर इसके साथ नई तकनीक हासिल होगी और देश में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मेक इन इंडिया का मकसद यह सुनिश्चित करना भी है कि अधिकतम राशि परियोजना पर ही लगे जो भारत के लिए उपयोगी हो सके।

बुलेट ट्रेन परियोजना से भारत में निर्माण क्षेत्र में न केवल निवेश के मामले में जोरदार बढ़ावा मिलेगा बल्कि इसी के साथ एकदम नयी तकनीक भी हासिल होगी और कार्य संस्कृति का भी विकास होगा। इस परियोजना से 20 हजार लोगों को निर्माण के दौरान रोजगार मिलेगा, जिन्हें बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। खासतौर से बिना गिट्टी वाले ट्रैक और समुद्र में सुरंग बनाने की कुशलता भी हासिल होगी। बड़ोदरा में *हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट* भी बनाया जा रहा है जहां अगले तीन सालों में चार हजार कर्मचारियों को इस परियोजना के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि बुलेट ट्रेन परिचालन और उसकी देखभाल के लिए हम विदेशी कर्मियों के मोहताज नहीं रह सकें।

ये प्रशिक्षितकर्मी बुलेट ट्रेन परियोजना के भावी विकास के लिए आधार भी होंगे। यह इंस्टीच्यूट भी जापान के इंस्टीट्यूट की तरह साधनों, उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसके अलावा भारतीय रेल के तीन सौ युवा अधिकारियों को जापान में प्रशिक्षित किया जा रहा है जो हाई स्पीड ट्रैक तकनीक को समझकर अपने देश में उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। मानव संसाधन विकास की भावी योजनाओं के मद्देनजर जापान सरकार ने प्रतिवर्ष 20 भारतीय रेल अधिकारियों के लिए जापान के विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री हासिल करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए सभी वित्तीय खर्च जापान सरकार वहन करेगी।

नई तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी

भारत को बुलेट ट्रेन परियोजना की वजह से तेज गति के रेल परिचालन की तकनीक हासिल होगी। यह परियोजना जापान की शिन्कान्सेन तकनीक पर आधारित होगी। इस तकनीक को पिछले 50 सालों में उनकी विश्वसनीयता और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई चुनौती नहीं दे सका है। बुलेट ट्रेन के समय पर चलते रहने का भी रेकॉर्ड है। आरामदायक सुविधा और बेहतर सुरक्षा के मामले में भी इस तकनीक की अपनी विश्वसनीयता है। हादसे की आशंका और इसके लिए ऐहतियाती प्रबंध भी इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तकनीक में सुरक्षा की ऐसी पद्धति भी शामिल है ताकि भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान भी बुलेट ट्रेन के संचालन में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस तकनीक के चलते भारतीय रेल व्यवस्था में खासकर तेज गति से सुरक्षित रेल संचालन में ऐसा उछाल आएगा कि यात्री सात-आठ घण्टे का सफर मात्र दो घण्टे में ही तय कर सकेंगे। इस अद्यतन तकनीक से इंजीनियरिंग स्टाफ भी अवगत होंगे और भारत को इसका लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने *राष्ट्रीय तीव्र गति रेल प्राधिकरण* की स्थापना की है जो मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के पूरे होने में सहयोगी साबित होगा। प्राधिकरण ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के अलावा दिल्ली-कोलकाता, दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, दिल्ली-चण्डीगढ़, मुंबई-नागपुर आदि गलियारों में तीव्र गति रेल संचालन की व्यवहार्यता का अध्ययन किया है। इन सभी गलियारों में भी भविष्य में तीव्र गति वाले रेल संचालन किये जाएंगे।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनः अन्य विशेषताएं

मुख्य बातें

- अहमदाबाद और मुंबई के बीच करीब 508 किमी. लंबे मार्ग में 468 किमी. हिस्सा जमीन से ऊपर होगा जबकि 27 किमी. हिस्सा सुरंग के रूप में होगा
- इस गलियारे का 156 किमी. हिस्सा महाराष्ट्र राज्य में, 351 किमी. गुजरात राज्य में और दो किमी. केन्द्र प्रशासित क्षेत्र दादर और नागर हवेली में होगा
- बुलेट ट्रेन 21 किमी. की देश की सबसे लंबी सुरंग से भी गुजरेगी जिसमें सात किलोमीटर हिस्सा समुद्र के अंदर होगा
- ट्रेन की परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी
- इस मार्ग में कुल 12 स्टेशन मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती होंगे।

कम लागत, अधिक गति

- 1,08,000 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान, सुरक्षा तथा भूमि की बचत के लिए पूरा करिडोर एलिवेटेड।
- परियोजना लागत का 81 प्रतिशत जापान से सॉफ्ट लोन के तौर पर प्राप्त
- भारत में पहली बार ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में किसी परियाजना की शुरुआत।

मेक इन इंडिया

- दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार एमएएचएआर परियोजना के लक्ष्य *मेक इन इंडिया* तथा *प्रौद्योगिकी विनिमय* है।

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और रोजगार में वृद्धि

- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में बीस हजार लोगों को निर्माण के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा
- परिचालन के लिए चार हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और बीस हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे
- शहरी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा साथ ही अन्य तीव्र गति वाली परियोजनाओं की क्षमता में भी विकास होगा। ❑

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2015-17
Reg.No. D.L. (s)-05/3231/2015-17 at RMS, Delhi
22 सितंबर, 2017 को प्रकाशित • 28-29 सितंबर, 2017 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2015-17
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

अध्यापन कार्य यानि राष्ट्र का निर्माण

Useful Books	Code	Price
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (General Paper-I)	420	355.00
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (Gen. Paper-I)	1553	310.00
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (Gen. Paper-I)	1761	280.00
UGC-NET Geography (Paper-II & III)	1735	560.00
UGC-NET Obj. Geography (Paper II)	320	215.00
UGC-NET English Litt. (Paper II)	940	115.00
UGC-NET English (Paper II & III)	1549	310.00
UGC-NET English Literature (Paper II & III)	1723	330.00
UGC-NET English Literature (Paper II & III)	1736	475.00
UGC-NET PWB English (Paper II & III)	1809	235.00
UGC-NET Commerce (Paper-II & III)	1861	445.00
UGC-NET Computer Science (Paper-II & III)	894	750.00
UGC-NET Physical Education (Paper-II & III)	931	445.00
UGC-NET Management (Paper-II)	1653	455.00
UGC-NET Management (Paper-II & III)	1813	499.00
UGC-NET Education (Paper-II)	1522	325.00
UGC-NET Education (Paper-III)	1860	275.00
UGC-NET Education (Paper-II & III)	1815	399.00
UGC-NET PWB Education (Paper-II & III)	1803	235.00
UGC-NET Visual Art (Paper-II)	1752	180.00
UGC-NET Economics (Paper-II & III)	1775	575.00
UGC-NET Sociology (Paper-II)	1755	240.00
UGC-NET Sociology (Paper-III)	1772	460.00
UGC-NET Psychology (Paper-II)	1765	390.00
UGC-NET Psychology (Paper-III)	1770	350.00
UGC-NET Mass Communication and Journalism (Paper-II & III)	1764	510.00
UGC-NET History (Paper-II & III)	1769	540.00
UGC-NET History (Paper-II & III) Facts At a Glance (With Multiple Choice Questions)	1773	350.00
UGC-NET Home Science (Paper-II & III)	1771	525.00
UGC-NET Political Science (Paper-II & III)	1777	670.00
UGC-NET Library & Information Science (Paper-II & III)	1785	355.00
UGC-NET Social Work (Paper-II & III)	1791	325.00
UGC-NET PWB Human Resource Management (Paper-II & III)	1810	255.00

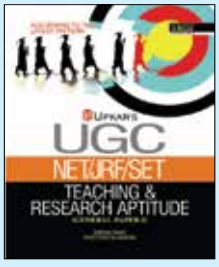

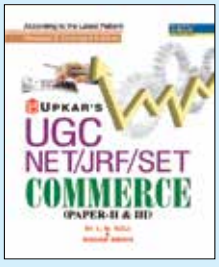

यू.जी.सी.-नेट/जे.आर.एफ./सेट

परीक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षोपयोगी विशेष सामग्री

उपयोगी पुस्तकें	Code No.	Price
UGC-NET प्रैक्टिस वर्क बुक जनरल पेपर-I	2226	180.00
UGC-NET जनरल पेपर-I (*डॉ. लाल, जैन एवं डॉ. वशिष्ठ*)	200	295.00
UGC-NET जनरल पेपर-I (*डॉ. मिथिलेश पाण्डेय*)	271	420.00
UGC-NET जनरल पेपर-I (*डॉ. के. कौटिल्य*)	2242	355.00
UGC-NET संस्कृत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	574	140.00
UGC-NET संस्कृत (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2328	560.00
UGC-NET प्रैक्टिस सैट संस्कृत (पेपर-II & III)	2466	140.00
UGC-NET अर्थशास्त्र *(डॉ. अनुपम अग्रवाल)*	521	499.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	567	415.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2258	395.00
UGC-NET प्रैक्टिस सैट एवं सॉल्वड् पेपर्स हिन्दी (पेपर-II & III)	2467	220.00
UGC-NET भूगोल (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2191	499.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	685	325.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	201	425.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र) महत्वपूर्ण तथ्य (वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों सहित)	2212	450.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	714	310.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2206	525.00
UGC-NET वाणिज्य (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	682	370.00
UGC-NET वाणिज्य (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	1226	470.00
UGC-NET वाणिज्य (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2256	355.00
UGC-NET मनोविज्ञान (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	1022	715.00
UGC-NET मनोविज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	2195	380.00
UGC-NET मनोविज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	2210	399.00
UGC-NET मनोविज्ञान (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2459	550.00
UGC-NET गृह विज्ञान (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	1337	530.00
UGC-NET प्रैक्टिस सैट एवं सॉल्वड् पेपर्स समाजशास्त्र (पेपर-II & III)	2483	245.00
UGC-NET दृश्य कला (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	10	220.00
UGC-NET दृश्य कला (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र) (**लेखिका** : डॉ. आभा सिंह)	2244	235.00
UGC-NET शिक्षाशास्त्र (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	2081	310.00
UGC-NET शिक्षाशास्त्र (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2269	380.00
UGC-NET शिक्षाशास्त्र (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र) (**लेखिका** : विनीता यादव)	2273	410.00
UGC-NET शारीरिक शिक्षा (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2270	410.00
UGC-NET जनसंचार एवं पत्रकारिता (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2201	540.00

उपकार प्रकाशन | 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2673340 • कोलकाता मो. 07439359515 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर 6564222 • इन्दौर 9203908088

YH-644/6/2017

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: ऋतेश पाठक